द्वितीय माला, खण्ड ५४—अंक ५०

शुक्रवार, २१ अप्रैल, १९६१
१ वैशाख, १८८३ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५४ में अंक ४१ से अंक ५० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

(एक रुपया देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

द्वितीय माला खण्ड ५४—अंक ४१ से ५०—११ से २१ अप्रैल, १९६१/२१ चैत्र से १ वैशाख १८८३ (शक)

पृष्ठ

अंक ४१—मंगलवार, ११ अप्रैल, १९६१/२१ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३३ से १४३६, १४३८ से १४४१, १४४४ से १४४७ और १४५१ से १४५४ . . ४८३५–६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३७, १४४२, १४४३, १४४८, १४४९ और १४५५ से १४५८ . ४८६२–६८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०३६ से ३०७१ . . . ४८६८–८३

नागा विद्रोहियों द्वारा भारतीय वायुसेना के कर्मचारियों को पकड़ लेने के बारे में सभा पटल पर रखे गये पत्र . ४८८३–८४

४८८४

प्राक्कलन समिति—

एक सौ पचीसवा प्रतिवेदन . . ४८८४

वित्त विधेयक, १९६१, के बारे में याचिका . ४८८४

अनुदानों की मांगें ४८८५–४९२३

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . ४८८५–९४

प्रतिरक्षा मंत्रालय . ४८९५–४९२३

कृषि आयोग के बारे में आधे घंटे की चर्चा ४९२३–२६

दैनिक संक्षेपिका ४९२७–३०

अंक ४२—बुधवार, १२ अप्रैल, १९६१/२२ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १४५९ से १४६२, १४६५ से १४७६ १४७० से १४७७ . . . . . ४९३१–५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६३, १४६४, १४६८, १४६९ और १४७८ से १४८१ . . ४९५५–५८

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७२ से ३१४४ और ३१४६ से ३२१७ ४९५८–५०२६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

एस० एस० दारा जहाज में आग . ५०२७–२८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ५०२८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

ब्यासीवां प्रतिवेदन ५०२८

प्राक्कलन समिति––

एकसौ सत्ताइसवां तथा एक सौ इकतीसवां प्रतिवेदन ५०२९

अनुदानों की मांगें ५०२९–६९

प्रतिरक्षा मंत्रालय ५०२९–५९

सामुदायिक विकास तथा सहकार-मंत्रालय . ५०५९–६९

उड़ीसा-भूमि सुधार अधिनियम के बारे में आधे घंटे की चर्चा ५०७०–७१

दैनिक संक्षेपिका ५०७२–७८

अंक ४३––गुरुवार, १३ अप्रैल, १९६१ /२३ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ––

तारांकित प्रश्न संख्या १४८२ से १४९०, १४९२ और १४९४ . ५०७९–५१०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १४९१, १४९३, और १४९५ से १५१८ ५१०२–१४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२१८ से ३२९३ . ५११४–४६

दिनांक ९-३-६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९२२ में शुद्धि

निधन संबंधी उल्लेख . ५१४६–४७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

कोलार की राष्ट्रीयकृत सोने की खानों के बंद हो जाने की संभावना ५१४७–४८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ५१४८–४९

प्राक्कलन समिति––

एक सौ उन्तीसवां और एक सौ बत्तीसवां प्रतिवेदन . . ५१४९–५००

पृष्ठ

समिति के लिए निर्वाचन--

विश्व-भारती . . ५०१०

अनुदानों की मांगें ५१५०–९४

सामदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय ५१५०–९४

कार्य मंत्रणा समिति . ५१९५

त्रेसठवां प्रतिवेदन . ५१९६–५२०२

दैनिक संक्षेपिका

अंक ४४—गुरुवार, १४ अप्रैल, १९६१/२४ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१९, १५२१ से १५२५, १५२८, १५३० से १५३५ और १५३७ ५२०३–२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १५२०, १५२६, १५२७, १५२९, १५३६ और १५३८ से १५५२ ५२२९–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२९४ से ३३४५ . ५२३७–५८

स्थगन प्रस्ताव—

१३ अप्रैल, १९६१ को दिल्ली में बिजली की व्यवस्था का भंग हो जाना । ५२५८–५९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५२५९–६०

प्राक्कलन समिति--

एक सौ चौथा और एक सौ अठारहवां प्रतिवेदन ५२६०

कार्य मंत्रणा समिति--

त्रैसठवां प्रतिवेदन ५२६१

अनुदानों की मांगें ५२६१–७७

इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

व्यासीवां प्रतिवेदन . . . ५२७८

कोयला खानों के राष्ट्रीकरण के बारे में संकल्प--अस्वीकृत . ५२७८–८६

धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म स्वीकार करने वालों के बारे में संकल्प . ५२८६–९४

दैनिक संक्षेपिका . ५२५९–५३००

पृष्ठ

अंक ४५—शनिवार, १५ अप्रैल, १९६१ / २५ चैत्र, १८८३ (शक)

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ५३०१–०२

सभा का कार्य . ५३०२–०३

अनुदानों की मांगें . ५३०३–६३

इस्पात खान और ईंधन मंत्रालय ५३०३–४५

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . . ५३४५–६३

पूर्वोत्तर रेलवे पर खतरे की जंजीरों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ५३६३–६९

दैनिक संक्षेपिका ५३७०–७१

अंक ४६—सोमवार, १७ अप्रैल, १९६१ / २७ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५५३ से १५५५, १५५८, १५५९, १५६२ से १५६७, १५६९, १५७०, और १५७२ से १५७५ ५३७३–९८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५५६, १५५७, १५६०, १५६१, १५६८, १५७१ और १५७६ ५३९९–५४०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३४६ से ३४१६ और ३४१८ से ३४२० ५४०२–३६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५४३७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ५४३७

प्राक्कलन समिति

एक-सौ-चौतीसवां प्रतिवेदन ५४३७

अनुदानों की मांगें

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . ५४३८–९१

केरल राज्य में नारियल की फसल को क्षति के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ५४९१–९३

दैनिक संक्षेपिका ५४९४–९८

अंक ४७—मंगलवार, १८ अप्रैल, १९६१ / २८ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५७७ से १५८०, १५८२, से १५८५, १५८७ से १५८९, १५९१, १५९३ से १५९५ और १५९९ से १६०२ ५४९९–५५२५

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५८१, १५८६, १५९०, १५९२, १५९६ से १५९८ और १६०३ से १६१० . . . ५९१५–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४२१ से ३४९१, ३४९३ से ३५०२ और ३५०४ से ३५१३ ५५३१–७२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . ५५७१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५५७१–७२

अनुदानों की मांगें . . . ५५७२–५६२४

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . ५५७२–८५

वित्त मंत्रालय ५५८५–५६२४

डिग्री कालेजों के अध्यापकों के वेतन क्रमों के बारे में आधे घंटे की चर्चा ५६२४–२७

दैनिक संक्षेपिका . . . ५६२८–३३

अंक ४८—बुधवार, १९ अप्रैल, १९६१ / २९ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्य १६११ से १६१५, १६१८, १६२०, १६२१ और १६२३ से १६२९ . ५६३५–५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६१६, १६१७, १६१९, १६२२ और १६३० से १६३५ . . . . . ५६५९–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५१४ से ३५२३, ३५२५ से ३५५८ और और ३५६० से ३५७१ . ५६६४–९१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ५६९२

राष्ट्रपति से सन्देश . . . ५६९२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तिरासीवां प्रतिवेदन ५६९२

अनुदानों की मांगें ५६९३–५७३०

वित्त मंत्रालय ५६९३–५७२७

अणु-शक्ति-विभाग . ५७२८

संसद् कार्य विभाग . . ५७२८–३०

विनियोग (संख्या २) विधेयक--पुरस्थापित ५७३०

वित्त विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ५७३०–३३

दैनिक संक्षेपिका . . . ५७३४–३८

अंक ४६—गुरुवार, २० अप्रैल, १९६१ /३० चैत्र, १८८३ (शक)

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३६ से १६४०, १६४२ से १६४६ और १६४९ से १६५४ . ५७३९—६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४१, १६४७, १६४८, १६५५ और १६५६ . . . . . ५७६३—६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५७२ से ३६३८ . . ५७६६—९३

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . ५७९३—९४

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . . . ५७९४—९५

स्थगन प्रस्ताव—

प्रोटावा में भारतीय उच्च आयोग के प्रथम सचिव की गोली लगने से मृत्यु . . . . . ५७९५—९६

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर सिलीगुडी के निकट रेलवे दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

श्री शाहनवाज खां . . . . . ५७९६—९७

विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ५७९७—९८

खण्ड २, ३ और १ . ५७९८

पारित करने का प्रस्ताव ५७९८

वित्त विधेयक—

विचार कर ने का प्रस्ताव . . . ५७९९—५८३२

सभा का कार्य . ५८३२

दैनिक संक्षेपिका . . . ५८३३—३७

अंक ५०—शुक्रवार, २१ अप्रैल, १९६१ /१ बैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५७ से १६५९, १६६१ से १६७५ और १६७५—क . ५८३९—६९

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६० और १६७६ से १६८३ . ५८६६—७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३६, से ३७०१ ३७०३ से ३७२५ ५८७२—५६०५

स्थगन प्रस्ताव

बेला रोड पर डेरी किशनचंद में आग लग जाना . . ५६०५—०७

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य—

क्यूबा की स्थिति . . . . ५६०७—०६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ५६०६—११

वित्त विधेयक, १६६१—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ५६११—६१

दैनिक संक्षेपिका . . ५६६२—६७

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—543 (Ai) LS—23-6-31—126

लोक-सभा

शुक्रवार, २१ अप्रैल, १९९१

१ वैशाख, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भिलाई इस्पात कारखाने को फालतू पुर्जों का संभरण

+

†*१६५७. श्री मुरारका :
श्री नथवानी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात कारखाने के लिए रूस से फालतू पुर्जों के सम्भरण के लिए कुल कितने ठेके दिये गये हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक ठेके का मूल्य कितना है वह कितने पुर्जों के लिए है; और

(ग) इस मूल्य का निर्धारण किस आधार पर किया गया है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

फालतू पुर्जों की सप्लाई के लिए रूस के साथ १५ ठेके किये गये हैं। प्रत्येक ठेके का लगभग मूल्य और फालतू पुर्जों की मात्रा दिखाने वाला विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९०]

ठेके का मूल्य निम्नलिखित आधार पर तय किया गया था :—

(१) मूल ठेके में २·१ करोड़ रुपये के मूल्य के फालतू पुर्जों की कीमत औसत मूल्य प्रति टन थी जो मुख्य संयंत्र और उपकरण के लिए दिया जाना मंजूर किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) बॉल और रोलर बेअरिंग जैसी चीजों के मामले में प्रतियोगितात्मक मूल्य मांगे गये थे और रूस द्वारा बताये गये मूल्य सब से सस्ते थे ।

(३) अन्य मामलों में परस्पर बातचीत के जरिये मूल्य तय किये गये थे ।

†**श्री मुरारका** : विवरण से यह दिखायी पड़ता है कि कुल ६ $^{1}/_{2}$ करोड़ रुपये के फालतू पुर्जे खरीदे गये थे जिसमें से लगभग २ करोड़ रुपये के पुर्जे १९५६ में खरीदे गये थे और ४ $^{1}/_{2}$ करोड़ रुपये के पुर्जे १९६० में खरीदे गये थे । संयंत्र के लिए आर्डर देने के चार साल बाद फालतू पुर्जों के लिए आर्डर देने के क्या कारण थे ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इन फालतू पुर्जों का पहला समूह संयंत्र और उपकरण के साथ साथ खरीदा गया था । वह एक तौर से मुख्य ठेके का एक हिस्सा था । बाद के आर्डर चार साल बाद दिये गये क्योंकि यह सोचा गया कि इन फालतू पुर्जों की जरूरत बाद में चल कर पड़ेगी जब कि यह संयंत्र वास्तव में चालू हो जायेगा ।

†**श्री मुरारका** : क्या यह सच नहीं है कि संयंत्र के साथ ही साथ फालतू पुर्जों के लिए आर्डर न दिये जाने के कारण निर्माताओं ने ज्यादा कीमत लगायी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मुख्य संयंत्र के साथ साथ कुछ मात्रा में फालतू पुर्जों का आर्डर देना ही पड़ता है । फालतू पुर्जों का बहुत बड़ा स्टॉक रखने की प्रथा नहीं है । कभी कभी कीमतें बढ़ जाती हैं तो कभी कम हो जाती हैं । इसलिए कुछ मात्रा के बाद, फालतू पुर्जों का आर्डर संयंत्र के साथ साथ नहीं दिया जाता ।

†**श्री मुरारका** : क्या यह सच नहीं है कि फालतू पुर्जों की कमी के कारण ब्लूमिंग और स्लैबिंग मिलों तथा इस्पात गलाने वाले कारखानों में उत्पादन को काफी नुक्सान पहुंचा है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जी नहीं, वह सच नहीं है ।

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या मैं यह समझूं कि फालतू पुर्जे केवल रूस से ही मिल सकते हैं और अन्य किसी देश से नहीं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस संयंत्र के लिए ऐसा ही है क्योंकि संपूर्ण संयंत्र रूस से प्राप्त किया गया है । इसलिए फालतू पुर्जों की खरीद के लिए भी रूसी संभरणकर्ता ही अत्यधिक उपयुक्त समझे गय । कुछ दूसरे प्रकार के फालतू पुर्जे अन्य देशों से भी खरीदे जा सकते हैं ।

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या कोई पूछताछ की गयी थी और फालतू पुर्जों के लिए टेन्डर मंगाये गये थे ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : पूछताछ की गयी थी लेकिन यह सोचा गया कि रूस से ये फालतू पुर्जे खरीदना हमारे लिए लाभदायक होगा ।

†**श्री पु० र० पटेल** : किन देशों से यह पूछताछ की गयी थी और किस प्रकार के उत्तर प्राप्त हुए थे ?

श्री रा० स० तिवारी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन फालतू पुर्जों के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया गया है कि जिससे ये आम लोगों को आसानी से मिल सकें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सरदार स्वर्ण सिंह : स्टील प्लांट के जो पुर्जे हैं उनका आम लोग क्या करेंगे यह मेरी समझ में नहीं आया । उनको तो स्टील प्लांट ही इस्तेमाल कर सकता है । आम लोगों के इस्तेमाल की वह चीज नहीं है ।

†**श्री मुरारका** : विवरण में यह बताया गया है कि कुछ मामलों में परस्पर बातचीत के ज़रिये कीमत तय की गयी थी । जब दूसरे देशों से प्रतियोगितात्मक मूल्य हमें नहीं मिले थे तब परस्पर बातचीत कैसे की गयी थी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : हर चीज जो हम खरीदते हैं ऐसी सामान्य वस्तु नहीं होती जो दुनिया के सभी भागों से प्राप्त की जा सके । कुछ चीजें रूस से या दूसरे देशों से बातचीत के ज़रिये खरीदनी होती हैं । यद्यपि हम टेण्डर मंगाते हैं फिर भी जब तक वास्तविक प्रतियोगिता नहीं होती और एक से अधिक ज़रियों से उपलब्धि नहीं होती तब तक मूल्य वास्तविक अर्थ में प्रतियोगितात्मक नहीं होते ।

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या रूस से अतिरिक्त अन्य देशों से कोई पूछताछ की गयी थी और यदि हां तो क्या उत्तर प्राप्त हुए थे, क्योंकि मैं यह देखता हूं कि लगभग ४ करोड़ रुपये के फालतू पुर्जे रूस से खरीदे गये थे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था । लेकिन इस तरह का प्रश्न एक अजीब बात है । मैं ने माननीय सदस्य को एक बार नहीं बल्कि दो बार यह प्रश्न पूछने की अनुमति दी है । जिस किसी से हम कोई स्टैन्डर्ड मशीन खरीदते हैं, फालतू पुर्जों के लिए हमें उसी पर निर्भर रहना पड़ता है, न कि किसी दूसरे आदमी पर । अन्यथा, कोई प्रमापीकरण नहीं होगा ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : पहले ऐसा किया जाता रहा । इसी कारण यह सवाल पूछा गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई प्रश्न पूछने या माननीय मंत्री की कितनी भी आलोचना करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन जब वे ठीक कहते हैं तब उस आलोचना का क्या अर्थ है ।

पूर्वी अफ्रीका में जीवन बीमा निगम की लगी हुई पूंजी

*१६५८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम के ३१ जनवरी, १९६१ तक पूर्वी अफ्रीका में कितने रुपये लगे हुए थे;

(ख) उससे कितनी वार्षिक आय होती है; और

(ग) क्या पूर्वी अफ्रीका में लगायी गई पूंजी हमारे देश के विकास के लिये यहां नहीं लगायी जा सकती ?

वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) १३७.७४ लाख रुपया ।

(ख) ८.८१ लाख रुपया ।

(ग) निगम का कारबार बढ़ाने और साथ ही पूर्वी अफ्रीका की मुद्रा में अपने दायित्व को निभाने के खयाल से, निगम के लिए यह ज़रूरी है कि वह पूर्वी अफ्रीका में अपने कारबार से होने वाले लाभ के एक हिस्से को वहीं लगाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि ईस्ट अफ्रीका में जो इतना रुपया लगाया गया है उससे हमको प्रति वर्ष कितना फायदा होता है, और यदि इतने ही रुपये को हम अपने देश में लगाते तो उससे हमको कितना फायदा होता ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : यह रुपया कई अलग अलग मदों में लगाया गया है और अगर मैं हर एक का अलग अलग फायदा बताने लगूं तो बहुत लम्बी फेहरिस्त हो जायेगी । लेकिन उदाहरण के रूप में मैं एक बात आपको बताती हूं कि कारपोरेशन ने ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका के जो सिटी काउंसिल आफ नैरोबी को करीब २ लाख ५० हजार पाउंड का कर्जा दिया है और उसके ऊपर जो हमको रिटर्न आता है वह करीब सवा ६ प्रतिशत के हिसाब से है ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या पूर्व अफ्रीका के कानूनों में ऐसी कोई शर्त है कि रुपया पूर्वी अफ्रीका में ही लगाना होगा ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यह कानून नहीं है लेकिन व्यापार के सामान्य नियमों के अनुसार यह आवश्यक है कि किस्तें इक्ट्ठी की जायें और पकने के बाद वापसी भुगतान किये जायें। इसलिए पूर्वी अफ्रीका में ही कुछ रिजर्व रखना जरूरी होता है । इसके अलावा भारतीयों की भी यह धारणा थी कि सद्भावना उत्पन्न करने के लिए कुछ रकम हम पूर्वी अफ्रीका में ही लगायें क्योंकि हमें पूर्वी अफ्रीका से किस्त की बहुत बड़ी रकम मिल रही है ।

†**श्री बासप्पा** : पूर्वी अफ्रीका से बीमे की कुल कितनी रकम वसूल हुई ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मुख्य प्रश्न निवेश के सम्बन्ध में है । जीवन बीमा निगम ने कुल १,४९,३८,३५२ रुपये ८३ नये पैसे का निवेश और खरीद किया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुख्य प्रश्न निवेश के सम्बन्ध में है, न कि किस्तों से आय के सम्बन्ध में ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जी हां ।

†**श्री पट्टाभिरामन्** : जो रुपया लगाया जाता है उसकी जांच के लिए कोई निरीक्षक दल होता है या दूतावास अधिकारियों की राय से हम चलते हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : निश्चय ही, जीवन बीमा निगम निवेशों के बारे में बहुत सावधान रहता है और वह इस बात की पूरी सावधानी बरतता है कि निवेश उचित मार्ग से हो ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : जिन लोगों ने पूर्वी अफ्रीका में अपना बीमा कराया है क्या उनके बीमे की किस्तें भारत से जमा करायी जा सकती हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मुख्य प्रश्न किस्तों के सम्बन्ध में नहीं है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : यहां से हांगकांग तथा दूसरी जगहों को रुपया भेजने में उन्हें कठिनाई होती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुख्य प्रश्न केवल निवेश के सम्बन्ध में है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या इन निवेशों का कुछ हिस्सा पूर्वी अफ्रीका की उन चाय कम्पनियों में है जिन्होंने अपना व्यापार भारत से पूर्वी अफ्रीका में स्थानांतरित कर दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : निवेशों का कुछ हिस्सा प्रतिभूतियों में है । लेकिन उनका ब्यौरा मेरे पास यहां नहीं है ताकि मैं माननीय सदस्य को उनके बारे में बता सकूं ।

†**श्री प्रभात कार** : पूर्वी अफ्रीका में आय की तुलना में ये निवेश कितने प्रतिशत है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यह काफी अनुपात में है । यह जीवन बीमा विनियोग की स्थापना से अब बढ़ गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : किस्त आदि के तौर पर कुल कितनी प्रतिशत आय का निवेश किया जाता है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्ह** : मेरे पास यहां केवल निवेश के आंकड़े हैं । जीवन बीमा निगम को किस्त की कुल कितनी रकम दी गयी है इस बारे में अभी यहां मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री को इस स्वाभाविक प्रश्न की उम्मीद रखनी चाहिये थी कि हमारी कितनी आय का निवेश होता है और क्या उसमें उचित सन्तुलन है ।

†**श्री विभूति मिश्र** : मैं ने अपने प्रश्न के बी० पार्ट में यह पूछा है :—

"उससे वार्षिक आय"

मैं जानना चाहता हूं कि सालाना कितनी आमदनी होती है ? मेरे इस प्रश्न का जवाब मिलना चाहिए ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं ने माननीय सदस्य के प्रश्न के जवाब में बतलाया है कि ८.८१ लाख रुपये की आमदनी होती है ।

†**श्री मो० ब० ठाकुर** : ये निवेश विदेशी फर्मों या भारतीय फर्मों में किये जाते हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : प्रत्याभूतियों की खरीद के रूप में भारतीय फर्मों और विदेशी फर्मों दोनों में ही निवेश किया जाता है ।

कोयला धोने के सरकारी कारखानों के लिये "बंकर"

†*१६५९. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला धोने के सरकारी कारखानों में कोयले के रखने-रखाने की प्रक्रिया का यंत्रीकरण करने और वैगनों की जल्दी जल्दी निकासी के लिए कोष्ठों (बंकर्स) की व्यवस्था करने की प्रस्थापना पर विचार किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) और (ख). मशीनों के जरिये माल-डिब्बों में धोया कोयला लादने के लिए डुगडा, भोजूडीह और पथेरडीह कोयला धोने के कारखानों में बंकर होंगे । ये कारखाने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा स्थापित किये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : मशीनों से लादने और उतारने के लिये ये बंकर कायम करके कितने मजदूरों पर असर पड़ेगा ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : इसमें सन्देह नहीं कि कर्मचारियों की बहुत बचत होगी लेकिन यह नहीं बताया जा सकता कि उसका ठीक ठीक अनुपात क्या होगा ।

†**श्री अंसार हरवानी** : क्या यह सच नहीं कि इस मशीनीकरण के कारण काफी संख्या में कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता क्योंकि यह नया काम शुरू किया जा रहा है और किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं करनी पड़ेगी । यह एक नई परियोजना है और इससे कुछ कर्मचारियों को काम मिलेगा । इसमें छंटनी का कोई सवाल नहीं है ।

पंजाब में सेवाओं का एकीकरण

+

*†१९६१. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
ज्ञानी गु० सि० मुसाफिर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में सेवाओं के एकीकरण का कार्य अभी तक समाप्त नहीं हुआ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसे पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि भूतपूर्व पटियाला तथा पूर्वी पंजाब रियासती संघ के कर्मचारियों की वरिष्ठता के निर्धारण के सम्बन्ध में अपीलें सुनने के लिए नियुक्त की गयी सलाहकार समिति ने यह सिफारिश की थी कि प्रत्येक पदाली की वरिष्ठता अलग से निर्धारित की जाये;

(घ) क्या यह भी सच है कि अन्य राज्यों में इस सिद्धान्त का पालन किया जाता है;

(ङ) क्या सरकार ने भूतपूर्व पटियाला तथा पूर्वी पंजाब रियासती संघ के कर्मचारियों की, उनकी वरिष्ठता के निर्धारण के बारे में अपीलों पर विचार कर लिया है; और

(च) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६१]**

(घ) वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए दूसरे राज्यों में सामान्यतया जो सिद्धान्त स्वीकार किया जाता है वह बराबर की ग्रेड में निरन्तर सेवा की अवधि है ।

(ङ) जी, हां ।

(च) संलग्न विवरण में भाग (ख) और (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, अब मंजूर किये गये सूत्र के आधार पर, केन्द्रीय मंत्रणा समिति द्वारा अनुमोदन के बाद, वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए कार्यवाही की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या यह सच है कि एकीकरण से पहले इन दोनों राज्यों के मुख्य मंत्री प्रत्येक पदालि के आधार के पक्ष में थे ? यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने मंत्रणा समिति की राय क्यों नहीं मानी ?

†**श्री दातार** : यह तय किया गया था कि कुछ सिद्धान्त अपनाये जायें । यह तो राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया था कि एकीकृत वरिष्ठता सम्बन्धी वास्तविक नियम वे तैयार करें । जब कुछ कठिनाइयां महसूस हुईं तब इस प्रश्न पर चर्चा की गयी और पंजाब के बारे में एक स्वीकृत सूत्र बनाया गया ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : इन सूत्रों से जिन भूतपूर्व पेप्सू कर्मचारियों पर गहरा असर पड़ा है, क्या उनकी राय पर गौर किया गया है ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : कितने कर्मचारी पेप्सू के इस प्रकार के थे जिन्होंने कि केन्द्रीय सरकार को आवेदन-पत्र दिया था कि उनको सर्विसेज़ में खपाया जाय, मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक कितने शेष हैं जोकि नहीं लिये जा सके हैं ?

†**श्री दातार** : गजेटेड और नान-गजेटेड, दोनों ही प्रकार के भूतपूर्व पेप्सू सरकारी कर्मचारियों से काफी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे । इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किसी सम्बन्धित पदाधिकारी के प्रति अन्याय या उसे कठिनाई न हो, इस प्रश्न पर विचार करना था ।

†**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : संख्या उनकी कितनी है यह मैं जानना चाहता था ?

†**श्री दातार** : मैं एकायक उत्तर नहीं दे सकता ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि भूतपूर्व पेप्सू राज्य के सुपरिन्टेन्डेन्ट अब भी सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं जब कि भूतपूर्व पंजाब राज्य के क्लर्कों को पंजाब में असिस्टेंट बना दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इस सूत्र के फलस्वरूप यह अन्याय दूर किया जायेगा ?

†**श्री दातार** : केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड द्वारा स्वीकार किये जाने के बाद ही, जहां आवश्यक होगा पुनर्विचार के बाद भी, निर्णय किये जायेंगे ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या सरकार यह सूत्र भूतकाल से लागू करेगी ताकि पहले किया गया अन्याय अब दूर किया जा सके ?

†**श्री दातार** : इस विशिष्ट सूत्र का यही उद्देश्य है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या सरकार राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा ४७ के अधीन पंजाब सरकार को मंत्रणा समिति की राय मंजूर करने के लिये हिदायत जारी करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

†**श्री दातार** : यह सूत्र सभी राज्यों के लिए एक सा है और उन्होंने सामान्य रूप से यह स्वीकार कर लिया है और वे उसे कार्यान्वित कर रहे हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जैसा कि अभी आपने बताया कि दूसरे राज्यों ने स फार्मूले को स्वीकार कर लिया है तो पंजाब गवर्नमेंट को एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशों को मानने में क्या कठिनाई आई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): यह मसला काफी मुश्किल है और बहुत टेढ़ा है, और जब भी दो स्टेट्स मर्ज हुई हैं तो सर्विसेज का सवाल कोई बहुत सुविधा और सहूलियत के साथ हल नहीं हुआ है। यहां पर भी पहले तो ऐसा लगा कि फैसला हो जायेगा आपस में और इतना ही नहीं हुआ कि दो गवर्नमेंट्स, बल्कि दो कमेटीज मुकर्रर की गयीं, एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन के चेयरमैन के सभापतित्व में सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी जिस ने कि सारे गजेटेड अफसरान के बारे में विचार किया और एक कमेटी पंजाब पब्लिक सर्विस कमिशन के चेयरमैन के सभापतित्व में कायम की जिस ने कि सारे नान गजेटेड अफसरान के बारे में विचार किया। मैं हाउस का ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं और सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस मसले पर कुछ समय जरूर लगा है लेकिन इस समय जो रास्ता निकला है उस से यह मालूम होता है कि दोनों पेप्सू और पंजाब के गजेटेड और नान गजेटेड अफसरान को इस से संतोष होगा। आप ऐसा न समझें कि इस में केवल पेप्सू का सवाल है। इस में पंजाब के भी गजेटेड और नान गजेटेड अफसर यह चाहते हैं कि वह किसी तरीके से पीछे न पड़ जायें। उनका एक संतुलन निकालना है। मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर को खत लिख रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि यह मसला जल्दी हल हो जायेगा।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त**: विवरण से यह दिखायी पड़ता है भारत सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार की और उस आधार पर आर्डर पास कर दिये और राज्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों पर पास किये गये आर्डर रद्द कर दिये गये। इसलिए मंत्रणा समिति द्वारा पास किये गये आर्डर रद्द कर देने के क्या कारण थे?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री**: बात यह है कि यहां दो समितियां थीं। केन्द्रीय मंत्रणा समिति ने राज्य मंत्रणा समिति की राय स्वीकार नहीं की। ये पूर्णतः सरकारी समितियां थीं जिन के सभापति केन्द्रीय और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। उन दोनों में परस्पर मतभेद था और अब एक समझौता करने की कोशिश की जा रही है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त**: नये स्वीकृत सूत्र का ब्यौरा क्या है?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री**: ब्यौरा बताने में काफी समय लगेगा।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़**: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए जो प्रतिशत रक्षित रखा गया था, उसे कायम रखने की ओर सरकार ने ध्यान दिया है?

†**श्री दातार**: यह प्रश्न इस से उत्पन्न नहीं होता। इसलिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कोई कोटा सुरक्षित नहीं रखा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा खनन निगम

†*१६६२. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार उड़ीसा खनन निगम में और पूंजी लगाने के लिए अब सहमत हो गयी है ;

(ख) क्या उड़ीसा राज्य की सरकार के साथ इस बारे में अन्तिम रूप से कोई समझौता हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निश्चय किया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग) : उड़ीसा खनन निगम की आवश्यकताओं के अनुमान के आधार पर निगम की हिस्सा ूंजी में रुपया लगाने के लिए १९६१-६ : वे : ह पहले ही की जा चुकी है । यदि निगम को और अधिक धन की जरूरत हो तो उचित समय पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : भारत सरकार ने इस उड़ीसा खनन निगम में अभी तक कुल कितनी रकम लगायी है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : पहली बार, १५ लाख रुपये बिक्री पूंजी थी और उसका ५० प्रतिशत अर्थात् ७ 1/2 लाख रुपये भारत सरकार ने निदेश किये हैं । दूसरे ५ वर्षों में हम लगभग १७.८४ लाख रुपये का निदेश करने वाले हैं ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा खनन निगम को इतनी सहायता देने का निश्चय किया है कि उसकी कार्यप्रणाली में सुधार हो सके ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : जब हम ने धन दिया है, तब निगम की जरूरतों का पूरा-पूरा अनुमान लगाने के बाद ही दिया है । इसलिए केन्द्रीय सरकार ही सारी सहायता दे रही है ।

†**श्री ब० द० पांडे** : इसका क्या कारण है कि इस मामले में सरकार का निदेश ४९ प्रतिशत होगा और नियंत्रण प्राइवेट कंपनी के हाथ में होगा जब कि सरकार हमेशा नियंत्रण रखने के उद्देश्य से ही निदेश करती है और यह उसकी सामान्य नीति से अलग है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : शायद माननीय सदस्य इसे गलती से बोलानी आयरन ओर्स समझ रहे हैं । यह उड़ीसा खनन निगम है । इस में ५० प्रतिशत राज्य सरकार का और उतना ही केन्द्रीय सरकार का है ।

†**श्री मुरारका** : मैं नहीं समझ सका । माननीय सभा-सचिव ने बताया कि इस निगम में सरकार ने कुल ७.५ लाख रुपया लगाया है । क्या बाकी रकम कर्ज के तौर पर दी गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : मैंने कहा कि पहली बिक्री पूंजी १५ लाख रुपये है जिस में से ७.५ लाख रुपया दिया गया था । १७.८४ लाख रुपये के केन्द्रीय सरकार के अंशदान को ओर व्यवस्था है । इसलिए कुल निदेश ७.५ लाख रुपये और १७.८४ लाख पये होगा ।

†श्री मुरारका : क्या ऋण दिया गया है या कुल निदेश ७.५ लाख रुपये है ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : वह कुल निदेश है ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य शायद यह जानना चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई ऋण भी दिया गया है या नहीं ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : केन्द्रीय सरकार से पेशगी या ऋण के तौर पर कोई दूसरा निदेश नहीं है ।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : उड़ीसा खनन निगम की कार्य-प्रणाली में सुधार करने के लिए भारत सरकार से कोई सुझाव आया है । क्या उस निगम ने क्रोमाइट के पट्टे के लिए आवेदन-पत्र दिया है जो खनन निगम को नहीं दिया गया है बल्कि गैर-सरकारी खान मालिक को दिया गया है ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, हमें पूर्ण संतोष है कि वह ठीक ढंग से काम कर रहा है । जहां तक दूसरे भाग का संबंध है, मुझे सूचना की आवश्यकता है ।

†श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी : उड़ीसा खनन निगम के अध्यक्ष कौन हैं ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : रिपोर्ट पुस्तकालय में रखी गयी है । माननीय सदस्य सब ब्यौरे वहां देख सकते हैं ।

मोती बाग महल, पटियाला

+

†*१६६३. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
ज्ञानी गु० सिं० मुसाफिर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार राष्ट्रीय खेल कूद संस्था की स्थापना के लिए पंजाब सरकार से पटियाला स्थित मोती बाग महल खरीद रही है; और

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) २६.७० लाख रुपये की लागत से खरीदना मंजूर किया गया है । इसी रकम पर पंजाब सरकार ने पहले सम्पति खरीदी थी ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने यह महल न खरीदने की सलाह पंजाब सरकार को दी थी? यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार अब यह महल क्यों खरीद रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं यह सचमुच नहीं समझ सकता कि केन्द्रीय सरकार पंजाब सरकार को यह महल न खरीदने की सलाह क्यों दे। यह केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य नहीं है कि

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि पहले किसी समय केन्द्रीय सरकार ने यह सम्पति न खरीदने की सलाह पंजाब सरकार को दी थी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुझे जानकारी नहीं है। मेरा मंत्रालय का इससे कोई संबंध नहीं है। मैं नहीं समझ पाता कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से क्यों सलाह मांगती है और केन्द्रीय सरकार पंजाब सरकार को वह संपत्ति न खरीदने की सलाह क्यों दे. जो भी हो, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : जब पेप्सू पंजाब के साथ मिलाया जा रहा था तब एक बड़ी उत्तेजना थी। लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठायी और इस पर केन्द्रीय सरकार ने सम्पत्ति न खरीदने की सलाह दी।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने बताया है कि उन्हें जानकारी नहीं है। इसलिए यह अनावश्यक है। जहां तक उनका संबंध है, उन्हें मालूम नहीं कि कोई बातचीत हुई या नहीं और वे उसकी संभावना भी नहीं समझते।

†**श्री अंसार हरवानी** : सब जगहों में से पटियाला ही इस इंस्टीट्यूट के लिये क्यों चुना गया और बंगलौर जैसी दूसरी जगहें क्यों नहीं चुनी गयीं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सरकार ने सभी राज्य सरकारों को लिखा है । जिस समिति ने स्थान का चुनाव करना था उसने इन सभी जगहों की छानबीन की और यह देखा गया कि राष्ट्रीय खेलकूद संस्था के लिए पटियाला सर्वोत्कृष्ट स्थान था। इसलिए खेलकूद परिषद् की सिफारिश से यह निर्णय किया गया।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि जब केन्द्रीय सरकार इस प्रकार की सम्पत्तियों की खरीद करती है, तो क्या उसके सम्बन्ध में कुछ नियम है कि वह सम्पत्ति कितनी पुरानी है और उसका कितना ह्रास हो चुका है और क्या सरकार ने इस प्रकार के टक्नीशन्ज से सम्मत्ति ली थी कि इस भवन का जो मूल्य दिया जा रहा है, वह उचित है ? यदि हां, तो उसने क्या सम्मत्ति दी थी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मैं निवेदन कर चुका हूं कि यह प्रापर्टी सैंट्रल गवर्नमेंट ने सीधी महाराजा से नहीं खरीदी। यह प्रापर्टी पंजाब गवर्नमेंट ने महाराजा पटियाला से खरीदी और जहां तक सैंट्रल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हमने इस को स्टेट गवर्नमेंट से खरीदा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य केवल यह जानना चाहते हैं कि जब कभी केन्द्रीय सरकार कोई खरीद करना चाहती है तो क्या वह कोई अनुमान लगाती है और देखती है कि मूल्य उचित है या नहीं या जो कुछ मांगा जाना है वह दे देती है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : अभी कुछ महीने पहले ही राज्य सरकार और महाराजा पटियाला के बीच सौदा हुआ। जहाँ तक केन्द्रीय सरकार और खेलकूद संस्था का संबंध है उन्हें संतोष था कि जो कीमत वह दे रहे हैं उचित है। जब राज्य सरकार ने ही यह सौदा तय किया था तब इन सब ब्यौरों की छानबीन करना उसने आवश्यक नहीं समझा।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि राष्ट्रीय खेलकूद परिषद् के प्रधान महाराजा पटियाला के सम्बन्धी हैं? वह उनके छोटे भाई हैं।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : ये किस किस्म के प्रश्न पूछे जा रहे हैं? राष्ट्रीय खेलकूद परिषद् के प्रधान महाराजा पटियाला स्वयं हैं। मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य अखिल भारतीय ओलम्पिक संस्था का उल्लेख कर रहे हैं जिसके प्रधान महाराजा पटियाला के छोटे भाई श्री बालेन्द्र सिंह हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि भारतीय ओलम्पिक संस्था और राष्ट्रीय खेलकूद परिषद् और इस महल की खरीद का आपस में क्या सम्बन्ध है?

†**अध्यक्ष महोदय** : स्पष्टतः, माननीय सदस्य यह बात कहना चाहते हैं कि खेलकूद परिषद् के प्रधान भी वही हैं, जिनकी कि सम्पत्ति खरीदी गयी है। माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि उस व्यक्ति के साथ कोई सौदा करते समय, जो सलाह देने वाला हो, सामान्य अवसरों से अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा था कि खेलकूद परिषद् की सलाह पर यह सम्पत्ति खरीदी गयी थी। अगर उस व्यक्ति का, जिससे यह सम्पत्ति खरीदी गयी है, खेलकूद परिषद् में असाधारण प्रभुत्व हो, तो इस सलाह का क्या लाभ है? माननीय सदस्य वस्तुतः यह बात कहना चाहते हैं। (**अन्तर्बाधाएं**)

यह कोई सीधी सी बात नहीं है। माननीय मंत्री महोदय को यह कहना चाहिए कि इसके बावजूद उनको सलाह देने के लिए एक स्वतन्त्र परिषद् थी जिसने इस मामले की जांच की और कोई भी व्यक्ति वहां पर सभापति के होने के बावजूद प्रभावित नहीं हुआ। सदस्यगण इस प्रकार के उत्तर की आशा करते हैं। २६ लाख रु० कोई साधारण रकम नहीं है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यदि सरकार किसी सम्पत्ति को खरीदना चाहे तो आखिर कोई राह तो निकालनी ही पड़ेगी। इस मामले में यह सम्पत्ति राज्य सरकार से खरीदी गयी है। यह एक बड़ी विचित्र सी बात होगी कि केन्द्रीय सरकार एक राज्य सरकार का विश्वास भी न करे। इस सम्पत्ति को पहले केन्द्रीय सरकार ने नहीं खरीदा बल्कि इसे पहले राज्य सरकार ने खरीदा था। आखिर उस राज्य सरकार पर, जिसने इसे खरीदा था, कुछ विश्वास तो करना ही पड़ेगा। यदि केन्द्रीय सरकार एक राज्य सरकार पर भरोसा नहीं कर सकती तो यह एक बड़ी असामान्य सी बात होगी। पूर्ण सम्मान से मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तो एक प्रकार का आरोप है। मैं यह समझता हूं कि यह बड़ा अनुचित है। यदि माननीय सदस्य को सम्पत्ति के मूल्य के बारे में कोई शक है तो उन्हें तथ्य पेश करने चाहिएं। मैं पूरी जांच करवाऊंगा। मैं इस

---

†मूल अंग्रेजी में

मामले की पूरी जांच कराने और आवश्यक कार्यवाही करने को तैयार हूं। किन्तु पूरी तरह से तहकीकात तथा जांच किये बिना यह कहना अनुचित है कि...

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : एक औचित्य प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। मैं उन्हें इस पूरे सत्र में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा। माननीय मंत्री महोदय को इस प्रकार टोकने का क्या लाभ है ? माननीय सदस्यों को धीरज रखना चाहिए। माननीय सदस्य को, जिनका सम्बन्ध दक्षिण भारत से है, जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है माननीय मंत्री को इस प्रकार टोकने का और बीच में बोलने का क्या प्रयोजन है ? माननीय मंत्री ने इस प्रकार के आरोप के प्रति आपत्ति प्रकट की है और कहा है कि यह उचित नहीं है। मैंने अभी उन्हें यह कहा है कि इसे आरोप के रूप में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि यह एक बहुत बड़ी रकम का मामला है।

†**श्री राम नाथन् चेट्टियार** : मेरा औचित्य प्रश्न ठीक यही है, श्रीमन्।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह चाहे कुछ भी हो। यह सच है। किन्तु उन्हें माननीय मंत्री को इस प्रकार टोकना नहीं चाहिए था। मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा। माननीय सदस्य को धीरज से प्रतीक्षा करनी चाहिए। दूसरों के मामले में जल्दबाजी से हस्तक्षेप करने से अच्छी बातें भी बिगड़ जाती हैं।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या माननीय मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि पंजाब सरकार द्वारा मोतीबाग महल के खरीदे जाने से पहले लोक निर्माण विभाग ने अनुमान लगाया था कि इस महल का मूल्य ६७ लाख रु० है और इसके पश्चात् यह कीमत ३५ लाख रु० की गयी जिसकी अदायगी किश्तों में की जानी थी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहां तक मुझे पता है, पंजाब सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, कि इस सम्पत्ति की खरीद उचित दाम पर की जाये, सभी आवश्यक कदम उठाये थे। यह बहुत बड़ी सम्पत्ति है। यह ठीक है कि इसका मूल्य २६ लाख रु० है किन्तु इसमें बहुत से कमरे हैं और यह महल ३०० एकड़ भूमि पर स्थित है। निश्चित रूप से सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि वह इसकी ठीक कीमत ही दें। किन्तु इसके साथ ही साथ यदि माननीय सदस्य को इस मामले में कोई शक हो तो वह इस बात को मेरे ध्यान में ला सकते हैं और मैं उसकी जांच करूंगा। जब तक माननीय सदस्यों के पास कोई ठोस तथ्य न हों, तब तक इस सौदे के बारे में शक करना उचित नहीं अथवा इस खरीद के बारे में आरोप लगाना ठीक नहीं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : राष्ट्रीय खेलकूद परिषद् की अधिकांश वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। क्या मैं जान सकती हूं कि कुल कितना आवंटन किया जाता है और क्या इस महल की खरीद के लिए कोई विशेष अनुदान दिया गया है?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस सम्पत्ति की कुल लागत २६.७० लाख रु० है। इस रकम में से राष्ट्रीय खेलकूद पलिषद को पंजाब सरकार को पहली किस्त अदा करने के लिए ५ लाख रु० दिये गये हैं और शेष कीमत की अदायगी तीसरी योजना की अवधि में प्रति वर्ष २ लाख रु० के हिसाब से की जायेगी तथा शेष ११.७० लाख रु० की अदायगी राज्य सरकार को चौथी योजना की अवधि में की जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मेरा प्रश्न कुछ और था। राष्ट्रीय खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिये जो कुल आवंटन किया जाता है उसके अनुपात में यह पूंजीगत अनुदान कितने प्रतिशत होगा ? मैं जानना चाहती हूं कि क्या इसका बहुत सा हिस्सा इमारत पर लग जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हमारे पास लगभग २ करोड़ रु० की व्यवस्था है। मैं यह बात अपनी स्मृति के आधार पर कह रहा हूं। किन्तु योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। योजना के अन्तिम रूप से तैयार होते ही, हम माननीय सदस्य को ठीक राशि की जानकारी दे सकेंगे। हमने लगभग २ करोड़ रु० की व्यवस्था की है।

†**सरदार हुक्म सिंह** : क्या यह सच है कि इस महल के साथ संलग्न भूमि का मूल्य इतना है जितना कि पंजाब सरकार को दिया गया है ? क्या यह भी सच है कि पंजाब सरकार इस भूमि को और इस महल को पंजाब विश्वविद्यालय के लिये लेना चाहती है, यदि केन्द्रीय सरकार इसे लौटाने को तैयार हो ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : काफी कार्रवाई के पश्चात् हम पंजाब सरकार को इस बात पर राजी कर पाये थे कि वह हमें इस स्थान को दे दे। वास्तविकता यह है कि हमने उन्हें लिखा था कि हमें खेलकूद संस्था स्थापित करने के लिये हर प्रकार की सुविधायें मिलनी चाहियें क्योंकि खेलकूद परिषद् का मत यह था कि यह स्थान प्रत्येक दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है। यह सौदा सरकार और जनता दोनों के हित में था। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई खराबी है। यदि माननीय सदस्यों को इस बारे में कोई सन्देह हो, तो वे इसे मेरे पास ला सकते हैं, मैं निश्चित रूप से उसकी जांच कराऊंगा।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : इस से पहले कि आप दूसरे प्रश्न पर जायें, मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं। आपके द्वारा एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दिये जाने के पश्चात्, मंत्री महोदय ने यह कहा था : ये किस किस्म के प्रश्न पूछे जा रहे हैं ? क्या माननीय मंत्री जी का उस प्रश्न के बारे, जिसको पूछने की आपने अनुमति दे दी हो, ऐसा कहना उचित है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : वह प्रश्न महाराजा पटियाला के बारे में था। इस का भारतीय ओलम्पिक संस्था के प्रधान श्री बालेन्द्र सिंह के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था। इसका इस सम्पत्ति की खरीद के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था। इसीलिये मैंने यह कहा था कि यह प्रश्न असम्बन्धित है . . . (**अन्तर्बाधाएं**)

† **अध्यक्ष महोदय** : कोई भी माननीय सदस्य यह कह सकता है कि मुझे अमुक अनुपूरक प्रश्न को अनुमति नहीं देनी चाहिये थी। उन्हें निश्चित रूप से यह कहने का अधिकार है कि कोई मूल प्रश्न भी नियम-विरुद्ध है। अतः जब कोई अनुपूरक प्रश्न पूछा जाता है तो कोई भी माननीय सदस्य यह कह सकता है कि यह मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। यह हो सकता है कि माननीय मंत्री महोदय इससे बेहतर शब्दों का प्रयोग कर सकते थे कि यह कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यह मेरा काम है कि मैं अनुमति दूं अथवा न दूं। जब मैं एक प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूं तो उन्हें यह नहीं कहना चाहिये। ये किस किस्म के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। खैर, माननीय मंत्री महोदय हमेशा बड़ी शालीन भाषा का प्रयोग करते हैं और यदि कहीं कोई चूक हो जाये तो कोई बात नहीं। यह बात उन्होंने अपनी भाषा में सोची होगी और अंग्रेजी में उसका अनुवाद कर दिया होगा।

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा के धर्मनगर के सब-ट्रेजरी में गबन

†*१६६४. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के धर्मनगर सब-डिवीजन की धर्मनगर सब-ट्रेजरी (उप खजाना दफ्तर) का खजानची वहां से एक लाख रुपया लेकर भाग गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). पिछले मार्च के महीने में त्रिपुरा में धर्मनगर उप-राजकोष में ९८,५६६.२३ रु० कम होने की सूचना मिली थी। जांच करने पर पता चला कि इस कमी के लिये उस राजकोष एक पोतदार जिम्मेदार था। यह पोतदार पूर्व पाकिस्तान भाग गया है जहां पर उसे पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रेतर जांच चल रही है।

†**श्री बांगशी ठाकुर** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि उपरोक्त खजानची, जो पिछले दस वर्षों से भारत सरकार की नौकरी कर रहा था, इतनी बड़ी रकम का गबन करने के पश्चात् पाकिस्तान जा सकता है और अपने आप को पाकिस्तानी घोषित कर सकता है ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उसकी नियुक्ति से पहले पुलिस द्वारा उचित रूप से जांच की गयी थी और यदि हां, तो पुलिस ने क्या जांच की थी ?

†**श्री दातार** : सरकार ने सभी आवश्यक कदम उठाये हैं। खजाने के दो अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां तक इस पोतदार का सम्बन्ध है वह पाकिस्तान भाग गया था और वहां पर उसे पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे भारत में लाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

†**श्री बांगशी ठाकुर** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने इस व्यक्ति को योसा एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार किया है जिसका अर्थ है कि उसे त्रिपुरा पुलिस अर्थात् भारतीय पुलिस के हवाले नहीं किया जायेगा ? यदि हां, तो इसके लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**श्री दातार**: मैं आप को केवल यह जानकारी दे सकता हूं कि दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अर्थात् उप-राजकोष अधिकारी को तथा उप-खजानची को। यह पोतदार अब पाकिस्तान में है। उसे पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का कहना है कि उसे वहां के नजरबन्दी कानून के अधीन नजरबन्द किया गया है।

†**श्री दातार** : सरकार पाकिस्तान सरकार के साथ इस मामले के बारे में बातचीत करेगी।

†**श्री दशरथ देब** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि यह पोतदार गबन के मामले का पता चल जाने के बाद भी दो दिन तक धर्मनगर में रहा और यदि हां, तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया ?

†**श्री दातार** : सरकार ने तुरन्त ही हिसाब किताब की सारी किताबों को अपने हाथ में ले लिया और उनमें यह देखा गया कि हिसाब किताब एक विशेष तिथि तक बिल्कुल ठीक है। इस के

---

†मूल अंग्रेजी में

बाद आठ दस दिन का हिसाब ठीक नहीं था। किन्तु इसके बाद वह पोतदार पाकिस्तान भाग गया जहां पर उसे पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य जांच भी की जा रही है।

†**श्री दशरथ देव** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि न केवल अधिकारियों ने बल्कि कुछ अधिकारियों की पत्नियों ने भी खजाने से रुपया निकालने के लिये स्लिपें जारी की थीं और क्या जांच के समय ये स्लिपें मिली थीं ?

†**श्री दातार** : मैं माननीय सदस्य से कुछ समय के लिये धीरज रखने का अनुरोध करूंगा जब तक कि जांच पूरी न हो जाये।

†**श्री दशरथ देव** : क्या अधिकारियों की पत्नियों द्वारा खजाने से रुपया निकालने के लिये भेजी गयी स्लिपें मिली हैं।

†**श्री दातार** : यह बात भी एक गम्भीर अनियमितता है।

नूनमती के तेलशोधक कारखाने के उपोत्पाद

†*१६६५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**: क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नूनमती के तेलशोधक कारखाने के उपोत्पादों का उपयोग करने सम्बन्धी योजना अन्तिम रूप से तैयार कर ली गयी है ;

(ख) क्या इस योजना में पेट्रो-गैस और पेट्रो-कोक का उत्पादन भी शामिल है ; और

(ग) इस योजना का ब्योरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) अभी तक नहीं।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : पिछले महीने एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि कलकत्ता की दो बड़ी औद्योगिक संस्थानों, पी० जे० बी० इन्डस्ट्रीज और इन्डन ब्रदर्स, को इन तेलशोधक कारखानों के उपोत्पादों से फर्नेस ब्लैक और पोलीथिलीन का निर्माण करने के संयंत्र लगाने के लिये लाइसेंस दे दिये गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि अब यह कैसे कहा जा रहा है कि कोई योजना तैयार नहीं की गयी।

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : वह उत्तर प्राकृतिक गैस के उपयोग के आधार पर था और इस प्रश्न का सम्बन्ध 'रिफाइनरी' गैस से है। दोनों चीजें बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या रिफाइनरी गैस के इन उपोत्पादों के निर्माण के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र की संस्थानों से कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : उपलब्ध जानकारी के अनुसार एक पार्टी से पेट्रोलियम कोक से चूना बनाने के लिये लाइसेंस प्राप्त करने के लिये एक आवेदन पत्र मिला है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या नूनमती से प्राप्त होने वाली गैस का कोई अनुमान लगाया गया है और यदि हां, तो कितना और इसका उपयोग किस प्रकार किया जायेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : नूनमती तेलशोधक कारखाने के उत्पादन की रूप रेखा का ब्योरा सभा में दिया जा चुका है । प्रयोग किये जाने वाले उत्पादों के अतिरिक्त गैस, गंधयुक्त पदार्थ और कोक, इन तीन उपोत्पादों के उत्पादन की सम्भावना है । अनुमान है गैस का उत्पादन सम्भवतः ३१.५ यूनिट होगा ।

दक्षिण भारत में हिन्दी विश्वविद्यालय

*१६६६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण भारत में एक सर्वसाधन सम्पन्न हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना करने की मांग की जाती रही है ;

(ख) क्या इस बारे में किसी राज्य सरकार अथवा संस्था ने कोई ठोस सुझाव भेजे हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(घ) उनके बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) . एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

जनवरी १९६० में मैसूर राज्य सरकार ने यह सुझाव दिया था कि दक्षिण में यदि हिन्दी का एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जा सके तो इससे हिन्दी का प्रचार बहुत अच्छी तरह हो सकेगा । मैसूर सरकार ने यह आशा भी प्रकट की कि केन्द्रीय सरकार स्वयं दक्षिण में एक हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित करने का निश्चय करेगी । मैसूर सरकार ने यह सुझाव भी दिया कि यदि इस प्रस्ताव को अमल में लाने का निश्चय किया गया तो गुलबर्गा इस विश्वविद्यालय के लिए एक उपयुक्त स्थान होगा । राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया था कि इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । इस प्रस्ताव से संबंधित सामान्य प्रश्न पर अब विचार किया जा रहा है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस विवरण से यह पता लगता है कि मैसूर सरकार ने जो सुझाव दिया था उससे सम्बद्ध सामान्य प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि उस पर निर्णय करने से पहले किन किन बातों पर ध्यान रक्खा जायेगा और कब तक इस बारे में निर्णय हो सकेगा ।

डा० का० ला० श्रीमाली : सब से आवश्यक बात तो यह है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन से इस मामले में मश्वरा किया जाये क्योंकि जब भी कोई नई यूनिवर्सिटी स्थापित होती है तो उस के बारे में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन से सलाह ली जाती है । इसलिये उनसे परामर्श कर के फिर इस पर उचित कार्रवाई की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैसूर सरकार के अलावा क्या दक्षिण भारत के किसी अन्य राज्य ने, उदाहरणस्वरूप आंध्र प्रदेश, या केरल ने, या किसी और सार्वजनिक संस्था ने इस संबंध में कोई सुझाव केन्द्रीय सरकार को दिया है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यद्यपि और कहीं से कोई सुझाव नहीं आया है, लेकिन आंध्र प्रदेश से इस बारे में पहले चर्चा हुई थी और केन्द्रीय सरकार ने उनसे यह कहा था कि अगर वह उस्मानिया यूनिवर्सिटी दे दें तो उसमें वह हिन्दी यूनिवर्सिटी बनाने के लिये तैयार हैं। लेकिन आंध्र यूनिवर्सिटी इसके लिय राजी नहीं हुई, तो फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

श्री हेडा : हैदराबाद शहर के पास वातावरण अनुकूल होने के कारण क्या उस्मानियां यूनिवर्सिटी से अलग एक नई हिन्दी यूनिवर्सिटी की स्थापना हैदराबाद में नहीं हो सकती थी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : हैदराबाद गवर्नमेंट अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव रक्खे तो जिस तरह से मैसूर सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है उसी तरह से हैदराबाद के प्रस्ताव पर भी विचार किया जायगा।

†**श्री शिवनंजप्पा** : क्या मैं जान सकता हूं कि मैसूर सरकार की सही प्रस्थापना क्या है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : प्रस्थापना यह है। मैसूर सरकार ने सुझाव दिया कि दक्षिण भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित करना वांछनीय होगा जिसमें शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इस विश्वविद्यालय को गुलबर्गा में स्थापित किया जाये। जैसा कि मैंने बताया, इस प्रस्थापना की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से जांच की जा रही है।

†**श्री आचार** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस विश्वविद्यालय का स्वरूप क्या होगा ? क्या इसमें विभिन्न कालेज होंगे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैसूर सरकार ने तो एक सामान्य प्रस्थापना भेजी है। उसने कोई ब्योरेवार योजना तैयार नहीं की। जब इसके मुख्य सिद्धांत पर सहमति हो जायेगी तो मैसूर सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों मिल कर इसका ब्योरा तैयार करेंगी अर्थात् इस विश्वविद्यालय को कितनी धनराशि दी जानी है, उसमें केन्द्रीय सरकार का हिस्सा कितना होगा इत्यादि। अतः इन तमाम बातों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से जांच की जायेगी।

†**डा० मा० श्री० अणे** : इस विश्वविद्यालय का संचालन करने के लिये आवश्यक धनराशि के अतिरिक्त क्या मैं जान सकता हूं कि हिन्दी विश्वविद्यालय शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसका उद्देश्य हिन्दी का प्रचार तथा प्रसार करना है अथवा विश्वविद्यालय में हिन्दी को सभी विषयों की शिक्षा का माध्यम बनाना है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुख्य उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। मैसूर सरकार का मत है कि इस विश्वविद्यालय से हिन्दी के प्रचार में बड़ी सहायता मिलेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास के लिये कोयला

+

†*१६६७. { **श्री तंगामणि :**
श्री धर्मलिंगम् :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास ने वर्ष १९६१–६२ के लिये कोयले के अधिक आवंटन की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निश्चय किया गया है ; और

(ग) १९६०–६१ में वस्तुतः कितना संभरण किया गया था ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** :(क) और (ख) . राज्य सरकार से ईंटें तपाने के कोयले और पत्थर के कोयले (हार्ड कोक) के कोटे में वृद्धि करने का अनुरोध प्राप्त हुआ था किन्तु परिवहन संबंधी कठिनाइयों के कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा सका ।

(ग) १९६० में कुल ४१,११० माल डिब्बे भेजे गये और जनवरी तथा फरवरी, १९६१ के दौरान ७,४८२ माल डिब्बे भेजे गये ।

†**श्री तंगामणि** : क्या मैं जान सकता हूं कि सिंगरेनी में कोयले के २८ लाख टन के मौजूदा उत्पादन में से दक्षिण को, विशेषतः मद्रास राज्य को, कितना कोयला भेजा जाता है ? और क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस मात्रा में अब कोई वृद्धि हुई है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : सिंगरेनी में जितना कोयला प्राप्त होता है, वह सारा का सारा दक्षिण के राज्यों में वितरित कर दिया जाता है—आंध्र प्रदेश, मद्रास और मैसूर, और कुछ केरल को भी दिया जाता है । किन्तु उस कोयले के अतिरिक्त बहुत सा कोयला बंगाल-बिहार के कोयला क्षेत्रों तथा मध्य भारत के कोयला क्षेत्र से भी भेजना पड़ता है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या मैं जान सकता हूं कि मध्य भारत के कोयला क्षेत्रों और बंगाल-बिहार के कोयला क्षेत्रों से कुड्डालोर पत्तन तक कोयले का समुद्र के रास्ते जितना परिवहन किया जाता है, क्या उसकी मात्रा में वृद्धि की जायेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, समुद्र के मार्ग से जिस कोयले का परिवहन किया जायेगा वह बंगाल-बिहार के कोयला क्षेत्रों से होगा क्योंकि मध्य भारत के कोयला क्षेत्र से कोयले का परिवहन तो रेल द्वारा भी किया जा सकता है । यह ठीक है कि मद्रास राज्य तथा अन्य समुद्रवर्ती राज्यों की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति कोयले का समुद्र के रास्ते परिवहन करके की जायेगी ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या मैं जान सकता हूं कि कुल कितने कोयले की आवश्यकता है और वहां पर कोयले की कुल कितनी सप्लाई किये जाने की संभावना है ? यदि संभरण मांग से कम है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इससे मद्रास के उद्योगों को नुक्सान होगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मद्रास राज्य को काफी संभरण किया जाता रहा है । १९६० में मद्रास राज्य का कुल कोटा ४९,९५६ वैगन था । इसमें से ४१,११० वैगन सप्लाई किये गये । यह काफी ऊंचा प्रतिशत है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नरसिंहन्** : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि मद्रास के लिये भेजे गये कोयले के कुछ वैगन संबंधित लोगों के पास नहीं पहुंचे हैं और रेलवे भी यह बता नहीं सकी वे वैगन इस समय कहां हैं ? संबन्धित लोगों के पास केवल रेलवे रसीद ही पहुंची है। यह बात अभी हाल में हुई है। यदि यह बात सरकार के ध्यान में नहीं आयी, तो क्या वह इसकी जांच करेंगे ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यदि माननीय सदस्य मुझे इस मामले का ब्योरा देंगे तो मैं निश्चित ही इसके बारे में पता करूंगा।

†**श्री तंगामणि**: रेलवे आय-व्ययक पर होने वाले वाद-विवाद में बताया गया था कि परिवहन के बारे में कुछ कठिनाइयां हैं और कोयले के भंडार बनाने की एक प्रस्थापना है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार तीन मुख्य केन्द्रों, मद्रास, कोयम्बतूर और मदुराई में कोयले के भंडार बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है, ताकि कोयले का परिवहन आसानी से किया जा सके और वर्ष के लिये आवंटित कोयला उठाया जा सके ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है। इस पर विचार किया जायेगा।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : मद्रास राज्य को कुल कितने टन कोयले की आवश्यकता पड़ती है और कमी कितनी है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं इसके आंकड़े पहले ही दे चुका हूं। वर्ष १९६० के लिये मद्रास राज्य का कोटा ४९,९५६ वैगन थे। यदि इसको २२ से गुणा कर दिया जाये तो टन निकल आयेंगे।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सिंगरेनी से दक्षिण द्वारा कोयले की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है और यदि हां, तो यह कितना है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं यह बता चुका हूं कि वर्तमान कार्यक्रम सिंगरेनी के उत्पादन को दुगुना करने का है। यदि अग्रेतर जांच के फलस्वरूप यह पता लगा कि सिंगरेनी में और अधिक उत्पादन हो सकता है तो इस पर विचार किया जायेगा।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : मेरे प्रश्न का संबंध १९६१-६२ से था। मैं जानना चाहता था कि मद्रास को कुल कितने कोयले की आवश्यकता है और कितनी सप्लाई किये जाने की संभावना है ? किन्तु मंत्री महोदय ने १९६० के बारे में उत्तर दिया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : १९६१-६२ की आवश्यकताओं का सम्बन्ध भविष्य से है। मैंने पिछले वर्ष के कोटे से सम्बन्धित आंकड़े दिये हैं। मैं यह भी बता सकता हूं कि ३० मार्च, १९६१ को कोयला नियंत्रक और मद्रास सरकार के उद्योग-सचिव की एक बैठक कोयला और कोक के यातायात को युक्तियुक्त बनाने के बारे में चर्चा करने के लिए हुई, जिसमें निम्नलिखित निश्चय किये गये:—

(१) कोयला नियंत्रक मद्रास राज्य को प्रतिमास हार्ड कोक के ५० वैगनों को भेजने की व्यवस्था करेगा।

(२) राज्य सरकार पश्चिम बंगाल और बिहार कोयला क्षेत्रों से समुद्र के रास्ते प्रतिमास ६,५४६ टन कोयला लेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) मद्रास में राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित उद्योगों की कुल मासिक आवश्यकता ६४५ वैगन है जिसमें ३५० वैगनों की व्यवस्था उपरोक्त (१) और (२) में उल्लिखित तरीके से हो जायेगी।

'स्कल स्क्रेप' के निर्यात के लिये लाइसेंस

†*१६६८. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोहा और इस्पात नियंत्रक ने 'स्कल स्क्रेप' (रद्दी लोहे की एक किस्म) का निर्यात करने के लाइसेंस देना यकायक बन्द कर दिया है, यद्यपि जनवरी--जून १९६१ की रद्दी लोहे की निर्यात नीति में इस किस्म के रद्दी लोहे के निर्यात का, मात्रा सम्बन्धी किसी प्रतिबन्ध के बिना, प्रतिपादन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो लोहा और इस्पात नियंत्रक को किन कारणों से यह निश्चय करना पड़ा;

(ग) क्या रद्दी लोहे के निर्यातकों को लाइसेंस देना स्थगित करने के बारे में पर्याप्त समय पहले नोटिस दे दिया गया था ताकि रद्दी लोहे के निर्यात के बारे में उन्होंने जो वचन दे रखे हों उनको पूरा करने में उन्हें सुविधा हो, और जिससे कि निर्यात व्यापार के क्षेत्र में हमारी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बनी रहे; और

(घ) क्या 'स्कल स्क्रेप' के निर्यात के राइसेंस देना बन्द कर देने से, रद्दी लोहे के निर्यात से हमें जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है उस पर गम्भीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)**: (क) से (घ). स्कल स्क्रेप के निर्यात के लिए लाइसेंस देना बन्द नहीं किया गया। किन्तु ३१-३-१९६१ से यह निश्चय किया गया है कि निर्यातकों को पहले देश के उपभोक्ताओं को इस प्रकार का रद्दी लोहा (स्कल स्क्रेप) बेचने की पेशकश करनी चाहिए और यदि वे इसे लेना स्वीकार न करें, तभी उन्हें इसके निर्यात के लिए लोहा और इस्पात नियंत्रक से सम्पर्क कायम करना चाहिए। किन्तु यह बात उन मामलों पर लागू नहीं होती जिनमें निर्यात की अनुमति दी जा चुकी है अथवा जहां निर्यात करने के बारे में पक्के वचन दिये जा चुके हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह स्कल स्क्रेप क्या चीज है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : रद्दी लोहा, श्रीमन्।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसे स्कल स्क्रेप क्यों कहा जाता है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : रद्दी लोहा (स्क्रेप) दो किस्म का होता है। एक तो वह जो तैयार (फिनिश्ड) चीजों से प्राप्त होता है। उदाहरणतः, जब कोई प्लेट अथवा चक्राकार अथवा किसी अन्य चांज का उपयोग किया जाता है तो उसके कुछ टुकड़े बच जाते हैं जिनका उपयोग नहीं होता। यह सामान्य किस्म का रद्दी लोहा (स्क्रेप) होता है। स्कल स्क्रेप एक ऐसी किस्म का रद्दी लोहा है जो बिजली की भट्टियों अथवा बड़े इस्पात संयंत्रों से, जहां पर बड़े-बड़े डले डाले जाते हैं; प्राप्त होता है। वहां

---

†मूल अंग्रेजी में

पर कुछ द्रव्य साथ चिपक जाता है और इसमें से कुछ को उतार लिया जाता है। इसे स्कल स्क्रैप कहा जाता है।

†**श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत में स्कल स्क्रेप का कुल कितना उत्पादन और उपभोग होता है?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस स्क्रेप का अनुमान वार्षिक उत्पादन के आधार पर नहीं लगाया जा सकता । यह स्वाभाविक है कि हम कम से कम स्क्रेप पैदा करना चाहते हैं। किन्तु इसके बावजूद और हमारे सब प्रयत्नों के बावजूद कुछ न कुछ स्क्रेप का उत्पादन हो ही जाता है और हमारा दृष्टिकोण यह है कि इसका उपयोग देश में ही किया जाये और यदि इसका प्रयोग न हो सके तो हम इसका निर्यात करते हैं। यह एक सीधी सी बात है।

भारतीय वायुसेना द्वारा कानपुर में प्राप्त भूमि

†*१६६९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मवैया गांव, चकेरी, कानपुर में रहने वाले लगभग ६० परिवारों को वहां से निकाला जाना है क्योंकि कानपुर के वायुसेना के प्राधिकारियों द्वारा धावन-मार्ग (रनवे) का विस्तार करने के लिए उनकी जमीन अधिग्रहण कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें कोई वैकल्पिक जमीन दी जा रही है;

(ग) क्या उन्हें कोई मुआवजा दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये हैं?

†**प्रतिरक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़)**. (क) जी हां। किन्तु परिवारों की सही संख्या का पता नहीं है।

(ख) जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है अधिग्रहीत सम्पत्ति का केवल मुआवजा दिया जाता है। सामान्यतः वे लोग, जिनकी जमीन ली जाती है, स्वयं ही वैकल्पिक भूमि प्राप्त कर लेते हैं। कई मामलों में राज्य सरकार भी मदद करती है।

(ग) से (ङ). प्राप्त की गयी १३३.९७ एकड़ भूमि में से भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा ४१.५९ एकड़ भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है। शेष ९२.३८ एकड़ भूमि के बारे में अन्तिम फैसला नहीं हुआ। कलैक्टर से इस मामले को शीघ्र निपटाने के लिए कहा गया है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इन परिवारों को कुल कितना मुआवजा दिया गया है।

†**श्री फतहसिंह राव गायकवाड़** : इसका हमें पता नहीं। किन्तु स्थानीय कलैक्टरों को हमेशा यह अधिकार होता है कि वे प्रतिरक्षा सेवाओं के नाम रकम डाल दें।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय सभा-सचिव ने यह बताया है कि उन्हें परिवारों की सही संख्या का पता नहीं। क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने इस बारे में जिला

---

†मूल अंग्रेजी में

मैजिस्ट्रेट के साथ इस बारे में बात की है ताकि मुआवजा देने से पहले परिवारों की संख्या का सही पता लगाया जा सके? उन्हें मुआवजा किस प्रकार दिया जायेगा?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन)** : अधिग्रहण के सभी मामलों में, जमीन का अधिग्रहण तो केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है किन्तु मुआवजा राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। कलैक्टर जमीन का अधिग्रहण करता है और रकम का निर्धारण करता है। वह भारत सरकार के लेखे में से रुपया निकाल सकता है। यदि पुनर्वास के बारे में कोई कठिनाई हो, तो वे लोग राज्य सरकार से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। वैकल्पिक स्थान के बारे म यदि कोई जिम्मेवारी है, तो वह राज्य सरकार की है।

†**श्री म० रं० कृष्ण** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आन्ध्र प्रदेश के हाकिमपेट नामक स्थान में वायुसेना द्वारा ली गयी जमीन का मुआवजा दिया गया है? यह जमीन आठ वर्ष पहले प्राप्त की गयी थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय ने मुआवजे का फैसला करने के लिए कोई समय-सीमा निश्चित की है?

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक बिल्कुल अलग प्रश्न है।

दरंग-ताशिगांग राजपथ

+

†*१६७०. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती इलापाल चौधरी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूटान को जाने वाला एक दूसरा मुख्य राजपथ बनाने की, जिससे आसाम में दरंग और भूटान में ताशिगांग के बीच सम्पर्क स्थापित हो जाये, कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). यह जानकारी देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है।

पुरातत्व विभाग का शताब्दी समारोह

†१६७१. **श्री नरसिंहन्** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्व विभाग के शताब्दी समारोह में विदेशों से प्रतिष्ठित पुरातत्ववेत्ताओं को आमंत्रित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो किन व्यक्तियों को बुलाया जा रहा है और ये किन देशों के हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या उन से विशष व्याख्यान देने का अनुरोध किया जायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबीर)** : (क) जी, हां।

(ख) अभी सूची को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) जी, हां।

†**श्री नरसिंहन्** : क्या इन विदेशी विशेषज्ञों के साथ अनौपचारिक रूप से बैठने और भारत में पुरातत्व सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिये भारतीय पुरातत्ववत्ताओं को सुविधायें दी जायेंगी ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : इस समारोह का यही उद्देश्य है।

दिल्ली में विस्फोडक पदार्थों सहित एक व्यक्ति की गिरफ्तारी

+

†*१६७२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री आसर :
श्री उ० ला० पाटिल :
श्री राधा रमण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ९ अप्रैल, १९६१ को दिल्ली में जामा मसजिद के निकट एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास ९ किस्म के विस्फोटक पदार्थ थे, जिनमें पटाखे भी थे ; और

(ख) यदि हां, तो इसका व्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

उसके पास से निम्नलिखित सामान बरामद किया गया।

(१) टीन के डिब्बे में रखे हुए ७ छोटे गोले जिनका वजन ४ तोले से १६ तोले तक और आकार २"×१/२" से लेकर २१/२"×११/२" तक था ; और

(२) सन मे लिपटे हुए गोलाकार गोले जिनका व्यास लगभग ४" था और वजन लगभग ४० तोले से ४६ तोले तक था।

विस्फोट पदार्थ अधिनियम, १९०८ की धारा ४/५ के अधीन एक मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी जांच की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : विवरण से पता चलता है कि विस्फोट पदार्थ अधिनियम, १९०८ की धारा ४/५ के अधीन मामला दर्ज कर दिया गया है और जांच की जा रही है । क्या कोई और व्यक्ति भी गिरफ्तार किये गये हैं ?

†**श्री दातार** : मामले की जांच हो रही है और इस समय मुझे पता नहीं है कि कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : समाचार-पत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि इसमें कोई अन्तर्राज्यीय गिरोह काम कर रहा है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस बारे में अब तक किन्हीं तथ्यों का पता लगाया गया है ?

†**श्री दातार** : इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता । जांच की जा रही है और वे सभी तरीके अपना रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे दो माननीय सदस्यों से अनुरोध मिला है । श्री गोरे चाहते हैं कि प्रश्न संख्या १६७४ का उत्तर दिया जाये । श्रीमती रेणु चक्रवर्ती चहती हैं कि प्रश्न संख्या १६७५ (क) लिया जाये ।

†**श्री प्रभात कार** : प्रश्न संख्या १६७३ बड़ा महत्वपूर्ण है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मैं चाहता हूं कि मेरे प्रश्न को लिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसमें एकता दिखाई नहीं पड़ती । मैं क्रम से चलूंगा ।

रुबी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी के बारे में जांच

†*१६७३. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या वित्त मंत्री २२ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुबी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी के कार्यों की तहकीकात करने वाले लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट और कम्पनी के स्पष्टीकरण की जांच इस बीच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी, नहीं । अभी विधि मंत्रालय के परामर्श से प्रतिवेदन का परीक्षण पूरा नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट मंत्रालय को कब मिली ? यह जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जैसे ही लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, प्राथमिक बातों की इस मंत्रालय में जांच की गयी और फिर यह विधि मंत्रालय को भेज दिया गया । मेरे पास तारीख नहीं है जिससे मैं सभा को यह बता सकूं कि यह प्रतिवेदन हमें कब मिला था । परन्तु वह फौरन ही विधि मंत्रालय को भेज दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : यदि लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन चार महीन पूर्व मिला था तो इसको अन्तिम रूप देने में इतना समय क्यों लगा ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : माननीय सदस्य को जानकारी है और फिर भी वे पूछते हैं। जैसा मैं ने बताया, यह प्रतिवेदन इस मंत्रालय में मिला था, इसकी जांच की गयी और फिर इसको विधि मंत्रालय को भेज दिया गया क्योंकि कुछ बातों की विधि मंत्रालय द्वारा जांच की जानी थी और विधि मंत्रालय को समूचे मामले की जांच करनी थी। हम इस मामले में विधि मंत्रालय के निर्णयों और सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

महाराष्ट्र के बैंकों को भुगतान स्थगित करने का कानूनी अधिकार

†*१६७४. **श्री गोरे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी हाल में महाराष्ट्र के कितन बैंकों को अपना कारबार स्थगित करने का आदेश दिया गया है ;

(ख) उन्हें कितनी देर तक इस स्थिति में रहना पड़ेगा ; और

(ग) सरकार ने खातेदारों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

†**वित्त उपमन्त्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) महाराष्ट्र क्षेत्र में पांच बैंकों के बारे में स्थगन आदेश दिये गये हैं। इन बैंकों के नाम ये हैं :

बैंक आफ पूना लिमिटेड

प्रसिडेंसी इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड

भारत इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड

पूना इंवेस्टर्स बैंक लिमिटड, और

बैंक आफ कोंकन लिमिटेड।

(ख) वर्तमान आदेश २५ जून, १९६१ तक है।

(ग) इन बैंकों के पुनर्निर्माण और अन्य चालू बैंक के साथ उन के विलय की योजनायें विचाराधीन हैं और उन के निकट भविष्य में मंजूर किये जाने की आशा है।

†**श्री गोरे** : खातेदारों की कोई असुविधा को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि अभी जो तिथि बताई गई है, क्या वह अंतिम है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : : जी, हां। हमें यही आशा है।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या न्यू सिटीजन बैंक को भी कोई शोध-विलम्ब काल दिया गया है ? मैं यह प्रश्न इसलिये पूछ रहा हूं क्योंकि इस सूची में उस बैंक का नाम नहीं है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : ये नाम उन बैंकों के हैं जिनको शोध-विलम्ब-काल दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्रभात कार** : इस बात को ध्यान में रखते हुएकि शोध-विलम्ब-कालाधीन विभिन्न बैंकों की अवधि बढ़ा दी गयी है, जिस से खातेदारों को कठिनाईयां हुई हैं, क्या मैं जान सकता हूं आगे फिर तिथि बढ़ाये जाने के बजाय उस तिथि से पूर्व विलय हो जायेगा ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : बढ़ाया गया समय छः महीने से अधिक नहीं होगा । हम यथासम्भव शीघ्र इस में शीघ्रता कर रहे हैं। हमें खातेदारो की कठिनाईयों की बड़ी चिन्ता है ।

†**श्री गोरे** : खातेदारों की कठिनाईयों को देखते हुए, क्या सरकार ने किसी अन्य व्यवस्था के बारे में सोचा है ताकि खातेदारों को असुविधा न हो ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : ये पग इसलिये उठाने पड़ते हैं क्योंकि बैंक कठिनाई में हैं। यदि ये पग न उठाये जायें तो खातेदारों को पूरा नुकसान हो जायेगा । अतः यदि खातेदारों को कुछ असुविधा होती है, तो वह तो होनी ही है । प्रतिदिन उन के हितों पर विचार किया जाता है और हम उनकी रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु यह आसान बात नहीं है । भविष्य में यदि ऐसा कोई मामला होगा, तो हम इस पर शीघ्रता कर सकेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न-काल समाप्त हुआ हो गया है । कुछ माननीय सदस्य प्रश्न संख्या १६७५ और १६७५-क पूछना चाहते थे । ये दोनों प्रश्न द्वि-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र के विभाजन के बारे में हैं। इन दोनों का एक साथ उत्तर दिया जाये ।

उड़ीसा में द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन

†*१६७५. **श्री प्र० गं० देव** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सामान्य निर्वाचनों से पूर्व चुनावों के लिए वहा के द्वि-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रों का विभाजन कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) से (ग). यद्यपि अभी उड़ीसा में द्वि-सदस्यीय निर्वाचन-क्षत्रों का वास्तविक विभाजन नहीं हुआ है, विभाजन का काम आरम्भ कर दिया गया है और शीघ्र ही निर्वाचन-क्षेत्रों का विभाजन कर दिया जायेगा । इस बारे में निर्वाचन आयोग की स्थापना २४ मार्च, १९६१ के भारत के विशेष राजपत्र में, उसी तिथि के राज्य के सरकारी राजपत्र में और ३० मार्च, १९६१ के उडिया में प्रकाशित समाचार पत्र "गणतन्त्र" में प्रकाशित हुई थीं । इन प्रस्थापनाओं के बारे में आपत्तियां और सुझाव देने के लिये अन्तिम तिथि १५ अप्रैल, १९६१ निर्धारित की गई थी । अब वह तिथि समाप्त हो चुकी है, निर्वाचन आयोग आपत्तियों और सुझावों की जांच कर रहा है । जब यह विचार-विमर्श पूरा हो जायेगा, द्वि-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रों का विभाजन किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास में द्वि-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन

†*१६७५-क. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक २७ मार्च, १९६१ के भारत के राजपत्र (गजेट आफ इंडिया) में द्वि-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रों के विभाजन सम्बन्धी प्रस्थापनायें प्रकाशित की गयी थीं और उस में २० अप्रैल, १९६१ से पहले-पहले आपत्तियां भेजने के लिए कहा गया था ;

(ख) क्या निर्वाचन आयोग ने संसद्-सदस्यों से प्रस्थापनाएं मांगी थीं और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं;

(ग) क्या निर्वाचन-क्षेत्रों में के विभाजन में जनता की सुविधाओं का उचित ध्यान रखा जाता है जिस से कि अनुसूचित जातियों के सदस्यों को सामूहिक रूप से कार्य करने का सुभीता हो; और

(घ) क्या इस प्रश्न के महत्व को देखते हुए इस अवधि में वृद्धि की जायेगी ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : (ख) द्वि-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रों के विभाजन के लिये प्रस्थापनाओं बनाते समय निर्वाचन आयोग को द्वि-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र (विवटन) अधिनियम, १९६१ का धारा ३ में निर्धारित उपबन्धों का अनुसरण करना पड़ता है । आयोग की प्रस्थापनाओं के बारे में कोई भी व्यक्ति (संसद्-सदस्य समेत) योजना आयोग को अपनी आपत्तियां और सुझाव भेज सकता है ।

(ग) निर्वाचन आयोग जब यह समझता है कि किसी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों की जन संख्या की प्रतिशतता अधिक है, तो वह उस एक-सदस्यीय निर्वाचन-क्षत्र में अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सीट सुरक्षित कर देता है । ऐसा करने में, भौतिक महत्व, प्रशासी यूनिटों की सीमा, परिवहन की सुविधाएं और सामान्य सुविधाओं के जरिये भौगोलिक रूप से सवन क्षेत्र के बारे में ध्यान रखा जाता है ।

(घ) जी, नहीं ।

†**श्री प्र० गं० देव** : वर्ष १९५१ के उड़ीसा जनगणना प्रतिवेदन में यह कहा गया था कि वहां पर संगठनात्मक और सरकारी कमियों के कारण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की गणना ठीक प्रकार नहीं की गयी । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अब निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के समय इस कमी को पूरा कर दिया गया है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : क्या वह वर्ष १९६१ की जनगणना के बारे में है ?

†**श्री प्र० गं० देव** : जी, नहीं । वर्ष १९५१ के बारे में ।

†**श्री अ० कु० सेन** : निश्चय ही । अन्तरिम प्रस्थापनाओं यें बनाते समय निर्वाचन आयोग ने उन आंकड़ों पर ध्यान दिया है, जो उन के पास उपलब्ध हैं। यदि माननीय सदस्य या वे व्यक्ति जो उन निर्वाचन-क्षेत्रों के विभाजन में अभिरुचित हैं, निर्वाचन

---

†मूल अंग्रेजी में

आयोग से समक्ष कुछ और तथ्य रखना चाहते हैं, और उस आधार पर अन्तरिम प्रस्थापनाओं में परिवर्तन कराना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं।

†**श्री प्र० गं० देव** : क्या सरकार को पता है कि हैदराबाद और सौराष्ट्र राज्यों में निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन-कार्य पिछली बार समय की कमी के कारण अस्थगित कर दिया गया था ?

†**श्री अ० कु० सेन** : वह एक भिन्न प्रश्न है । इस समय मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता ।

†**श्री प्र० गं० देव** : क्या सरकार को पता है कि यद्यपि अनुसूचित आदिम जातियों की जनसंख्या ४२ लाख से बढ़ कर ६२ लाख हो गयी है, विधान मंडलों में उनका प्रतिनिधान वही है ?

†**श्री० अ० कु० सेन** : मैं माननीय सदस्य द्वारा दिये गये आंकडों को न स्वीकार कर सकता और न उन से इन्कार कर सकता । परन्तु मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य उस से क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं। यदि वे किसी अन्तरिम प्रस्थापना पर आपत्ति कर रहे हैं, तो उनका स्वागत है और वे ये आपत्तियां उचित स्थान पर उठा । इन आपत्तियों का निर्णय करने के लिये एक उचित प्राधिकार नियुक्त किया गया है और मुझे कोई सन्देह नहीं है कि वह सभी आपत्तियों को सुनेंगे ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : प्रश्न संख्या १६७५–क के भाग (ख) के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि समय-सीमा को बढ़ाया नहीं जायेगा । अतः आयोग की जानकारी के बिना कुछ विवाद उ खड़े हुए हैं। जहां कहीं अनुसूचित जातियों के दो विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र होने के बजाय, कुछ मामलों के वहां केवल एक विधान-सभा निर्वाचन-क्षेत्र है अनुसूचित जातियों के लिये एक-सदस्यीय संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में रखा गया है । ऐसे मामलों में, क्या मंत्री महोदय आयोग को यह आदेश गे कि वह इन बातों के बारे में सदस्यों से इन्टरव्यू कर के उनकी आपत्तियां सुनें ?

†**श्री अ० कु० सेन** : सरकार की अथवा मंत्रालय की निर्वाचन आयोग को कोई ऐसा आदेश देने की कोई इच्छा नहीं है कि वह इन मामलों में किस प्रकार कार्य करे और मुझे आशा है कि इस बारे में सभी मेरा समर्थन करेंगी कि इन मामलों में सरकार कोई हस्तक्षेप न करे। जहां तक निर्वाचन आयोग का सम्बन्ध है, हम आयोग के समक्ष वे मामले रख सकते हैं जो वे चाहें । मुझे आशा है कि ऐसा सुझाव नहीं दिया जायेगा कि हम कुछ कार्य करने के लि योजना आयोग को आदेश दें ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : तो क्या हम यह समझें कि यह विभाजन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की वर्ष १९५१ की जनगणना के आधार पर हो रहा है और जहां कहीं उनकी अधिक संख्या है, उन के लिये सीटें सुरक्षित रखी जाती हैं ?

†**श्री अ० कु० सेन** : वह भी एक पहलू है । प्रथम दृष्टया निर्णय का आधार वर्ष १९५१ की जनगणना है। परन्तु यदि माननीय सदस्यों को कोई आपत्ति है और वे यह दिखा सकते हैं, पुराना आधार गलत है, और कोई नये आंकड़ आ गये हैं, जो एक विशष क्षत्र में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों

---

†मूल अंग्रेजी में

के आधार पर, उनसे निर्वाचन-क्षेत्रों का हिसाब गलत लग सकता है। वे वह आंकड़े निर्वाचन आयुक्त को बता दें और यदि उन्हें यह सन्तोष हो जाये कि इन नये आंकड़ों से अनुसूचित जातियों के निर्वाचन-क्षेत्र में किसी परिवर्तन की आवश्यकता है, तो वह ऐसा अवश्य करेंगे।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : निर्वाचन आयोग को अभ्यावेदन अथवा आपत्तियां किस तिथि तक भेजी जा सकती हैं ?

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं समझता हूं कि विभिन्न राज्यों के लिये विभिन्न तिथियां निर्धारित की गयी हैं।

†**श्री आ० कृ० गायकवाड़** : क्या निर्वाचन-क्षेत्रों के विभाजन का कार्य पूरा हो गया है? यदि नहीं, तो इसमें कितना समय लगेगा ?

†**श्री अ० कु० सेन** : मेरा सारा उत्तर इस बारे में था। मैंने बताया है कि जहां तक उड़ीसा राज्य का संबंध है। यह पूरा नहीं हुआ है और अन्तरिम प्रस्थापनायें प्रकाशित कर दी गयी हैं। आपत्तियां सुनने के बाद विभाजन पूरा किया जायेगा।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : द्वि-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र (विघटन) अधिनियम की धारा ३ में यह व्यवस्था है कि द्वि-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र की सीट निर्धारित करते समय अनुसूचित जातियों की संख्या को ध्यान में रखा जायेगा। जब आयोग ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो सदस्यों के साथ इन्टरव्यू किये बिना इस मतभेद को कैसे दूर किया जायेगा ?

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं नहीं जानता कि इसमें कोई मतभेद है। मुझे विश्वास है कि सभी न्यायिक पहलुओं पर विचार किया जायेगा। यदि उन पर विचार नहीं किया जाता है, मुझे तथ्य और आंकड़े प्राप्त करने में प्रसन्नता होगी ताकि मैं उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेज सकूं। मैं माननीय सदस्य को बता चुका हूं कि हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कोई आदेश देना नहीं चाहते।

†**श्रीमती मंजुला देवी** : आपत्ति भेजने की अन्तिम तिथि क्या है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं तिथि नहीं बता सकता।

†**अध्यक्ष महोदय** : तिथि के बारे में घोषणा की जा चुकी है।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं माननीय सदस्य को विभिन्न राज्यों के बारे में तिथि नहीं बता सकता। परन्तु यदि पूछताछ की जाये तो वह बता सकूंगा।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : उड़ीसा सरकार ने वर्ष १९५६ में एक गजट अधिसूचना द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में संशोधिन किया था परन्तु जो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां सूची में शामिल की गयी थीं, उनकी वर्ष १९५१ की जनगणना में जातिवार गणना नहीं की गयी थी। निर्वाचन आयोग इस कठिनाई को कैसे पार करेगा ?

†**श्री अ० कु० सेन** : मेरे लिये यह एक नवीन जानकारी है। परन्तु मुझे कोई सन्देह नहीं है कि यह यदि यह वैध विचार है और यदि ये नये आंकड़े वर्ष १९५१ की जनगणना रिपोर्ट में शामिल किये जाने चाहियें तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दिय जाने चाहियें। यदि उन्हें सन्तोष है कि इन नये आंकड़ों से विभाजन के प्रश्न पर नया प्रकाश पड़ेगा, तो निश्चय वह उस पर उचित रूप से विचार करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ माननीय सदस्य उठे--

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल कभी का समाप्त हो चुका है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

समुद्र से पीने के पानी की प्राप्ति

†*१६६०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संयुक्त राज्य अमरीका की जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी द्वारा समुद्र से पीने का पानी हासिल करने के लिये निकाले गये नये तरीके का पता है, जिसके बारे में उस कम्पनी का दावा है कि यह इस कार्य के लिये उपलब्ध अन्य कई तरीकों से बेहतर और सस्ता तरीका है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस नये तरीके का परीक्षण करेगी ताकि राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जा सके ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायूं कबिर)** :(क) इस बारे में सरकार को कोई निश्चित जानकारी नहीं है ।

(ख) ब्यौरा उपलब्ध होने पर इस बारे में विचार किया जायेगा ।

प्रादेशिक सेना के पदाधिकारी

†*१६७६. **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १५ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९३२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस प्रस्थापना पर विचार कर लिया है कि प्रादेशिक सेना के उन पदाधिकारियों को, जो प्रादेशिक सेना के नियमित पदाधिकारियों के रूप में कार्य कर रहे हैं, स्थायी कमीशन प्रदान किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†**प्रतिरक्षा उपमन्त्री (सरदार मजीठिया)**: (क) और (ख)यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

व्यवसाय कर

*१६७७. **श्री विभूति मिश्र** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कराधान जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार व्यवसाय कर की सीमा को बढ़ाने का विचार कर रही है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त उपमन्त्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी, हां ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

जम्मू और काश्मीर में नीलम की खानें

*१६७८. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जम्मू और काश्मीर राज्य के जम्मू प्रांत की किश्तवाड़ तहसील के पद्दर क्षेत्र में स्थित नीलम की खानों का नये सिरे से सर्वेक्षण कराने के लिये कोई कदम उठा रही है अथवा यदि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है, तो उन्हें सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : जी, हां । पद्दर क्षेत्र में और समीपवर्ती क्षेत्रों में यह कार्य तृतीय पंच वर्षीय योजना में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जायगा और इस कार्य के वर्ष १९६१–६२ में आरम्भ होने की आशा है ।

विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतन क्रम

†*१६७९. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के प्रोफसरों, रीडरों और लेक्चरारों के पुनरीक्षित वेतन-क्रमों को अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों में भी लागू किया जा रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो एकरूपता लाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी, हां । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने फैसला किया है कि उन राज्य विश्वविद्यालयों में, जो ऐसा चाहते हैं, प्रोफसरों, रीडरों और लैक्चरारों को वही वेतन-स्तर दिया जाये जो दिल्ली, अलीगढ़ और बनारस के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में उनके साथियों को मिलता है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा में निर्वाचन

†*१६८०. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में सामान्य निर्वाचनों से पूर्व जो चुनाव होंगे वे १९६० में तैयार की गयी मतदाता सूचियों के आधार पर कराये जायें गे; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि यदि ऐसा किया गया तो बहुत से मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित रह जायेंगे ?

†**विधि उपमन्त्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी, हां ।

(ख) यह सच नहीं है कि सामान्य निर्वाचनों से पूर्व के निर्वाचन में बड़ी संख्या में मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित रह जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी सहायता का उपयोग

†*१६८१. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में ऋण, उधार और अनुदान के रूप में दी गयी विदेशी सहायता का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सका है ;

(ख) यदि हां, तो १९६० और १९६१ के अन्त तक इस प्रकार उपयोग न की जा सकी विदेशी सहायता संबंधी स्थिति का ब्यौरा क्या था ; और

(ग) विदेशी सहायता की इतनी अधिक मात्रा के उपयोग न हो सकने के क्या कारण थे ?

†**वित्त उपमन्त्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९२]

(ग) माननीय सदस्य का ध्यान दिनांक १७ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९३ की ओर दिलाया जाता है।

गोला-बारूद की खरीद सम्बन्धी रिपोर्ट

†*१६८२. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री कोडियान :
श्री वारियर :
श्री मुरारका :
श्री राजेश्वर पटेल :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २९ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५२ में एक यूरोपीय सार्थ से गोला-बारूद की खरीद के बारे में जांच करने के लिये नियुक्त की गयी समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ;

(ग) इसकी मुख्य उपपत्तियां क्या हैं ; और

(घ) इनके बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) और (घ). सरकार रिपोर्ट की जांच कर रही है और जांच के पूरा होते ही, समिति की उपपत्तियां और उन पर सरकार के विचारों को सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

सोने का पकड़ा जाना

†*१६८३. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ६ अप्रैल, १९६१ को बम्बई में सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा एक जहाज से ८०० तोला सोना पकड़ा गया था, जिसका मूल्य १,१५,००० रुपये था ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो जहाज का नाम क्या था वह किस देश का था और सरकार द्वारा इस सिलसिले में क्या उकदम उठाये गये हैं ?

†**वित्त उपमन्त्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). ६ अप्रैल, १९६१ को सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा बम्बई में एम० बी० 'डमरा' से जिस पर ब्रिटिश झंडा लगा हुआ था और जो ब्रिटिश इण्डिया स्टीम नौविगेशन कम्पनी लिमिटेड का था, वर्तमान बाजार भाव पर १,१२,००० रुपये के मूल्य का ८०० तोला सोना बरामद किया जिसका किसी ने दावा नहीं किया । बम्बई सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा मामले की जांच की जा रही है ।

क्षेत्रीय आधार पर भाषा विज्ञान का विकास

†३६३९. **श्री पांगरकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री २ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय (ज़ोनल) आधार पर भाषा-विज्ञान के विकास के प्रश्न की जांच के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गयी समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें मुख्य सिफारिशें दी गयी हैं । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९३**]

दिल्ली में निःशुल्क शिक्षा

†३६४०. { **श्री पांगरकर** :
श्री राम गरीब :

क्या शिक्षा मंत्री २ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १२४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली और नई दिल्ली में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा देने के लिये फैसला कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह निर्णय कब तक किये जाने और इसे कब तक कार्यान्वित करने की संभावना है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में खेल--कूद

†३६४१, **श्री पांगरकर : क्या** शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में खेल-कूद का स्तर ऊंचा, उठाने के लिये हिमाचल प्रदेश को कोई अनुदान दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी धनराशि कितनी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) ४५,०० रुपये के अनुदान के अतिरिक्त प्रशासन को निम्नलिखित व्यय करने के अधिकार दिये गये ;

(१) खेल-कूद संस्थाओं को अनुदान के लिये ३०,००० रुपये

(२) शिक्षण संस्थाओं के लिये खेल-के मैदान प्राप्त करने के लिये ३८,००० रुपये

(३) शिक्षण संस्थाओं द्वारा खेल-कूद के सामान के लिये २,००० रुपये

(४) ग्रामीण क्षेत्रों में खेल-कूद को लोकप्रिय बनाने के लिये ६,००० रुपये ।

समवाय विधि के मामले

†३६४२. { **श्री पांगरकर** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, १९६० से मार्च, १९६१ तक धोखा-विरोधी दस्ते ने समवाय विधि के कितने मामलों में कार्यवाही की ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : इस अवधि में १३ मामलों में कार्यवाही की गयी जिनमें ३ मामले नवम्बर, १९६० से मार्च, १९६१ की अवधि में रजिस्टर किये गये गये थे।

क्षमा और परिहार[1]

†३६४३. { **श्री पांगरकर** :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, १९६० से मार्च, १९६१ की अवधि में केन्द्रीय सरकार ने अथवा राष्ट्रपति ने (१) हत्या के मामलों और (२) अन्य मामलों में कितनों में क्षमा अथवा परिहार प्रदान किया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : १ नवम्बर, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ की अवधि में चौदह कैदियों के मामले में मृत्यु-दंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया किन्तु किसी मामले में दंड-परिहार नहीं किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Pardons and Remissions.

वीसा

†३६४४. { **श्री पांगरकर :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० की चौथी तिमाही में कितने विदेशियों को भारत भ्रमण के वीसा जारी किये गये ; और

(ख) जिन देशों के ये व्यक्ति हैं, उनके क्या नाम हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें अब तक प्राप्त जानकारी दी गयी है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९४**]

महाराष्ट्र में विदेशियों द्वारा सम्पत्ति का खरीदा जाना

†३६४५. **श्री पांगरकर : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९ और १९६० में महाराष्ट्र में विदेशियों द्वारा कितनी सम्पत्ति खरीदी गयी और उनका क्या मूल्य है ; और

(ख) क्या इन विदेशियों ने भारतीय नागरिकता अधिकार प्राप्त कर लिये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मेहतरों को सुविधायें

†३६४६. **श्री पांगरकर : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरपालिका मेहतरों को सुविधायें देने के लिये वर्ष १९६०–६१ में अब तक महाराष्ट्र को कोई सहायता दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी धनराशि कितनी है ?

†**गृह-कार्य उप मंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा राज्य में छंटनी किये गये कर्मचारी

†३६४७. **श्री कुम्भार : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य के भूतपूर्व संयुक्त मंत्रिमंडल के कुछ कर्मचारियों की उस मंत्रि मण्डल के भंग होने पर छंटनी कर दी गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों को उस राज्य के और केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग में खपाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं की गयी। उड़ीसा में मंत्रिमंडल भंग होन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार के पास कुछ फालतू कर्मचारियों को उनकी सेवायें समाप्त करने के लिये एक महीने का नोटिस दिया गया। उन कर्मचारियों को नोटिस की अवधि के दौरान ही उड़ीसा सरकार के अन्य विभागों में खपाने के लिये सभी सम्भव कार्यवाही की जा रही है। उड़ीसा में नयी रिक्तताओं पर केवल उन्हीं कर्मचारियों में से कर्मचारी रखे जायेंगे।

मोटर स्पिरिट आदि की मांग

†**३६४८. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी बंगाल, आन्ध्र प्रदेश और केरल में मोटर स्पिरिट, डीजल तेल, मिट्टी के तेल तथा लुब्रिकेटिंग आयल की लगभग कितनी वार्षिक मांग होती है?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: पैट्रोलियम उत्पादों के सम्बन्ध में राज्यवार खपत के आंकड़े नहीं रखे जाते और न ही उसके आधारपर प्राक्कलन भेजे जाते हैं, परन्तु सामान्यतया ऐसे क्षेत्रों को मुख्य पत्तन संभरण क्षेत्र कहते हैं। पश्चिमी बंगाल, आन्ध्र प्रदेश और केरल में स्थित सभी डिपुओं को कलकत्ता, मद्रास, विशाखापटनम, बम्बई और कोचीन के पत्तनों से संभरण किया जाता है। १९५९ में इन डिपुओं में हलके उत्पादों (मुख्यतया स्पिरिट) और मध्यम प्रकार के उत्पादों (मुख्यतया मिट्टी के तेल) और डीजल की खपत क्रमशः १.९ लाख और ७.८ लाख मीट्रिक टन रही है। क्षेत्र वार लुब्रिकेटिंग आयल के संभरण सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

पंजाब के स्कूलों और कालेजों के लिये खेल के मैदान

†**३६४९. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या १९६०–६१ में पंजाब के स्कूलों और कालेजों में खेल के मैदानों की व्यवस्था करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब को कोई राशि मंजूर की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इससे किस-किस स्कूल और कालेज को लाभ हुआ है?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) १९६०–६१ में इसके लिये १,५२,००० रुपये मंजूर किये गये थे।

(ख) जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है।

विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन

३६५०. श्री खुशवक्त राय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्ष, अर्थात १ अप्रैल, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक वित्त मंत्रालय के परिपालन निदेशालय के निदेशक ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के कितने मामले निबटाये;

(ख) इन मामलों में कितने व्यक्ति शामिल थे;

(ग) प्रत्येक व्यक्ति पर कितना-कितना जुर्माना किया गया; और

---

†भूल अंग्रेजी में

(घ) क्या कोई मामले बिना जुर्माने के भी छोड़ दिये गये और यदि हां, तो उसका कारण क्या था?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पहली अप्रैल, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक परिपालन निदेशक (एन्फोर्समेण्ट डाइरेक्टर) ने विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम (फारेन एक्सचेंज रेगुलेशन ऐक्ट) के कथित उल्लंघन के ३२७ मामलों में फैसला दिया।

(ख) ३७३ व्यक्ति और फर्म।

(ग) ख्याल है कि कोई भारी विवरण देने से, जिसमें ३७३ व्यक्तियों और कम्पनियों में से हर एक पर किये गये जुर्माने की रकम भी दी गयी हो, कोई फायदा न होगा। कुल २,३०,२२० रुपये का जुर्माना किया गया।

(घ) जी, हां। ६४ मामलों को बिना कोई जुर्माना किये ही निबटा दिया गया, क्योंकि उनमें अभियोग साबित न हो सके।

उड़ीसा के राजस्व बोर्ड के सदस्य के न्यायालय में बकाया मामले

†३६५१. **श्री कुम्भार:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के राजस्व बोर्ड के सदस्य के न्यायालय में बहुत से मामले बहुत समय से अनिर्णीत पड़े हुए हैं;

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष कितने और किस प्रकार के मामले जिलावार दर्ज किये गये थे;

(ग) अभी तक कितने मामले निबटाये जा चुके हैं;

(घ) अभी तक कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ङ) उन्हें शीघ्रता से निबटाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बातार)** : (क) से (ङ). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९५]** उड़ीसा सरकार ने यह सूचित किया है कि उड़ीसा के राजस्व के सदस्य के न्यायालय में अधिक मामले विचाराधीन नहीं हैं। उनके निबटाने में जो विलम्ब लगा है, उसका कारण यह है कि याचिकायें रही तरीके से नहीं दर्ज की गयी थीं। न्यायालय से यह कहा गया है कि वे पुराने मामलों को शीघ्र ही निपटाने का यत्न करें।

भाखड़ा जलाशय के मछली पकड़ने के अधिकार

†*३६५२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री पहाड़िया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १६ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ५५ मील लम्बे भाखड़ा जलाशय में मछली पकड़ने सम्बन्धी अधिकारों के बारे में पंजाब और हिमाचल प्रदेश के विवाद को निपटा लिया गया है; और

(ख) उसका परिणाम क्या निकला है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : मामला अभी विचाराधीन है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग

†३६५३. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री त० ब० विट्ठलराव :
श्री पांगरकर :

क्या वित्त मंत्री २९ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन विभाग के कार्य के सम्बन्ध में व्यापक विचार करने के लिये स्थापित की गयी सप्त सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन

†३६५४. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या वित्त मंत्री १६ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोक-सभा के साम्यवादी दल के नेता के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रारम्भ की गयी अदालती कार्यवाही पूरी हो गयी है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रवर्तन निदेशक ने यह निर्णय दिया है कि श्री एस० ए० डांगे ने विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम की धारा ४, ५(१)(क) और ९ के उपबन्धों का उल्लंघन किया है। श्री डांगे पर ७,५०० रुपयों का जुर्माना लगाया गया है उन्हें यह भी हिदायत दी गयी है कि वे विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम की धारा २३(१)(ख) के अधीन लन्दन के बैंक से अपने हिसाब को प्रकट करें और उस हिसाब को भारत में तबदील करवा लें।

सी० ओ० डी० में छेवकी सामान की खरीद सम्बन्धी जांच

†३६५५. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या प्रतिरक्षा मंत्री १६ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सी० ओ० डी० छेवकी में सामान के स्थानीय क्रय में अनियमितताओं के सम्बन्ध में विशेष पुलिस संस्थापन द्वारा की जा रही जाँच के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): सी० ओ० डी०, छेवकी के भूतपूर्व कमान्डेन्ट तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध लखनऊ के जज के न्यायालय में मामला अभी तक विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमालय पर्वतारोहण संस्था

३६५६. श्री भक्त दर्शन: क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जिन संस्थाओं और व्यक्तियों ने हिमालय पर्वतारोहण संस्था, दार्जिलिंग से अब तक सहायता मांगी है, उनमें से प्रत्येक को किस प्रकार की वास्तविक ठोस सहायता दी गई; और

(ख) सलाह व सामग्री के अतिरिक्त किन-किन संस्थाओं को कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी गई?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(१) संस्था ने उधार पर साज सामान और जहां संभव हुआ सामान और तम्बू भी निम्नलिखित पर्वतारोहण दलों को दिए:—

१. मेलसो ग्लेश्यर अभियान के लिए, सागर विश्वविद्यालय के हिमालय शिखर आरोहण क्लब को।

२. लाहौलवादी अभियान के लिए, राष्ट्रीय ज्योग्राफिकल सोसाइटी, कलकत्ता को।

३. आनंद बाजार पत्रिका कलकत्ता द्वारा आयोजित नंदा घुंटी अभियान के लिये।

संस्था द्वारा साज सामान, तम्बू और सामान निम्नलिखित अभियानों के लिए भी उधार पर दिया गया है, जो वसन्त/ग्रीष्म, १९६१ में जाने वाले हैं:—

१. फूलों की वादी को अभियान के लिए बम्बई पर्वतारोहण समिति को।

२. अन्नपूर्णा तृतीया (जिस पर अभी कोई नहीं पहुंचा) अभियान के लिए।

३. नन्दा देवी अभियान के लिए।

४. नीलकण्ठ अभियान के लिए (जिस पर अभी कोई नहीं पहुंचा)।

(२) हिमालय पर्वतारोहण संस्था ने निम्न संस्थाओं को, पर्वतारोहण प्रशिक्षण क्रम के लिए शेरपा प्रशिक्षकों की सेवाएं और साज सामान भी उधार पर दिया :—

१. बम्बई पर्वतारोहण समिति।

२. सागर विश्वविद्यालय के हिमालय शिखा आरोहण क्लब।

३. जबलपुर विश्वविद्यालय के विश्व-विद्यालय पर्वतारोहण क्लब।

४. राष्ट्रीय अनुशासन अकादमी, मसूरी।

५. म्यो कालिज, अजमेर।

६. गोरमेण्ट कालिज, चण्डीगढ़।

७. केरल स्पोर्ट्स कौंसिल।

८. केन्द्रीय पोलीस प्रशिक्षण कालिज, आबू पर्वत।

(३) हिमालय पर्वतारोहण संस्था के पास संस्थाओं और व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देने की कोई सुविधा नहीं है।

सोने का खनन

†३६५७. **श्री मुरारका :**
श्री नथवानी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सोने के खनन पर कितनी लागत आती है।

(ख) उसे साफ करने पर कितना खर्चा आता है; और

(ग) सोना किस भाव बेचा जाता है और किसे बेचा जाता है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) (१) कोलार स्वर्ण खनन उपक्रम में २९५.३६ रुपये प्रति औंस।

(२) हट्टी स्वर्ण खनन में २९३.९५ रुपये प्रति औंस।

(ख) (१) कोलार स्वर्ण खनन उपक्रम में ३७ नये पैसे प्रति औंस।

(२) हट्टी स्वर्ण खानों में ३४ नये पैसे प्रति औंस।

(ग) मैसूर राज्य की कोलार और हट्टी खानों से निकलने वाले सम्पूर्ण सोने को केन्द्रीय सरकार सरकारी दर अर्थात् ६२.५० रुपये प्रति तोले के हिसाब से ले लेती है। जब तक सोने के दर का पुनरीक्षण नहीं किया जाता तब तक के लिये सरकार उन खानों को राजकीय सहायता दे रही है।

बिहार में तेल सर्वेक्षण

३६५८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार (मोतिहारी) बिहार में तेल की खोज करा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो ३१ जनवरी, १९६१ तक खोज का क्या परिणाम निकला है ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) तथा (ख). अक्तूबर, १९६० से लेकर फरवरी, १९६१ तक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उत्तर-बिहार के जिलों में इन सड़कों के साथ साथ भूकम्पीय सर्वेक्षण किया गया :—

(१) सामस्तीपुर–मुजफ्फरपुर–मोतिहारी–राक्सौल;

(२) हाजीपुर–मुजफ्फरपुर–सीतामढ़ी–सोनबर्स ; तथा

(३) दरबंगा–सीतामढ़ी–मोतिहारी सड़क के साथ साथ सीतामढ़ी के प्रत्येक तरफ कुछ मीलों तक।

इस सर्वेक्षण में भूकम्पीय उत्स्फोट (Seismic shooting) का कुल ५७० लाईन किलोमीटर (लगभग ३४२ लाईन मील) शामिल है तथा इस (सर्वेक्षण) से सूचित हुआ है कि चट्टानों की बनावटें कम गहराइयों पर स्थानीय संरचनात्मक विरूपण से रहित हैं, जो विरूपण

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राय: तेल और गैस के संचयों से संबंधित है । अधिक गहराइयों पर विरूपण ने स्थानीय विरूप के कहीं कहीं पाये जाने की संभाव्यता को सूचित किया है किन्तु ऐसे विरूपण तृतीयक युग (tertiary) की अपेक्षा बहुत पुराने समय के मालूम होते हैं ।

पवन सौर तथा वेला शक्ति[1]

†३६५९. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने पवन, सौर तथा वेला से वाणिज्यिक आधार पर विद्युत् पैदा करने संबंधी योजनाओं पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो किस किस प्रकार की योजनाओं पर विचार किया जा रहा है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) से (ग). जी नहीं, परन्तु सूर्य की शक्ति और पवन की शक्ति का उपयोग करने के संबंध में प्रयोग किये जा रहे हैं ।

जम्मू और काश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के सीमान्त क्षेत्रों में सैनिक

†३६६०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी और फरवरी १९६१ में भारी हिमपात और ठण्डी हवा के चलने से जम्मू और काश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कितने सैनिक मारे गये थे ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: उस अवधि में इसकी वजह से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई ।

प्रवेश पत्रों में जाति का उल्लेख

३६६१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब भी शिक्षा संस्थाओं में प्रवश के आवेदन पत्रों में धर्म और जाति पूछी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे बन्द करने के विषय में विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार): (क) से (ग) . राज्य सरकारों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सलाह दी गई है कि जब तक प्रशासकीय कारणों या किसी परिनियत दायित्व की पूर्ति के लिय नितांत आवश्यक न हो तब तक शिक्षा विभाग में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न फार्मों और रजिस्टरों से जाति और उपजाति के हवाले निकाल दिय जायें । इन अनुदेशों के अन्तर्गत धर्म नहीं आता क्योंकि ऐसा विचार है कि धर्म संबंधी सूचना सांख्यिकी अभिलेखों के संधारण में उपयोगी सिद्ध हो सकती है । यह निश्चय करना राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का कार्य है कि इन अनुदेशों को कहां तक क्रियान्वित किया जाय ।

एक चीनी राष्ट्रजन की गिरफ्तारी

†३६६२. **श्री आसर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले एक चीनी राष्ट्रजन बिना पार-पत्र के ही कोलिम्पोंग में दाखिल हो गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]Wind solar and tidal power.

(ख) क्या यह भी सच है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, परन्तु उसे जेल नहीं भेजा गया था ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). जी हां। एक चीनी राष्ट्र-जन बिना यात्रा प्रमाण पत्रों के सीमा पार करके इधर आ गया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसकी कार्यवाहियों पर नियंत्रण लगा दिया गया और उसे आदेश दे दिया गया है कि वह शीघ्र ही भारत से वापिस चला जाये।

पंजाब को कोयले का संभरण

†३६६३. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ और १९६१–६२ में पंजाब सरकार से विभिन्न प्रकार के कोयले के संबंध में कितनी मांग आई है ;

(ख) १९६०–६१ में कोयले का कितना संभरण किया गया था और १९६१–६२ के लिये कितनी मात्रा निर्धारित की गई है ; और

(ग) क्या १९६०–६१ में हुये संभरण की कमी को १९६१–६२ में पूरा कर दिया जायेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). कोयले का कोटा प्रति वर्ष के अनुसार दिया जाता है, वित्तीय वर्ष के अनुसार नहीं। पंजाब के लिय १९६० में ९०,८६० वैगन था जिनमें से ५३,०९९ वैगन का संभरण किया गया था। १९६१ के प्रथम दो महीनों में कुल मांग १६,११६ वैगन थी और उनमें ९,५०७ वैगनों का संभरण किया गया था।

(ग) किसी एक वर्ष में चालू यातायात में बाधा डाले बिना पहले वर्ष के बचे हुये कोयले का संभरण करना संभव नहीं है। आशा है कि यातायात की सुविधाओं के सुधर जाने पर कोयले का संभरण भी गत वर्षों की अपेक्षा अधिक मात्रा में किया जा सकेगा।

गैर-सरकारी फर्मों को विकास ऋण निधि से ऋण

†३६६४. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकास ऋण निधि की ओर से भारत की कितनी और किस किस फर्म को कुल ऋण दिया गया था ;

(ख) क्या भारत सरकार ने उनमें से किसी के लिये भी गारण्टी दी है ; और

(ग) यदि हां, तो किस किस के लिये ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) एक विवरण संलग्न है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	ऋण राशि (लाखों डालरों में)
१.	भारत का औद्योगिक वित्त निगम	१००
२.	अहमदाबाद इलेक्ट्रीसिटी कम्पनी, लिमिटिड	३९
३.	हिन्दुस्तान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटिड	३००
४.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटिड	१००
५.	प्रीमियर आटोमोबाइल लिमिटिड	७२
६.	भारतीय औद्योगिक ऋण तथा धन विनियोग निगम	५०
	कुल	६६१

(ख) और (ग). भारत सरकार ने पार्टी संख्या १, ३ और ४ के लिये गारण्टी दी है।

लघु बचत योजना के अधीनधन संग्रह

†३६६५. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में, प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र से लघु बचत योजना के द्वारा कितनी राशि एकत्रित की गई थी ;

(ख) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधीन निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो गया है ; और

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों से कितनी राशि इकट्ठी होने की आशा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९६]**

(ख) जी नहीं ।

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के अनुसार ५५० करोड़ रूपये एकत्रित होने की आशा है। बाद में इस प्राक्कलन को बढ़ा कर ५८५ करोड़ रुपये कर दिया गया। राज्यवार लक्ष्य अभी तक निर्धारित नहीं किये गये हैं।

बैंक के ब्याज की दरों में वृद्धि

†३६६६. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उधार सम्बन्धी मांग को पूरा करने के लिये बैंकों में अधिक राशि जमा कराने क लिये प्रोत्साहन देने की दृष्टि से बैंकों में जमा राशि पर ब्याज की दर को शीघ्र ही बढ़ा दिया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो कितना ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) धन जमा कराने वालों को आकृष्ट करने के लिये और क्या क्या उपाय किये गये हैं या करने का विचार है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) व्यापारी बैंकों न पहले ही ब्याज की दरें बढ़ाने की अपनी इच्छा को घोषित कर दिया है ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।][**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९७**]]

(ग) प्रमुख व्यापारी बैंकों का ध्यान उन क्षेत्रों में बैंक खोलने की आवश्यकता की ओर आकृष्ट किया गया है जिनमें अभी तक बैंक सम्बन्धी पर्याप्त सुविधायें नहीं हैं । इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है कि क्या बैंकों में जमा राशियों का कराने तथा अन्य प्रकार की कार्यवाहियां की जा सकती हैं या नहीं ;

अगरताला के बाजार म छोटे सिक्के

†३६६७. **श्री दशरथ देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगरताला (त्रिपुरा) के बाजार से इस समय छोटे सिक्के गायब हो गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि छोटे सिक्कों की कमी के कारण लोगों को वस्तुयें खरीदने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई)** : (क) से (घ). फरवरी, १९६१ के अन्त में जनता और सरकारी विभागों द्वारा छोटे सिक्कों की अत्यधिक मांग बढ़ जाने से त्रिपुरा में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा था । परन्तु मार्च, १९६१ के पहले सप्ताह में ही अगरताला को छोट सिक्कों के पर्याप्त मात्रा में आ जाने के परिणामस्वरूप स्थिति में सुधार हो गया था ।

त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् द्वारा आयोजित प्रदर्शनी

†३६६८. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर,-दिसम्बर, १९६० में त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद द्वारा अगरताला में आयोजित प्रदर्शनी पर कुल कितनी राशि खर्च की गयी थी ; और

(ख) क्या त्रिपुरा के अन्य स्थानों पर भी इसी प्रकार की प्रदर्शनियां करने का कोई विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) नवम्बर-दिसम्बर, १९६० में त्रिपुरा प्रशासन ने अगरताला में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया था जिसमें प्रशासन के सभी विभागों और त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् ने भाग लिया था । इस पर कुल ५८,१४२ रुपये खर्च हुए थे जिनमें से ३,९६१ रुपये त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद द्वारा खर्च किये गये थे और शेष राशि विभिन्न विभागों द्वारा खर्च की गयी थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) त्रिपुरा के अन्य क्षेत्रों में भी १९६०–६१ में छोटे पैमाने पर एक प्रदर्शनी लगायी गयी थी, प्रतिवर्ष विभिन्न विकास खण्डों तथा सब डिवीजनल हेडक्वार्टरों में ऐसी प्रदर्शनियां लगायी जा रही हैं ।

भारतीय लेखकों का परिचय ग्रन्थ[1]

†३६६९. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साहित्य अकादमी ने भारतीय लेखकों के सम्बन्ध में एक परिचय ग्रंथ तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो किस किस भाषा के लेखकों का उसमें परिचय है ; और

(ग) उस ग्रंथ में लेखकों के नामों को सम्मिलित करने के लिये क्या कसौटी अपनायी गयी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर):** (क) जी हां ।

(ख) भारत की सभी प्रमुख भाषाओं के लेखकों का ।

(ग) यथा संभव उन सभी भारतीय लेखकों को सम्मिलित किया गया है जिन्होंने कोई पुस्तकें छपवायी हों ।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

†३६७०. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (नेशनल बुक ट्रस्ट) पर अब तक कुल कितना खर्च हुआ है ;

(ख) उस ट्रस्ट ने अब तक कितनी पुस्तकें प्रकाशित की हैं ; और

(ग) क्या ट्रस्ट अपने घोषित लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त करने में संतोषजनक प्रगति कर रहा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) ३१ मार्च, १९६१ तक ४,३९,१४७ रुपये ८९ नये पैसे ।

(ख) चौबीस ।

(ग) १ अगस्त, १९५७ से १ सितम्बर, १९६० तक ट्रस्ट के कार्यों के बारे में एक रिपोर्ट जिसमें अब तक की गयी प्रगति के बारे में बताया जा चुका है, संसद-सदस्यों में पहले ही बांटी जा चुकी है ।

इंजीनियरिंग कालेज और पोलीटेकनीक

†३६७१. **श्री रामशंकर लाल :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०-६१ में कौन कौन से इंजीनियरिंग कालेज और पोलीटेक्नीक्स कहां कहां खोले गये ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर):** (विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९८]**

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Who's Who of Indian writers.

उड़ीसा के प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान का अध्ययन

†३६७२. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राइमरी स्कूलों में विज्ञान को पढ़ाई में सुधार करने के लिये एक अग्रिम परियोजना १९६०–६१ में उड़ीसा के लिये मंजूर की गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो यह अग्रिम परियोजना किस जगह शुरू की गयी है ;

(ग) अब तक इस परियोजना पर कितनी रकम खर्च की जा चुकी है ; और

(घ) कुल कितनी रकम मंजूर की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) अग्रिम परियोजना कटक जिले के पुलिस थाना महंगा में पहले चालू की गयी थी लेकिन संचार कठिनाइयों के कारण वह अधिक समय तक चल न सकी और इसलिये चौद्वार और तंगी थाना क्षेत्र को योजना की कार्यान्विति के लिए अन्तिम रूप से चुना गया ।

(ग) १९६०–६१ में ३,६५८ रुपये ।

(घ) १९६०–६१ म ४,७५३ रुपये ।

छोटे पैमाने के ऊन बुनने वाले कारखानों पर उत्पादन शुल्क

†३६७३. **श्री अ० मु० तारिक :** क्या वित्त मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे पैमाने पर ऊन बुनने वाला उद्योग बड़ी बड़ी ऊनी मिलों की तुलना में जिनमें आधुनिक कार्यप्रणालियों के कारण उत्पादन लागत कम होती है, केवल इसी कारण जीवित रह सका और अपना माल बेच सका कि उस उद्योग को उत्पादन शुल्क में रियायत के तौर पर संरक्षण मिलता था ;

(ख) क्या यह सच है कि अब यह रियायत वापस ले लिये जाने पर यह छोटे पैमाने के ऊन बुनने वाले कारखाने बड़े कारखानों के मुकाबले टिक नहीं सकेंगे जिससे वे बन्द पड़ जायेंगे और भारी बरोजगारी फैलेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में किस प्रकार सुधार करने का सरकार का विचार है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी नहीं । जहां तक सरकार को जानकारी है, ऊन उद्योग के छोटे कारखाने १९५५ में ऊनी रेशे पर उत्पादन शुल्क लगाये जाने से पहले भी मौजूद थे । उस समय भी छोटे कारखानों को, किसी रियायत के लाभ के बिना, मिलों के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ती थी ।

(ख) जी नहीं । खास कर इसलिए कि रियायत पूरी तौर से वापस नहीं ली गयी है क्योंकि एक करघे वाले कारखाने पूरी तरह से मुक्त हैं और २ से ४ करघे वाले कारखाने स्टैन्डर्ड दरों पर लगाये जाने वाले शुल्क के ५० प्रतिशत से मुक्त हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा के बाढ़ पीड़ित छात्रों को सहायता

†३६७४. **श्री बै० च० मलिक :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, १९६० के बाढ़ से पीड़ित छात्रों को उड़ीसा राज्य सरकार पहले ही वित्तीय सहायता दे चुकी है?

(ख) यदि हाँ, तो अब तक कुल कितनी सहायता दी जा चुकी है; और

(ग) कितने छात्रों को लाभ पहुँचा है?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

(ख) ८,८४,९४० रुपये।

(ग) २५,५५३।

त्रिपुरा में नालीदार लोहे की चादरें

†३६७५. **श्री दशरथ देव :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा में सी० आई० शीट्स की भारी कमी है;

(ख) क्या यह सच है कि लोगों को और सार्वजनिक संस्थाओं और संगठनों को नियंत्रित दर से सी० आई० शीट्स प्राप्त करने के लिए काफी प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(ग) यदि हाँ, तो त्रिपुरा में सी० आई० शीट्स की अधिक सप्लाई प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) त्रिपुरा सहित संपूर्ण देश में सी० आई० शीट्स की काफी कमी है।

(ख) सी० आई० शीट्स की सामान्य कमी के कारण और उनका समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों, सार्वजनिक संस्थाओं अथवा लोगों को अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

(ग) उपलब्ध सी० आई० शीट्स बराबर बराबर बांटी जा रही हैं। इन शीट्स के उत्पादकों को अपना शेष कोटा तुरंत भेजने के लिए कहा गया है।

त्रिपुरा में पानी की सप्लाई

†३६७६. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नरसिंगपुर, अगरतल्ला, त्रिपुरा के निकट विस्थापित व्यक्तियों की मजदूर बस्ती के लिए पानी सप्लाई की कोई योजना मंजूर की है; और

(ख) यदि हां, तो वह कार्यान्विति की किस दशा में है और वह संभवतः कब तक पूरी हो जायेगी?

†**गृह-कार्य मंत्रालयमें राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) जी हां।

(ख) योजना में शामिल सभी निर्माण कार्य अर्थात ८ रिंगवेल्स, घरेलू प्रयोजनों के लिए एक तालाब और सिंचाई के लिए ६ इंच व्यास का नलकूप, पूरे हो चुके हैं।

---

†मूल अंग्रजी में

दिल्ली छावनी बोर्ड में हड़ताल

†३६७७. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी बोर्ड के कर्मचारियों ने १ अप्रैल, १९६१ से हड़ताल करने के विचार की सूचना दी थी ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी क्या शिकायतें हैं; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या राय है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** (क) जी, हां। उन्होंने "पे स्ट्राइक" की सूचना दी थी ।

(ख) उनकी शिकायत मुख्यतः यह थी कि दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम और नयी दिल्ली नगरपालिका में उनके जैसे कर्मचारियों पर लागू किये गये वेतन तथा भत्ते संबंधी दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशें उनपर लागू नहीं की गयी हैं।

(ग) केन्द्रीय वेतन आयोग, १९५७ की सिफारिशें छावनी बोर्डों के कर्मचारियों पर, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट के अनुसार प्रशासित होते हैं, लागू नहीं होतीं । छावनी बोड के कर्मचारियों के जो प्रतिनिधि ७ अप्रैल, १९६१ के प्रतिरक्षा उपमंत्री से मिलने आये थे उन्हें यह स्थिति समझा दी गयी । पे स्ट्राइक एक दिन पहले समाप्त कर दिया गया था।

मोतीलाल नेहरू जन्म शताब्दी

३६७८. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री मोतीलाल नेहरू जन्म शताब्दी समारोह समिति ने नई दिल्ली में संसद् भवन के सामने उनकी एक मूर्ति प्रतिष्ठित करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उस समिति को क्या सहयोग व सहायता दी जा रही है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

विदेशों में तकनीकी शिक्षा के लिये अनुसूचित जातियों को छात्रवृत्तियां

†३६७९. **श्री इलियापेरुमाल :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों में उच्चतर तकनीकी शिक्षा के लिए १९५० से १९६० तक अनुसूचित जाति के कितने छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गयीं?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए भारत सरकार की समुद्र पार छात्रवृत्ति योजना के अधीन, जो १९५४–५५ में चालू की गयी थी, अनुसूचित

†मूल अंग्रेजी में

जाति के निम्नलिखित संख्या के छात्रों को विदेशों में उच्चतर तकनीकी अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां दी गयी हैः—

वर्ष	अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को दी गयी छात्रवृत्तियों की कुछ संख्या	चुनाव के समय रोजगार में लगे हुएउ म्मीदवारों की संख्या	चुनाव के समय जो उम्मीदवार छात्र थे उनकी संख्या
१९५४—५५	१	१	कोई नहीं
१९५५—५६	२	२	कोई नहीं
१९५६—५७	२	१	१
१९५७—५८	३	२	१
१९५८—५९	२	२	कोई नहीं
१९५९—६०	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
१९६०—६१	३	३	कोई नहीं
कुल	१३	११	२

मद्रास में बाल कल्याण

†३६८०. **श्री इलयापेरुमाल :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में बाल कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए १९५९–६० और १९६०–६१ में उस राज्य को कितनी रकम मंजूर की गयी थी; और

(ख) उक्त कार्यक्रम के लिए १९६१–६२ के लिए कितनी रकम नियत की गयी है?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क) और (ख). आवश्यक जानकारी इकटठी की जा रही है। वह यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अन्नमलाई विश्वविद्यालय को सहायता

†३६८१. **श्री इलयापेरुमाल :** क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ में अन्नमलाई विश्वविद्यालय को अपने इंजीनिर्जारिंग कालेज की इमारत बनाने के लिए कोई रकम दी गयी थी; और

(ख) यदि हां तो कितनी?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** :(क) और (ख). १९५९–६० में १ लाख रुपया मंजूर किया गया था। १९६०–६१ में कोई रकम मंजूर नहीं की गयी थी ।

†मूल अंग्रेजी में

प्राथमिक शिक्षा आयोग

†३६८२. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान नयी दिल्ली में १५ जनवरी, १९६१ को आयोजित अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक सम्मेलन की इस प्रार्थना की ओर कि भारत में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में एक आयोग नियुक्त किया जाये जो एक रिपोर्ट पेश करें, ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रार्थना पर सरकार ने क्या निर्णय किया?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार की राय में अभी आयोग नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मनीपुर में जनगणना फार्मों का न मिलना

†३६८३. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में जनगणना फार्म उपलब्ध नहीं थे और गणकों को अपना काम सादे कागज पर करना पड़ा; और

(ख) यदि हाँ, तो समय पर फार्म क्यों नहीं छापे गये?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख) गणनाकार्य के लिए किसी समय सादा कागज काम में नहीं लाया गया यद्यपि कुछ थोड़े समय के लिए कुछ स्थानों पर हाउसहोल्ड शेडयूल्स की कमी थी। इसे तुरन्त ही दूर कर दिया गया और फार्म शीघ्र ही छापे गये और वितरित किये गये।

नासिक में नौसैनिक कार्य के लिये जमीन

†३६८४. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नासिक जिले में सैनिक प्रयोजनों के लिये कुछ जमीन ले लेने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन कौन से गांव हैं और उन के सर्वे नम्बर क्या हैं और कितने एकड़ जमीन है, जिन से वह प्राप्त की जायेगी; और

(ग) अर्जन कार्य कब पूरा हो जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) नासिक जिले में वडनेर, पिंपत गांव खांव, वडला, दढ़ोली, लहाविन, भागौर और सिंधवे बहुला गांवों से करीब ४१६ एकड़ भूमि प्राप्त की जा रही है । प्रत्येक गांव के सर्वे नम्बर आदि संबंधी ब्यौरे मंत्रालय में उपलब्ध नहीं हैं और वह स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त करना होगा । फिर भी यह समझा जाता है कि यह जानकारी इकट्ठी करने में जो मेहनत और समय लगेगा वह परिणाम के अनुरूप नहीं होगा । अर्जन कार्यवाही में यथासंभव शीघ्रता की जायगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली विश्वविद्यालय में संगीत की शिक्षा

†३६८५. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय में बी० ए० पास कोर्स के लिए वैकल्पिक विषय के तौर पर संगीत चालू करने के विरुद्ध अभी हाल में निर्णय दिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव अस्वीकृत करने में क्या कारण दिये गये हैं?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). जी, हां । ९ फरवरी १९६१ को एक बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह निर्णय किया कि अभी फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय में बी० ए० पास कोर्स के लिये वैकल्पिक विषय के तौर पर संगीत न रखा जाये क्योंकि विश्वविद्यालय में संगीत सिखाने के लिए अभी हाल में प्रयोगात्मक आधार पर व्यवस्था की गयी है और इन सुविधाओं के किसी विस्तार से पूर्व इस व्यवस्था की सफलता की प्रतीक्षा करनी होगी।

भारत सर्वेक्षण विभाग के वर्ग ४ के कर्मचारी

†३६८६. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९६१ को भारत सर्वेक्षण विभाग (सर्वे आफ इंडिया) में नियमित वर्ग ४ के लिये कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ख) फील्ड पार्टीज़ और स्टेटिक आफिसों में अलग अलग कितने कर्मचारी हैं;

(ग) फोटोलिथो आफिस, कलकत्ता, हाथी बरकला लिथो आफिस और फोटो जिन्की आफिस, देहरादून में कितने कर्मचारी नियुक्त हैं;

(घ) १ जनवरी, १९६१ को पेरोल पर वर्ग ४ के कितने कर्मचारी हैं जिन्हें सर्वे आफ इंडिया में रैन्क पे दी जाती है;

(ङ) कितने टिन्डलस्, मेट्स्, और दफ्तरदार तथा सहायक दफ्तरी हैं जिन्हें रैन्क पे मिलती है ; और

(च) १९६१ में उन में से कितने जमादार और दफ्तरी के पद पर संभवतः आगे बढ़ा दिये जायेंगे ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) से (च) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी

†३६८७. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९६१ को भारत सर्वेक्षण विभाग (सर्वे आफ इंडिया) के आकस्मिकता-प्रदत्त कर्मचारियों[1] की कुल संख्या कितनी थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Contingency-paid employees.

(ख) कितने कर्मचारियों ने पांच साल से अधिक सेवा की है ;

(ग) कितने कर्मचारियों ने बारह साल से अधिक सेवा की है ; और

(घ) उनकी सेवाओं को नियमित बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों में बीमारी के मामले

†३६८८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ और १९५९–६० में अलग अलग भारत सर्वेक्षण विभाग (सर्वे आँफ इंडिया), देहरादून में काम करने वाले कर्मचारियों के बीमारी के कितने गंभीर मामले सिविल सर्जन, देहरादून, के पास इलाज के लिए भेजे गये ;

(ख) वर्ष १९५८–५९ और १९५९–६० में देहरादून में सर्वे आफ इंडिया के औषधालयों में वर्ग १, २, ३, और ४ के कुल कितने कर्मचारियों का इलाज किया गया; और

(ग) वर्ष १९५८–५९, १९५९–६०, और १९६०-६१ में अलग अलग चिकित्सा-दावे की कुल कितनी रकम वर्ग, १, २, ३, और ४ के कर्मचारियों को भुगतान की गयी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत सर्वेक्षण विभाग की ज्यामिति-तथा-अन्वेषण शाखा[१]

†३६८९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सास्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून के सर्वे आफ इंडिया के ज्यामिति तथा-अन्वेषण शाखा के भार-साधक के पद के लिए कोई अर्हताएं निर्धारित हैं ;

(ख) यदि हां, तो, क्या हैं ;

(ग) ज्यामिति-तथा-अन्वेषण शाखा के वर्तमान भारसाधक की क्या योग्यताएँ है ; हैं;

(घ) क्या इन में से कोई योग्यता ज्यामिति या उस पर कोई अनुसन्धान के संबंध में हैं।

(ङ) ज्यामिति संबंधी अन्वेषणात्मक समस्याओं पर उन के कितने निबन्ध प्रकाशित हो चुके हैं; और

(च) किन किन पत्रों तथा पत्रिकाओं में वे प्रकाशित हुए हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Geodetic and Research Branch.

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) ज्यामिति तथा अन्वेषण शाखा के अध्यक्ष के पद के लिए निम्नलिखित अर्हताऐं निर्धारित हैं :—

अत्यावश्यक :

किसी विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में गणित की उपाधि, हानर्स स्टैन्डर्ड और व्यावहारिक गणित का अच्छा ज्ञान/ज्यामिति या भूभौतिकी के मूलभूत सिद्धान्तों तथा तत्संबंधीय गणितीय सिद्धान्तों का पूर्ण ज्ञान/भूमापन में उपयोग के लिए व्यावहारिक ज्योतिष का विस्तृत व्यावहारिक अनुभव, ज्यामितीय तथा भूभौतिकीय भूमापक उपकरणों तथा उन के उपयोग का पर्याप्त अनुभव/तकनीकी पत्रों में स्पष्ट रूप से बिचार व्यक्त करने की योग्यता ।

वांछनीय :

विदेशी भाषाओं, खास कर फ्रांसीसी और जर्मन भाषा का ज्ञान और ज्यामितीय और भूभौतिकीय विषयों में प्रकाशित अनुसंधान कार्य ।

(ग) ी० ए० एम०एम० आई० ई० एम० आई० एस० (इंडिया) ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) ीन ।

(च) (१) नैशनल इंस्टिट्यूट आॅफ सायन्स आॅफ इंडिया, मार्च १९६० के बुलेटिन संख्या १६ में प्रकाशित "सर्वे आॅफ करन्ट्स"

(२) इंडियन प्रोग्राम फार आई० जी० वाई०, भाग २ सर्वे आफ इंडिया का जर्नल आफ साइन्टिफिक एण्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च, १९५९, खंड १८-क, संख्या ८ में प्रकाशित लेख

(३) इन्टर नैशनल असोसियेशन आॅफ जीओडेसी, १९५८ की कार्यवाही में सर्वे आफ इंडिया के ज्यामितीय कार्य संबंधी रिपोर्ट ।

ई० एम० ई० स्टेशन वर्कशाप, पानागढ़

†३६९०. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री तंगामणि :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पानागढ़ के ई०एम०ई० स्टेशन वर्कशाप के तीन चौकीदारों को जुलाई, १९६० की हड़ताल के दौरान नौकरी से अलग कर दिया गया है ;

(ख) क्या उन्हें अपनी सफाई पेश करने का कोई मौका दिया गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या उन्होंने कोई अपील की ; और

(घ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) पानागढ़ के ई०एम०ई० स्टेशन वर्कशाप के ३ आकस्मिक चौकीदारों को नौकरी से अलग कर दिया गया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) अभी तक अपीलीय अधिकारी के पास इन व्यक्तियों से कोई अपीलें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ई० एस० डी० पानागढ़

†३६९१. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री तंगामणि :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ई०एस०डी०पानागढ़ (पश्चिम बंगाल) के दो कर्मचारियों को १२ जुलाई, १९६० को हड़ताल अवधि के दौरान नौकरी से अलग कर दिया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन कर्मचारियों को अपनी सफाई पेश करने का कोई मौका नहीं दिया गया था;

(ग) क्या उन्होंने कोई अपील की है ; और

(घ) क्या वे २३ जुलाई, १९६० तक ड्यूटी पर हाजिर थे ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) उन्हें एक महिने की नोटिस के बजाय एक महिने का वेतन देकर नौकरी से अलग कर दिया गया था ।

(ख) वे नौकरी से अगल कर दिये गये थे, हटाये नहीं गये थे । इसलिये प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ). जी हां । १२ जुलाई से २३ जुलाई, १९६० तक की अवधि के हाजिरी रजिस्टरों से यह दिखायी पड़ता है कि एक व्यक्ति केवल १९ और २३ जुलाई, १९६० को हाजिर था और दूसरा व्यक्ति सिर्फ १९ से २३ जुलाई, १९६० तक हाजिर था ।

लुधियाने में हार्ड कोक की कमी

†३६९२. **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लुधियाने के लगभग ९० प्रतिशत ढलाई कारखानों ने हार्ड कोक न मिलने के कारण अपना काम बन्द कर दिया है और हजारों मजदूर बेकार हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है या की जाने वाली है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). सरकार को पिछले दिसम्बर में हार्ड कोक की कमी के बारे में पंजाब के ढलाई कारखानों से जिनमें लुधियाने के ढलाई कारखाने शामिल हैं, समाचार मिले थे। उन कारखानों को हार्ड कोक तुरन्त पहुंचाने के लिये तत्कालीन व्यवस्था की गयी थी। लुधियाने के लिये अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन जनवरी और फरवरी, १९६१ के दौरान इंजीनियरिंग उद्योगों के लिये हार्ड कोक के ४०१ माल डिब्बे, इस अवधि के लिये ५२४ माल डिब्बों के कुल कोटे के मुकाबले में, सम्पूर्ण पंजाब के लिये भेजे गये थे। इसका अर्थ है कि लगभग ७६ प्रतिशत कोटा सप्लाई किया गया था। ढलाई कारखानों की आवश्यकता यथासंभव पूरी करने की ओर अब भी ध्यान दिया जा रहा है।

गैर-अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों द्वारा पेश किये गये जाली प्रमाणपत्र

†३६९३. **श्री पांगरकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को ऐसे किन्हीं मामलों का पता लगा है जिनमें गैर-अनुसूचित जातियों और गैर अनुसूचित आदिम जातियों के इस बात पर सरकारी नौकरियां और सुविधायें प्राप्त करने के लिये कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति हैं, जाली प्रमाणपत्र पेश किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में ऐसे मामलों की क्या संख्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जावेगी।

मद्रास में खेल के मैदान

†३६९४. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष १९५९–६० और १९६०–६१ में स्कूलों और कालिजों के लिये खेल के मैदानों की व्यवस्था करने के लिये मद्रास राज्य को कोई धनराशि मंजूर की है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे जिन स्कूलों और कालिजों को लाभ हुआ है, उनके क्या नाम हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) मद्रास सरकार को इस कार्य के लिये (१) वर्ष १९५९–६० में ७२,५०० रुपये और (२) वर्ष १९६०–६१ में १,३७,००० रुपये मंजर किये गये।

(ख) मद्रास सरकार से यह जानकारी प्रतीक्षित है।

मद्रास राज्य में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये होस्टल

†३६९५. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य को राज्य में पिछड़े वर्गों अथवा अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिये पिछड़े क्षेत्र में होस्टल की इमारतें बनाने के लिये कोई धनराशि मंजूर की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां इमारत बनायी गयी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मद्रास के मिल मालिकों पर कर की बकाया रकम

†३६९६. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में मिल मालिकों से आय कर, धन-कर और उपहार कर की बकाया रकम वसूल कर ली गयी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो ३१ मार्च, १९६० को कितनी रकम बकाया थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

निवेली लिग्नाइट परियोजना

†३६९७. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय निवेली निग्नाइट परियोजना में कुशल और अकुशल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति दक्षिण अर्काट जिले के स्थानीय क्षेत्र (स्थान अथवा जिला) के हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) १-३-१९६१ को २५,६३६ (इसमें श्रम संस्थान में सभी कुशल, अर्ध कुशल और अकुशल श्रमिक, नियमित संस्थान में कर्मचारीगण और ठेकेदार के श्रमिक शामिल हैं)।

(ख) ये आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं और बड़ी संख्या में व्यक्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करने में जो प्रयत्न चाहिये, वह प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा। तथापि, यह कहा जा सकता है कि यह भर्ती किसी प्रादेशिक आधार पर नहीं की गयी है।

निवेली सेकेन्डरी स्कूल

†३६९८. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०-६१ में निवेली सेकेण्डरी स्कूल की इमारत के निर्माण के लिये कोई धन राशि मंजूर की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि मंजूर की गयी है ; और

(ग) उस स्कूल में विद्यार्थियों और अन्य कर्मचारियों की क्या संख्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां। संभवतः यह प्रश्न निवेली टाउनशिप में हाई स्कूल के बारे में है।

(ख) वर्ष १९६०-६१ में नीवली में हाई स्कूल की इमारत के सुधार और मरम्मत के लिये ६०० रुपये मंजूर किय गये थे। यह इमारत नीवली लिग्नाइट परियोजना द्वारा लगभग ३,३०,००० रुपये की लागत से वर्ष १९५९ में तैयार की गयी थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) नीवेली टाउनशिप हाई स्कूल में ४७९ विद्यार्थी हैं और ३८ कर्मचारीगण हैं।

मद्रास राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आवास योजनायें

†३६९९. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०-६१ और १९६१-६२ में अब तक मद्रास राज्य सरकार को अनसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पृथक पृथक आवास योजनाओं के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ; और

(ख) उसी अवधि में मद्रास राज्य सरकार ने कितनी धनराशि मांगी है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रिपुरा में कृषि ऋण का रद्द किया जाना

†३७००. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में वर्ष १९५० से पूर्व अर्थात्, महाराजा के राज्य-काल के दौरान, किसानों को दिये गये कृषि ऋण को रद्द करने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या पग उठाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** :(क) और (ख). वर्ष १९४६-४७ में हुई दुर्भिक्ष की स्थिति के परिणामस्वरूप महाराजा के राज्य-काल में दिये गये कृषि ऋणों के कारण त्रिपुरा के कुछ किसानों पर १,११,११७ रुपये की रकम बकाया है । जब ऋणियों से वसूली समाप्त करने के अनुरोध के अभ्यावेदन प्राप्त हुए तो उन से इस धनराशि में से काफी रकम वसूल की जानी थी । इस अनुरोध पर निर्णय होने तक, वसूली कार्य रोक दिया गया है । मई, १९६० में सत्यापित बकाया रकम के रूप में ५१,२३२ रुपये की रकम का भुगतान किया गया । बाकी रकम का सत्यापन किया जा रहा है ।

त्रिपुरा में सड़कों पर बिजली लगाना

†३७०१. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धर्मनगर, कैलाशहर और उदयपुर के लोगों ने सरकारी खर्च पर सड़कों पर बिजली लगाने के बारे में अभ्यावेदन किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या पग उठाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** :(क) और (ख). सड़कों पर रोशनी व्यवस्था करने का काम स्थानीय निकायों का है । धर्मनगर, कैलाशहर और उदयपुर में नगरपालिकायें नहीं हैं परन्तु लोगों ने "पौश समिति' नामक समितियां बना ली हैं। इन कस्बों में समितियों ने प्रशासन से सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है । प्रशासन बिजली की खपत का भुगतान करने पर संभरण करने को राजी हो गयी है । तदनुसार, धर्मनगर और कैलाशहर में सड़कों पर बिजली लगी है और बिजली के शुल्क का भुगतान जनता कर रही है । उदयपुर में बिजली की सप्लाई रोक दी गई है क्योंकि समिति ने प्रशासन को लिखा कि वे बिजली के खर्च के भुगतान के लिय रुपया वसूल नहीं कर सकते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा के महाराजा का महल

†३७०३. **श्री दशरथ देव : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार त्रिपुरा के स्वर्गीय महाराजा का महल खरीदने का है ; और

(ख) क्या सरकार इसको रवीन्द्र भवन में परिवर्तन करने के लिये इसके खरीदने की प्रस्थापना पर विचार करेगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह एक औपकाल्पनिक प्रश्न है ।

'शक्तिमान' ट्रक

†३७०४. **श्री अजित सिंह सरहदी : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'शक्तिमान' ट्रकों के निर्माण की वार्षिक क्षमता कितनी है ;

(ख) क्या पूरी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) सेना की आवश्यकताओं के लिये पहले दो वर्षों में १२०० ट्रक प्रति वर्ष और उसके बाद २००० ट्रक प्रति वर्ष के उत्पादन की व्यवस्था की गयी है । तथापि, वर्तमान में और भविष्य में इस क्षमता को बढ़ाया जा सकेगा, यदि इसमें और आवश्यकता हुई ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) कच्चे माल और विशषतः इमारती लकड़ी और इस्पात का पर्याप्त मात्रा में और ठीक समय पर उपलब्ध न होना । यह आशा की जाती है कि सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भविष्य में २००० ट्रक प्रति वर्ष का उत्पादन किया जायेगा ।

उड़ीसा में मिलों और कारखानों को कोयले का आवंटन

†३७०५. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से मार्च, १९६१ तक उड़ीसा में मिलों को और कारखानों को कुल कितने कोयले का आवंटन किया गया ; और

(ख) इस अवधि के लिये उड़ीसा की कुल मांग कितनी थी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). निम्नलिखित आंकड़ों से जनवरी-मार्च, १९६१ की अवधि में उड़ीसा की मिलों और कारखानों की कोयले

---

†मूल अंग्रेजी में

की मंजूर की गयी मांग और वास्तविक संभरण की स्थिति का पता चलेगा :

महीना	मासिक स्वीकृत मांग (अभ्यंश) (वैगनों में)	मासिक संभरण (वैगनों में)
जनवरी . . .	५९८४	३३८७
फरवरी . .	५९८४	३९२३
मार्च . . .	५९८४	४१२३ लगभग

उड़ीसा में सामान्य निर्वाचनों से पूर्व के निर्वाचन

†३७०६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री कुम्भार :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार वह सब व्यय सहन करने को राजी हो गयी है जो उड़ीसा में सामान्य निर्वाचनों से पूर्व के निर्वाचनों पर किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में इन सामान्य निर्वाचनों से पूर्व के निर्वाचनों पर कितना धन व्यय किये जाने का अनुमान है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी, नहीं। क्योंकि उड़ीसा राज्य में आगामी सामान्य निर्वाचन केवल उस राज्य की विधान सभा के लिये होंगे, उस बारे में समूचे खर्च को राज्य सरकार स्वयं सहन करेगी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

वायु बल दिवस

†३७०७. **श्री तंगामणि :**
श्री धर्मालगम :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९६१ को भारतीय वायु बल ने २८ वर्ष पूरे कर लिने हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या जनता की जानकारी हमें लिये इसके कृत्यों के बारे में कोई पत्रिका जारी की जायेगी ;

(ग) क्या सरकार की फ्लाइंग आफिसर गणेशन जैसे चालकों की बहादुरी के ब्यौरे बता कर, जो अन्य व्यक्तियों की जीवन-रक्षा करने में स्वर्गवासी हुए, युवकों को प्रोत्साहन देने की कोई प्रस्थापना है ; और

(घ) स्वर्गीय फ्लाइंग आफिसर गणेशन को क्या सम्मान देने की प्रस्थापना है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, हां ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अंग्रेजी और हिन्दी---दोनों में एक पत्रिका निकाली गयी है ।

(ग) बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा के लिये पारितोषिक देने/सम्मानित करने की एक योजना पहले ही चालू है । जब एसे कोई पारितोषिक दिये जाते हैं, तो उचित प्रचार किया जाता हूं ।

(घ) इस समय ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है ।

मद्रास उच्च न्यायालय

†३७०८. **श्री तंगामणि :**
श्री धर्मलिंगम :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीश १ अप्रैल, १९६१ को सेवा-निवृत्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने ;

(ग) क्या नये न्यायाधीश नियुक्त कर दिये गये हैं ;

(घ) मद्रास उच्च न्यायालय के स्थायी और अतिरिक्त न्यायाधीशों की क्या संख्या है ; और

(ङ) नियुक्त किये गये अतिरिक्त न्यायाधीश कौन हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) इस समय वहां १२ स्थायी न्यायाधीश हैं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अनुसूचित बैंकों की जमा रकम ।

†३७०९. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९६१ को अनुसूचित बैंकों की भारत के रक्षित बैंकों में कुल कितनी रकम जमा थी ; और

(ख) अनुसूचित बैंकों की जमा रकम से मूल्यों को स्थिर करने में कहां तक असर पड़ा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) अतिरिक्त रिजर्व की आवश्यकता का जनवरी, १९६१ में प्रतिसंहरण कर दिया गया था और ३१-३-१९६१ को अनुसूचित बैंकों की भारत के रक्षित बैंक अधिनियम की धारा ४२(१) के अनुसार रखे जाने वाली मूल न्यायिक जमा रकम के अतिरिक्त कोई और रकम जमा नहीं थी ।

(ख) यह बैंक ऋण में विस्तार को रोकने के ख्याल से किया गया था ताकि सामान्य मूल्य स्तर पर रोक प्रभाव पड़ सके। संक्षिप्त रूप में इस कार्यवाही के परणाम निश्चित करना व्यवहार्य नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला उद्योग के विकास के लिये विदेशी सहयोग

†३७१०. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्याधीन कोयला उद्योग के विकास में पौलैंड के सहयोग के लिये भारत और पोलैण्ड के बीच एक समझौता हो गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अमरीका और ब्रिटेन के साथ भी ऐसे समझौते किये जा रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो वे किन स्थानों पर कार्य करेंगे ; और

(घ) उनकी शर्तें क्या हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) से (घ). पौलैंड, ब्रिटेन और अमरीका आदि से उपलब्ध प्रविधिक सहायता और ऋण के उपयोग के संबंध में खनन कार्य के कुछ पहलुओं में और सरकारी क्षेत्र में कोयला खानों के विकास में प्रविधिक सहायता संबंधी प्रस्थापनाओं पर विचार किया जा रहा है। अभी तक न तो किसी प्रस्थापना को अन्तिम रूप दिया गया है और न ही कोई समझौता किया गया है।

भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन

३७११. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० के अन्त तक भारत में कितने पाकिस्तानी नागरिक भिन्न भिन्न राज्यों में पार-पत्र लेकर रह रहे हैं ;

(ख) १९६० के अन्त तक कितने पाकिस्तानी नागरिक बिना पार-पत्र के अवैध रूप से भारत में रह रहे थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ पाकिस्तानी नागरिकों की गतिविधियां भारत में आराष्ट्रीय तत्वों को प्रोत्साहन देने वाली पायी गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या निश्चय लेने जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार): (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय

†३७१२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय अगले शिक्षा वर्ष से तीन नये पाठ्यक्रम चालू करना चाहता है ;

(ख) यदि हां, तो वे पाठ्यक्रम क्या हैं ; और

(ग) उस पर कितना वार्षिक व्यय होगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क) से (ग). जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मंजूर किये जाने पर दिल्ली विश्वविद्यालय निम्नलिखित नये पाठ्यक्रम चालू करना चाहता है :—

(१) अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) सामाजिक विज्ञान में बी० ए० संयुक्त आनर्स पाठ्यक्रम ।

(३) औद्योगिक प्रबन्ध में डिप्लोमा पाठ्यक्रम ।

अभी वार्षिक व्यय का ब्योरा लगाया जाना है ।

नई दिल्ली में लोदी कालोनी और सेवानगर के बीच यातायात अवरोध

†३७१३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में लोदी कालोनी और सेवानगर के बीच, जहां से दक्षिण दिल्ली को आधा यातायात गुजरता है, यातायात अवरोध बढ़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या पग उठाये जायेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वातार)**: (क) जी, नहीं । लोदी कालोनी और सेवानगर को मिलाने वाली सड़क पर एक रेलवे लेवल-क्रासिंग है । जब इस क्रासिंग के द्वार बन्द हो जाते हैं, तो यातायात में कुछ विलम्ब हो जाता है ।

(ख) इस समय कोई विशेष कदम उठाये जाने पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

छोटे अन्दमान द्वीपों का प्राणिकीय सर्वेक्षण

†३७१४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे अन्दमान द्वीपों की प्राणिकीय सम्पत्ति के बारे में हाल ही में एक प्राणिकीय सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमन्त्री (डा० म० मो० दास)**: (क) जी, हां ।

(ख) छोटे अन्दमान द्वीपों के किनारे के अन्दर के और बाहर के स्थानों से और वनों से सामुद्रिक जन्तुओं, पक्षियों और मामल के लगभग ३०० नमूने इकट्ठे किये गये हैं । सामुद्रिक जन्तुओं में मछलियां, मोलसिस, कीटाणु, समुद्री कछुवे, प्रवाल, विरल अवयव का समुद्री प्राणी और इकिनोडर्म शामिल हैं । इनका अब अध्ययन किया जा रहा है ।

उड़ीसा में हाई स्कूल

†३७१५. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में उन स्कूलों के क्या नाम हैं जिन्हें वर्ष १९६१–६२ में हायर सेकेण्डरी स्कूल बनाया जायेगा ; और

(ख) ऐसे हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी स्कूलों में बदलने के लिये वर्ष १९६१–६२ में उड़ीसा सरकार को कितनी सहायता दी जावेगी ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

(ख) अभी तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सहायता के तरीके के बारे में निर्णय नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में पुलिस का पुनर्गठन

†३७१६. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पुलिस संगठन का पुनर्गठन करने के लिये अतिरिक्त इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस की सिफारिशों को क्रियान्वित कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कौन सी सिफारिशें क्रियान्वित की गयी हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य** मंत्रालय में **राज्य मन्त्री (श्री दातार)**: (क) से (ग) उड़ीसा सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

कटक में हरिजन होस्टल

†३७१७. **श्री बैं० च० मलिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा की राज्य सरकार ने वर्ष १९५६-५७ में कटक टाउन में एक हरिजन होस्टल बनाने के लिये हरिजन सेवक संघ को १५,००० रुपये मंजूर किये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि होस्टल के निर्माण के लिये खरीदा गया सामान खराब हो गया है ;

(ग) क्या निर्माण-कार्य आरम्भ करने में विलम्ब के बारे में कोई जांच की गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**गृह-कार्य उपमन्त्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) से (घ). उड़ीसा सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् का राष्ट्रीय 'पूल'

†३७१८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के राष्ट्रीय 'पूल' की सूची में, विदेशी अर्हता प्राप्त डाक्टर सहित, कितने डाक्टर तीन महीनों से अधिक से हैं ; और

(ख) देश में चिकित्सा सेवाओं में उनको उपयुक्त स्थानों पर खपाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) बारह ।

(ख) यह 'पूल' उच्च अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को, उनको नियमित रोजगार मिलने तक, अस्थायी रूप से काम पर लगाने के लिये बनाया गया है । ये पदाधिकारी उपयुक्त पदों के लिये आवेदन-पत्र भेज सकते हैं । उनके ब्योरे को छापा जाता है और केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभागों, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य आयोगों, विश्वविद्यालयों और सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में अन्य रोजगार अभिकरणों में परिचालित किया जाता है । पूल पदाधिकारियों को संघ लोक सेवा आयोग और कुल राज्य आयोगों द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क अभ्यर्थी भी माना जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मनोरंजन व्यय

†३७१६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष प्रत्यक्ष करारोपण सुझावों में कम्पनियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी करदाता को कर से रहित मनोरंजन व्यय की अनुमति नहीं दी जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो केवल कम्पनियों को ही कर से रहित मनोरंजन व्यय करने की अनुमति क्यों दी गयी है और विभिन्न व्यक्तियों तथा छोटे उपक्रमकर्त्ताओं को ऐसी अनुमति क्यों नहीं दी गयी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). २८ फरवरी, १९६१ को इस सभा में जो वित्त विधेयक प्रस्तुत किया गया था, उसमें यह व्यवस्था है कि आयकर निर्धारण करने में कम्पनियों के अतिरिक्त और किसी भी करदाता को मनोरंजन व्यय के संबंध में छूट न दी जाये। मामले पर पुनर्विचार करने पर सरकार ने उक्त व्यवस्था को समाप्त कर देने का निर्णय किया है। उक्त संशोधन के संबंध में एक नोटिस दिया जा चुका है।

वेतन आयोग की सिफारिशों की कार्यान्विति

†३७२०. { **श्री भा० कृ० गायकवाड़** :
श्री बालासाहिब सालुके :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेतन आयोग की सिफारिशें, १ अप्रैल, १९५९ के स्थान पर १ अप्रैल १९६१ से कार्यान्वित की जा रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). उक्त तिथियों की ओर संकेत करने का महत्व स्पष्ट नहीं है। वेतन आयोग ने कुछ सामान्य सिफारिशें की थीं, केवल वेतन और महंगाई भत्ते के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में ही आयोग ने कुछ विशिष्ट सिफारिशें की हैं और यह कहा है कि उन्हें १ जुलाई, १९५९ से लागू किया जाये। सरकार ने उक्त सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और उस तिथि से लागू कर दिया है। आयोग ने यह सुझाव नहीं दिया है कि अन्य सिफ़ारिशों को किस तिथि से लागू किया जाये। उन सिफ़ारिशों को प्रशासनिक सुविधाओं की दृष्टि से तथा सुकरता देखते हुए उपयुक्त तिथियों से लागू कर दिया गया है या किया जा रहा है।

केन्द्रीय शिक्षा संस्था

३७२१. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय शिक्षा संस्था में हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के शिक्षण कार्य के विकास के लिये कितनी कार्य-गोष्ठियां, पाठ्यक्रम आदि पिछले ३ वर्षों में आयोजित किये गये ;

(ख) उन के अब तक क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) अंग्रेजी शिक्षण को उन्नत करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). संस्थान में अध्यापक-प्रशिक्षण और अनुसन्धान संबंधी कार्य किये जाते हैं। इसलिए हिन्दी, अंग्रेजी या किसी प्रादेशिक भाषा के प्रशिक्षण क्रम की व्यवस्था करने या इन भाषाओं के अध्यापन के विकास के लिए कोई और कदम उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

मनोरंजन के लिये पढ़ना

३७२२. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा १९५७ में जनता में 'मनोरंजन के लिये पढ़ाई' के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने के लिये कोई योजना तैयार की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की रूपरेखा क्या है ;

(ग) उस में अभी तक क्या प्रगति हुई है ; और

(घ) उस पर कितना धन व्यय हुआ है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय शिक्षा संस्था द्वारा विदेश भेजे गये अध्यापक

३७२३. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले ३ वर्षों में केन्द्रीय शिक्षा संस्था से कितने अध्यापकों को विदेश भेजा गया ; और

(ख) उन अध्यापकों को विदेश भेजने का उद्देश्य क्या था ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) दो ।

(ख) उच्च अध्ययन के लिए--एक मनोविज्ञान में और दूसरा अध्यापन-शिक्षा में ।

कोयला धोने के कारखाने

†३७२४. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ५ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३३६ के उत्तर के सबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला धोने के कारखानों से प्राप्त मध्यम कोटि के कोयले के उपयोग पर विचार करने वाली समिति से रिपोर्ट कब प्राप्त हुई थी ; और

(ख) उस रिपोर्ट पर विचार करने में अधिक विलम्ब हो जाने के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). वह रिपोर्ट अभी पिछले महीने ही सरकार को पेश की गयी है । उसकी सिफ़ारिशों पर अन्तिम निर्णय करने में संभवतः कुछ समय लग जायेगा ; क्योंकि रिपोर्ट में बहुत सी बातें सम्मिलित हैं--भावी कोयला धोने के कारखानों के स्थान और उत्पादन क्षमता, तापीय विद्युत् केन्द्रों की स्थापना और उनकी क्षेमता तथा विभिन्न प्रकार के कोयलों के धोने के गुणों का निर्धारण करना इस दौरान में, इन सिफारिशों के सम्बन्ध में संबंधित मंत्रालयों/विभागों से परामर्श लिये जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

एस्बेस्टस अयस्क निक्षेप

†३७२५. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के साबरकण्ठ जिले में अरावली की पहाड़ियों से एस्बेटस अयस्क के निक्षेपों का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) और (ख). कोई नये निक्षेप तो नहीं मिले हैं। परन्तु यह माना जाता है कि देवी मोरी क्षेत्र, रायगढ़, भंमेर, थुरूवास, घण्टा और मोरा में इसके निक्षेप हैं । वह एस्बेस्ट 'एम्फीबोल' किस्म का है और 'क्रिस्टल' की किस्म का पाने की कोई विशेष आशा नहीं है ।

स्थगन प्रस्ताव

अला रोड पर डेरी किशनगंज में आग लग जाना

†**अध्यक्ष महोदय :** राजघाट के निकट आग लगने की दुर्घटना के बारे में मुझे कई स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं और ध्यान दिलाने की भी सूचना प्राप्त हुई है । माननीय गृह-मंत्री इस संबंध में संक्षिप्त वक्तव्य दे सकते हैं ।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** २० अप्रैल, को मध्याह्न पश्चात् डेरी किशन गंज में आग लग गयी जिस में कई व्यक्ति जल कर मर गये और काफी सम्पति भस्म हो गयी। इस दुर्घटना से हमें बड़ा दुख और शोक हुआ है । दमकल मुख्यालय में इसकी खबर १ बजे पहुंची । ६ मिनट बाद तीन दमकल वहां जा पहुंचे । इसके बाद और दमकल पहुंचे और आग बुझाने का काम तुरंत शुरू कर दिया गया । डेढ़ बजे तक वहां ६ पम्पिंग सेट और चार अतिरिक्त फायर ब्रिगेड के एकक आग बुझा रहे थे । दमकल सेवा के ८५ आदमी इस काम में लगे रहे और २ बजकर ४६ मिनट में आग पर काबू पड़ा । जिस समय आग बुझाने वाले वहां पहुंचे आग हर जगह फैल चुकी थी और हवा बड़ी तेजी से चल रही थी । मकानों की छतें भी घासफूस की थीं ।

फायर सर्विस तथा पुलिस वालों ने सहायता का काम किया । नौ व्यक्ति जिन्हें गहरे घाव आये थे हस्पताल पहुंचाये गये । निगम ने एक मैडिकल गाड़ी इसी काम के लिए छोड़ दी ।

कुल ग्यारह व्यक्ति मरे। इन में से ६ तो घटनास्थल पर ही मर गये और दो हस्पताल में । कुछ और की हालत खतरनाक है । यद्यपि अभी सही अनुमान तो नहीं लग सका है तथापि अंदाजा है कि ८०० से १००० के बीच झोंपड़े जल गये हैं ।

निगम, जिला अधिकारियों, पुलिस, स्वयंसेवकों आदि के काम में समन्वय लाने के लिए एक संयुक्त नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी गयी । इन के प्रतिनिधि दिन रात

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

वहां रहे । निगम ने १०० शामियानों और १०० दरियों की व्यवस्था की। निगम ने पीने के जल की व्यवस्था की। भारतीय रेडक्रास संस्था की दिल्ली शाखा के माध्यम से १५०० बच्चों के लिए १०० पाउड दूध के वितरण की व्यवस्था की गयी । विभिन्न साधनों से भोजन इकट्ठा कर के बांटा गया ।

जिला अधिकारियों को गैर-सरकारी निकायों से और खास कर दरियागंज के लोगों से अत्यधिक सहयोग मिला। भारत सेवक समाज, गांधी स्मारक निधि, मुलतानी सेवा समाज, तथा दरियागंज के समाज सेवी निकाय और व्यक्ति बड़ा उपयोगी काम कर रहे हैं । दुर्घटनाग्रस्त परिवारों को कुछ नकद रुपया सहायता के रूप में भी दिया जा रहा है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांव) : राजघाट के समीप यह जो भीषण अग्निकाण्ड हुआ है क्या इससे पहले उन लोगों ने इस प्रकार के आवेदन-पत्र दिये थे कि हमको यहा से हटा कर किसी और उचित स्थान पर बसाया जाये ? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राजघाट में गांधीजी की समाधि के निकट, यह जो स्लम एरिया है, वह राजधानी पर कलंक है। अब जो इतना बड़ा भीषण अग्नि-काण्ड हुआ है, तो सरकार इस सम्बन्ध में भविष्य में क्या कार्यवाही करने जा रही है उन लोगों को कहां बसाया जायगा ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं आज सवेरे वहां गया था । माननीय सदस्य कहते हैं कि उन लोगों को जहां भी कहा जाये, वहां वे जाने के लिये तैयार हैं । यह ठीक नहीं है । मैंने खुद इस बारे में बात की । वे लोग उस जगह पर, या बिल्कुल उस के आसपास ही रहना चाहते हैं । वे वहां से हटना नहीं चाहते हैं । कार्पोरेशन की ख्वाहिश थी कि उनके लिये दूसरी जगह दें, लेकिन वह कुछ दूरी पर है । उस जगह पर कोई बस्ती बनाने का हमारा प्लान नहीं है। उसमें उसकी जगह नहीं रखी गई है । लेकिन फिर भी मैं इतना कह सकता हूं कि आज ही मैंने चीफ़ कमिश्नर और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के और अफसरों से यह कहा है कि वे इस पर फ़ौरन ही विचार करें और कारपोरेशन से परामर्श कर तय करें कि उनको कहां बसाया जाये, ताकि जहां वे रहें, वहां वे पक्की जगह और पक्के मकान बना सकें ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं इस सिलसिले में कुछ अर्ज़ कर दूं कि मैं दो बरस से इस कोशिश में हूं कि वे वहां से हटें, लेकिन जो लोग वहां रहते थे, वे मंजूर नहीं करते थे और इस में ज़बर्दस्ती करना अच्छा नहीं लगता था । जहां तक हो सके, ज़बर्दस्ती नहीं करना चाहते थे, लेकिन कोशिश बराबर जारी रही और मेरे पास रिपोर्ट आती थी कि वे लोग वहां से नहीं हटना चाहते हैं । लेकिन इसमें शक नहीं है कि उनका वहां रहना नामुनासिब है, उन के लिये भी और राजघाट समाधि के लिये भी और ज़रूर कहीं और उनका इन्तज़ाम करना चाहिये ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या गवर्नमेंट की तरफ से उनको वहां से हटा कर किसी दूसरी जगह बसाने के सम्बन्ध में कोई प्रोपोज़ल पेश की गई थी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह तो मैं तफ़सील से नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे प्रोपोज़ल थे और उनकी शिकायत आम तौर पर यह होती है कि वह जगह हमारे काम से एक मील या दो मील दूर है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या उन को किसी जगह के लिये कोई पर्टिकुलर प्रोपोज़ल दिया गया या नहीं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं तफ़सील से नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसी तजवीजें थीं और उन से कही गई होंगी ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : माननीय प्रधान मंत्री जी ने अभी फरमाया कि उनको पहले भी इत्तिला दी गई थी कि वे वहां से चले जायं, लेकिन क्या उन्हें यह मालूम है कि जहां वे रहते थे, वहां पानी का भी इन्तज़ाम नहीं था और यही वजह है कि शोलों को बुझाया नहीं जा सका ? दूसरा सवाल यह है कि क्या यह बस्ती जलने के बाद सिर्फ़ इसी का इन्तज़ाम किया जायगा, या दिल्ली में झंडेवालां और जो दूसरी बस्तियां हैं, जहां तकरीबन चालीस, पचास हजार छोटे छोटे काम करने वाले रहते हैं, उनका भी इन्तज़ाम होगा, ताकि ऐसी हालत न हो ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जहां तक पानी की बात है, ऐसा तो नहीं है कि वहां पानी नहीं था, लेकिन वहां हाइड्रेंट कोई नहीं था, जहां से पानी एक साथ ज्यादा ले सकें ।

श्री खुशवक्त राय (खेरी) : उसी वजह से आग बढ़ गई ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह जो क्षेत्र है, जहां लोगों ने ज़बर्दस्ती, अपने आप, झुग्गियां वग़ैरह बना ली हैं, वह उन कुछ जगहों में है, जिन को कार्पोरेशन की तरफ से अन-एप्रूव्ड कालोनी घोषित किया हुआ है । वहां जितनी बिल्कुल ही ज़रूरी सुविधायें हैं, उतनी वे देते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं देते हैं । यह ठीक भी है, क्योंकि फिर वे लोग वहां से नहीं हटेंगे । जहां बिल्डिंग बनाना नहीं है, वहां पानी रोशनी और सड़क वगैरह का इन्तजाम कार्पोरेशन करे, यह कहां तक मुनासिब बात होगी ? इसलिये, जैसा कि मैंने कहा है, वहां पर एक वाटर-टैप था । एक नाले को काट कर लोगों ने वहां आग बुझाने का इन्तजाम किया । जहां तक सारी झुग्गियों की बात है, वह प्रश्न विचारणीय है और कार्पोरेशन और दिल्ली, एडमिनिस्ट्रे शन के द्वारा उस पर विचार हो रहा है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरे सवाल को माननीय मंत्री जी नहीं समझ सके हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दूसरी बस्तियों के बारे में विचार तभी किया जायगा, जब वहां आग लग जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : विस्तृत वक्तव्य दिया जा चुका है ?

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

क्यूबा की स्थिति

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यह सभा क्यूबा की स्थिति के बारे में चिन्तित है । मैं भी तथ्यों पर अधिक प्रकाश नहीं डाल सकता क्योंकि हमारे पास जानकारी हासिल करने के खास साधन नहीं हैं । हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है मगर ज्यादातर अख-बारों पर ही निर्भर रहना पड़ता है । अखबारी खबरों में से यह देखना कठिन है कि कौनसी बात सही है और कौनसी गलत । वास्तव में उस क्षेत्र में अनेक रेडियो स्टेशन हैं से जिन खबरें आती हैं—कुछ स्टेशन ज्ञात हैं और कुछ अज्ञात । और वे खबरें विश्वसनीय नहीं होतीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

खैर, क्यूबा में यह हालत होने से पहले, अमरीकी अखबारों में इस किस्म की खबरें छप रही थीं कि शायद ऐसी कुछ बात हो और शायद क्यूबा पर हमला हो । मेरा ख्याल है अमरीका में काफी क्यूबा के बहिष्कृत लोग बसते हैं । शायद कैरिबियन क्षेत्र में रहने वाले क्यूबनों की संख्या एक लाख हो । हम नहीं जानते कि उनकी सहानुभूति किस के साथ है । हो सकता है कुछ लोग क्यूबा की सरकार के विरोधी हों और कुछ लोग कैस्ट्रो सरकार के समर्थक हों ।

किन्तु एक बात यह है कि इस प्रकार के काम के लिये तैयारी पहले से ही की गयी । हो सकता है यह तैयारी अमरीका पर से हुई हो या अमरीका के किसी और क्षेत्र से । यह मानना भी कठिन है कि यह सब काम उस क्षेत्र के अधिकारियों की इच्छा के विरुद्ध हुआ हो ।

और फिर यह हमला हुआ—निस्सन्देह यह हमला था—और काफी बड़े पैमाने पर था—यह जल, स्थल तथा आकाश मार्ग से हुआ ।

राष्ट्रपति कैनेडी ने कहा है कि वे हस्तक्षेप नहीं करना चाहते और कोई अमरीकी इसमें शामिल नहीं । हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिये ।

लेकिन हमला करने वाले लोग आखिर अमरीका से ही तो हमला कर रहे हैं और क्षेत्र विशेष के अधिकारियों की इच्छा के विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर सकता । अधिकारियों को उनसे सहानुभूति भी है । अब इससे हस्तक्षेप के बारे में बड़ा कठिन प्रश्न उत्पन्न होता है । एक आदमी खुद न जाय और दूसरे का हौसला बढ़ाये । यह मिसाल अच्छी नहीं है ।

हम इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण समझते हैं जिससे अन्य सब बातों में भी खराबी आ जाने का खतरा है । लाओस की समस्या है । अभी कमीशन भी बैठने वाला है । थोड़ी सी बातें तय करना बाकी है । यह काम जितना शीघ्र हो जाय अच्छा है । किन्तु अब वह सम्मेलन भी तनाव की हालत में होगा इस बात के कारण ।

मैं नहीं कह सकता कि क्यूबा में आगे चल कर क्या होगा । आज की खबर है कि हमला करने वालों को हरा दिया गया है । शायद यह सही हो । पर यह भी तो कहा जा रहा है कि इसके बाद फिर ऐसी ही चीज हो सकती है ।

मैं तो केवल यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि क्यूबा में बाहर वालों को दखल नहीं देना चाहिये । क्यूबा वालों को को खुद जो वह करना चाहते हैं, करने दिया जाय । दूसरों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।

हम तो दो वर्ष पहले से क्यूबा की सरकार को मान्यता दे चुके हैं । उनका राजदूत यहां है । हमारे वाशिंगटन के राजदूत क्यूबा में भी हमारे राजदूत हैं । हम चाहते हैं कि क्यूबा की सरकार चले और वहां गृह युद्ध से बर्बादी न हो । हमारा काम किसी तरह से दखल देने का नहीं है । मेरा यह सुझाव है कि बाहर का कोई भी देश किसी ओर से दखल न दे ।

†**श्री त्रिविक्रमकुमार चौधरी** : (बरहामपुर) : क्या हमारे राजदूत ने क्यूबा की हालत जानने के लिये वहां कोई अपना प्रतिनिधि भेजा है ? और क्या क्यूबा के बहुत से लोग विद्रोहियों से जा मिले हैं, जैसा कि अखबारों में छपा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कोई नहीं । यह काम कठिन था । युद्ध की हालत में जानकारी दूसरों से ही प्राप्त की जा सकती है । शायद वाशिंगटन से ही ज्यादा जानकारी मिल सकती है । पर यह देखना पड़ता है कि क्या चीज सही है और क्या गलत । अखबारी खबरों से ज्ञात होता है कि कुछ क्यूबा वासियों ने हमला करने वालों का साथ दिया किन्तु बड़े पैमाने पर नहीं ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : (मथुरा) : जनाबेवाला, जरा मुलाहिजा फरमाइये कि क्या हालत है हमारी दुनिया की । अभी लाओस में झगड़ा था, कांगो में था और अब यह क्यूबा में भी हो गया है । यहीं बस नहीं है । किसी छोटी सी बात को लेकर रूस और अमरीका झगड़ा कर सकते हैं और दुनिया में लड़ाई हो सकती है । आप जरा मेहरबानी करके फिर भी वह कहिये कि यू० एन० ओ० को पूरी ताकत दी जाए, उसकी फौज हो और वह इतनी मजबूत हो कि वह तमाम दुनिया में अमन कायम रख सके ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : (वाराणसी) : क्या लाओस के मामले में भी बाहर से हथियार देकर हस्तक्षेप हुआ है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : लाओस में सभी दलों को शस्त्र भेजे गये हैं और बड़ी मिकदार में भेजे गये हैं, और मुद्दत से भेजे जा रहे है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

जीवन बीमा नियम संशोधन नियम, १९६१

वित्त (मंत्री श्री मोरार जी देसाई) : मैं जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ४८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ८ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४७६ में प्रकाशित जीवन बीमा निगम (संशोधन नियम, १९६१ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २८६४/६१]

विभिन्न आश्वासनों वचनों और प्रतिज्ञाओं पर की गयी कार्यवाही

†**संसद्-कार्य मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं दूसरी लोक सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरण सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या १ तेरहवां अधिवेशन, १९६१

[देखिये परिशिष्ट ५ अनुबन्ध संख्या ९९]

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ४ बारहवां अधिवेशन, १९६०

[परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १००]

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ८ ग्यारहवां अधिवेशन, १९६०

[परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०१]

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सत्य नारायण सिंह]

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १३ दसवां अधिवेशन, १९६०

[परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०२]

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या १५ नवां अधिवेशन, १९६०

[परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०३]

जलगांव के तेल कारखाने में १७ मार्च, १९६१ को हुए विस्फोट के बारे में वक्तव्य

†**श्रम उपमन्त्री (श्री आबिद अली)** : मैं जलगांव के एक तेल के कारखाने में १७ मार्च, १९६१ को हुए विस्फोट के बारे में, जिस के फलस्वरूप २३ कामगर मारे गये और अन्य लोगों को चोटें आईं, एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं :—

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एस० टी० २८७०/६१]

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) (पहला संशोधन) नियम समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना

सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृति (सामान्य) नियम, १९६० में संशोधन करने वाली अधिसूचनाएं

वित्त उपमन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : श्रीमान्, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिनांक ८ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४७८ में प्रकाशित औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) (पहला संशोधन) नियम, १९६१

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २६७१/६१]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक ८ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४८१

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २८७२/६१]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्न-लिखित अधिसूचनायें;

(एक) दिनांक ८ अप्रैल, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ४८३।

(दो) दिनांक ८ अप्रैल, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ४८४।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २८७३/६१]

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक ८ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४८६ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (पांचवां संशोधन) नियम, १९६१ ।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी २८७४/६१]

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : श्रीमान्, आप की अनुमति से मैं सोमवार २४ अप्रैल, १९६१ को आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिये जाने वाले सरकारी का ' की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार होगा :---

(१) कल की कार्य सूची का शेष कार्य ।

(२) राज्य-सभा द्वारा तार विधि (संशोधन) विधेयक, १९६० और औद्योगिक रोजगार, (स्थायी आदेश) विधेयक में किये गये संशोधनों पर विचार ।

(३) दंड विधि (संशोधन) विधेयक और उड़ीसा राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, १९६१, जिस रूप में कि वह राज्य-सभा द्वारा पारित किया गया, पर विचार तथा उन का पारित किया जाना ।

(४) उड़ीसा की अनुदानों की मांगों (१९६१-६२) पर चर्चा और मतदान ।

(५) अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक पर विचार और उस का पारित किया जाना ।

(६) आयकर विधेयक, १९६१ को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर विचार ।

(७) सालारजंग संग्रहालय वि `यक, १९६०, विधि व्यवसायी विधेयक तथा दिल्ली (नगरीय क्षेत्र) कृषक सहायता विधेयक पर विचार तथा उन का पारित किया जाना ।

(८) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमों में फेरबदल करने के प्रस्तावों पर विचार । ये प्रस्ताव २४ अप्रैल, १९६१ को ४ म० प० श्री हरिश्चन्द्र माथुर द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे ।

(९) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इंडिया इंटरनेशनल निगम के १९५८-५९ और १९५९-६० के वर्षों के प्रतिवेदनों पर चर्चा । यह चर्चा २५ अप्रैल, १९६१ को ४ म० प० श्री दी० चं० शर्मा द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों पर की जायेगी ।

वित्त विधेयक--जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा वित्त विधेयक पर विचार करेगी । हम ६ बजे तक बै ेंगे ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकुन्दपुरम्): राज्यों की वित्तीय स्थिति पर सरकार का ध्यान रहना चाहिये । केरल जैसे छोटे से राज्य को जिन वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है वे सर्वविदित हैं । इस से प्रकट होता है कि केन्द्र को सभी क्षेत्रों की समान उन्नति की चिन्ता नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नारायणन् कुट्टि मेनन]

केरल की अपनी समस्यायें हैं। वहां केवल ५४ प्रतिशत कृषि करते हैं। अन्य व्यवसाय भी विकसित नहीं हैं? इस कारण बेकारी बेइंद बढ़ी हुई है? इस समस्या के इलाज के लिये ठोस काम की जरूरत है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

वहां की प्रति व्यक्ति आय भी तुलनात्मक दृष्टि से कम ही है। पीछे केरल की ओर सामान्य ध्यान भी नहीं दिया गया।

केरल में अब तक कुल एक कारखाना खोला गया है जो १८८ व्यक्तियों को रोजगार दे सकता है।

केरल में अनेक परियोजनायें चालू की जा सकती थीं। वहां अब तक दूसरा शिपयार्ड बनाया जा सकता था। परन्तु अभी भी यही कहा जा रहा है कि शिपयार्ड बनाया जायेगा।

एक साल में एक हीरे का काम तो समाप्त हो ही सकता था। टेक्निकल रिपोर्ट में भी यही लिखा हुआ है। सरकार कहती है कि वह किसी राज्य से मतभेद नहीं करती। परन्तु केन्द्रीय मत्स्यपालन संबंधी समिति ने यह कहा था कि केन्द्रीय मत्स्यपालन संस्था के लिये सब से उपयुक्त स्थान केरल है। पर सरकार ने इस सिफारिश को अस्वीकार कर के इस संस्था को बम्बई में स्थापित करने का निश्चय कर लिया। क्या यह एकतरफा बात नहीं है? केरल में रेलवे लाइन के निर्माण पर भी एक नया पैसा खर्च नहीं किया जा रहा। टैक्निशियनों ने कहा था कि कोचीन बन्दरगाह का विकास करना चाहिये पर अब सरकार का कहना है कि जितना विकास संभव था हो चुका है।

सरकारी प्रैस लगाने के लिये केरल में भूमि प्राप्त की जा चुकी है पर अभी तक प्रैस लगाने का काम शुरू नहीं हुआ है। यह सब बातें यही प्रकट करती हैं कि इस दिशा में काफी मतभेद हुआ है। अब दूसरी योजना के अन्त में राज्य की हालत पहले से भी बुरी हो गई है।

केरल में ज्यादा बिजली का उत्पादन भी इस कारण नहीं हो सका कि वित्त मंत्रालय ने बार बार इस को सहायता देने में रोड़े अटकाये। अब वहां बिजली की कमी है।

केरल के लाखों व्यक्ति नारियल जटा उद्योग में लगे हुए हैं पर वह उद्योग भी सरकार की उदासीनता के कारण पतनोन्मुख होता जा रहा है। सरकार उस के विकास के लिये आवश्यक धन व्यय करना नहीं चाहती।

केरल के अनेक लोगों का गुजर काली मिर्च के उद्योग पर चलता है पर उस के भाव भी नीचे गिरते जा रहे हैं। मूल्यों के स्थायित्व के बारे में भी सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही। इसी पर नारियल के मूल्यों के गिरने से भी वहां के लाखों लोगों के जीवन पर बुरा असर पड़ेगा।

केरल में बैंकों के संकट के बारे में भी मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय की गलती से आज ३८ करोड़ रुपये के कुल निक्षेप में से कम से कम आधी रकम जरूर दब गई है। पलाई बैंक को समाप्त करने की कार्यवाही चालू है परन्तु जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे यह चीज खुलती जा रही है कि इस मामले में केवल रिजर्व बैंक की ही नहीं वित्त मंत्रालय की भी गलती थी।

इन सब बातों से स्पष्ट है कि स्वायत्तता नाम मात्र की है।

पांच बैंकों को शोध विलम्ब काल की अनुमति मिल गई है। केरल में इन पांच बैंकों से जनता ने ऋण लिये हैं। ये ऋण सोने के बदले में लिये हैं। लेकिन अब वित्त मंत्री की घोषणा के फलस्वरूप उन्हें हर कीमत पर अपना सोना इन बैंकों से वापस लेना है। पलाई बैंक के बन्द हो जाने के बाद इन पांचों बैंकों पर काम का भार बढ़ गया। अगर वित्त मंत्री यह कह देते कि बैंकों का काम भरोसे का है तो इन बैंकों पर इतना बोझ नहीं पड़ता। मेरा निवेदन तो यही है कि वहां इन बैंकों को ऋण शोध विलम्ब की स्वीकृति दिये जाने के समय से केरल का सम्पूर्ण वित्तीय ढांचा संकट में फंस गया है। अतः सरकार को केरल राज्य के बारे में जिस की निरन्तर उपेक्षा की जाती रही है, कुछ करना चाहिये।

†**श्री कोरटकर** (हैदराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे वित्त विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। उसके साथ ही साथ मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी एक विशेष बात के लिए बधाई देना चाहता हूं जिस पर कि सदन का बहुत कम ध्यान गया है।

आज आठ साल के बाद मेरा खयाल है कि यह पहला बजट है जबकि डेफिसिट फाइनेंसिंग को आधार ज्यादा नहीं बनाया गया है। बहुत दिनों से लोगों का यह खयाल था कि प्लांस को पूरा करने के लिए हमको डेफिसिट फाइनेंसिंग का आधार जरूर लेना पड़ेगा। लेकिन मैं इस बात के लिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक जो बड़ी भारी बीमारी हमारे बजट सिस्टम में लग गई थी, उसको दूर करने की कोशिश पूरे तौर से की है और जिसके कि परिणाम बाद में बहुत अच्छे नजर आयेंगे।

इसके साथ ही जो दो बड़े भ्रम हमारे लोगों में फैल रहे हैं उन भ्रमों पर भी मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। उनमें से एक क्षेत्र तो यह है कि हमारे देश में मूल्य बढ़ते चले जा रहे हैं जिसकी कि वजह से बहुत गड़बड़ हो रही है और दूसरा क्षेत्र यह है कि फौरेन एक्सचेंज बनाने के लिए अगर कोई चीज की जा सकती है तो वह यही है कि ऐक्सपोर्ट बढ़ाये जायं और उससे ट्रेड बैलेंस अच्छे तरीके से कायम किया जाय। इस बारे में जो आंकड़े हमें सप्लाई किये गये हैं उनसे यह मालूम होता है कि यह केवल एक प्रकार से भ्रम मात्र हैं। अब चीजों के दाम बढ़ने के आंकड़ों को यदि आप देखेंगे तो आपको मालूम हो जायगा कि यह सवाल खाली हिन्दुस्तान का ही नहीं है। प्राइसेज सब जगह एक ही जैसी बढ़ रही हैं। फर्क अगर थोड़ा मालूम होता है तो वह यह है कि लड़ाई के बाद कीमतें हमारे यहां थोड़ा ज्यादा बढ़ी हैं जबकि दूसरे देशों में कम बढ़ी हैं। अगर इन को तीन हिस्सों में बांटा जाय यानी जब महायुद्ध शुरू हुआ तो उस वक्त क्या प्राइसेज थीं, सन् १९५३ में क्या प्राइसेज थीं और अब क्या प्राइसेज हो रही हैं, तो उपाध्यक्ष महोदय, यह साफ नजर आयेगा कि यह सवाल कोई हिन्दुस्तान का अपना खास सवाल नहीं है। मैं थोड़े से आंकड़े सदन् के सामने रखना चाहता हूं और वह यह हैं कि सन् १९३७ में क्या प्राइसेज थीं, सन् १९५३ में क्या प्राइसेज थीं और सन् १९६० में क्या प्राइसेज रहीं। अगर इस समस्या को इस प्रकार से एनालाइज़ कर के देखा जाये और अगर १९५३ की प्राइस को बेस माना जाये, तो यह स्थिति हमारे सामने आती है :—

	१९३७	१९६०
कैनेडा .	४९	१०४
अमरीका . .	५१	१०८
इंगलैंड .	४१	१०३
फ्रांस	३३	१२५
भारत	३०	११७

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कोरटकर]

इसी तरह से अगर कास्ट आफ़ लिविंग पर गौर किया जाये, तो ये आंकड़े दिखाई देते हैं :—

	१९३७	१९६०
कैनेडा	५५	१११
अमरीका	५४	१०९
फ्रांस	..	१२२
इंगलैंड	१००	१२१
भारत	३३	११७

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आज की प्राइसिज़ का १९३७ की प्राइसिज़ के साथ कम्पैरिज़न कर के देखा जाये, तो साफ़ नज़र आयगा कि दामों के बढ़ने का सवाल कोई खास हिन्दुस्तान का सवाल नहीं है, बल्कि यह एक जागतिक सवाल है । जैसा कि हमारा अपना अनुभव है, जो दाम हम पुराने ज़माने में देखते थे, वे आज नहीं हैं और जो दाम हम आज देखरहे हैं, उन को बाद में नहीं देख सकेंगे । मेरा ख्याल है कि प्राइसिज़ के ऊपर बहुत ज्यादा ग़ौर सिर्फ़ यह समझ कर नहीं करना चाहिए कि टैक्स लग रहे हैं, इसी वजह से प्राइसिज़ बढ़ रही हैं । इस का एक कारण डेफ़िसिट फ़िनांसिंग भी है, जो कि पुराने वक्त में अमल में आया था, जिस की वजह से करेंसी बढ़ गई है । १९५० से ले कर १९५९ तक की अवधि में ही करीब करीब २५ परसेंट करेंसी बढ़ गई है । यह तो एक सीधी सादी बात है कि अगर किसी देश के पास पांच लाख रुपया हो और उस की पैदावार एक लाख की होती हो, तो प्राइसिज़ पांच गुना हो जायेंगी और अगर वही रुपया आठ लाख हो और पैदावार बहुत थोड़ी बढ़ी हो, तो प्राइसिज़ आठ गुनी हो जायेंगी । इस का अर्थ यह है कि करेंसी बढ़ने की वजह से प्राइसिज़ बढ़ी हैं । अगर प्राइसिज़ को कम करने का कोई उपाय है, तो वह एक ही है कि जो करेंसी का सर्कुलेशन ज्यादा हो गया था, उस को कम किया जाये । लेकिन यह भी एक बड़ा कठिन प्रश्न है । करेंसी कम होना कोई सीधा-सादा सवाल नहीं है कि वह एक दम कम हो जायगी । करेंसी का सर्कुलेशन दूसरे देशों में भी बढ़ रहा है और वहां भी मूल्य ऐसे ही बढ़े हैं ।

मैं समझता हूं कि प्राइसिज़ को कम करना तो मुश्किल है, लेकिन एक प्रकार का जो इम्पेक्ट लोगों पर होता है, जो लोग महसूस करते हैं, उस को कम किया जा सकता है और वह तभी कम किया जा सकता है, जब कि लोगों की आमदनी बढ़ाई जाये । मुझे इस बात की खुशी है कि हिन्दुस्तान में नैशनल इनकम बढ़ रही है और आशा है कि वह बढ़ती जायगी और वक्त आयगा जब कि बढ़ी हुई प्राइसिज़ भी हम को इतनी तकलीफ़ नहीं देंगी, जितनी कि आज दे रही हैं । जिन देशों में अच्छी हालत है, हम देख रहे हैं कि वहां बढ़ी हुई प्राइसिज़ के बावजूद वह शोर नहीं होता है, जो कि अपेक्षतया थोड़ी प्राइसिज़ की वजह से हमारे यहां बहुत हो रहा है ।

इस के बाद मैं आप का ध्यान दूसरी बात की ओर दिलाना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि वह भी थोड़ा भ्रम मात्र है । इस सदन में और बाहर भी बहुत बार कहा जाता है कि एक्सपोर्ट बढ़ाई जाय, लेकिन एक्सपोर्ट किस चीज़ की बढ़ाई जायें और किस तरह बढ़ाई जाये, इस विषय में मैं ने अभी तक न तो इस सदन में और न दूसरी जगहों पर सुना है । मैं एक बात की तरफ़ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यदि हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के आंकड़े देखे जायें, तो मालूम होगा कि हमारे पूरे एक्सपोर्ट में पचास परसेंट सिर्फ़ तीन चीज़ों का है और वे चीज़ें हैं टी, जूट और काटन मैन्युफैक्चर । इस में २० परसेंट टी, १८ परसेंट जूट और १०.७ परसेंट काटन मैन्युफैक्चर है । इस प्रकार पचास चीज़ें और रह जाती हैं, जिन में बाकी का ५० परसेंट एक्सपोर्ट होता है । जहां तक एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रश्न है, टी०, जूट और काटन मैन्युफैक्चर सैट्युरेशन प्वायंट पर पहुंच चुके हैं और काटन

तो सैचुरेशन प्वायंट पर ही नहीं पहुंचा है, उस का एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मुझे उस का कोई भय नहीं है । काटन मैन्युफैक्चर की पैदावार हमारे मुल्क में बढ़ी है और फिर भी उस में हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ है, तो इस के सीधे माने ये हैं कि बढ़ी हुई पैदावार को हमारे अपने लोगों ने ही इस्तेमाल किया है, अर्थात् उन का स्टैंडर्ड आफ़ लिविंग बढ़ा है और उस में कोई तशवीश की बात नहीं है । बाकी पचास चीजों में, जो कि पूरे एक्सपोर्ट का ५० परसेंट हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह एक नामुमकिन सी चीज़ है कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ा कर नीयर फ्यूट्यर में ट्रेड इमबैलेंस को कम कर सकेंगे । अतः यदि हम ट्रेड इमबैलेंस कम करते है, तो वह तभी हो सकती है, जब कि इम्पोर्ट्स को कम किया जा सके ।

यदि हम इम्पोर्ट्स के आंकड़ों को देखें, तो हम को मालूम होता है कि १९५९–६० में तीन चीजें ही बहुत ज्यादा तौर पर आई हैं और वे चीजें हैं फूडग्रेन्ज, आयरन एंड स्टील और मिनरल आयल्ज़ । ये चीजें इस जमाने में बहुत आवश्यक थीं और उन के बिना हमारा गुज़ारा नहीं चल सकता था । लेकिन इस के साथ ही यह खुशी की बात है कि फूड मिनिस्टर साहब ने परसों अपनी स्पीच में बयान दिया कि तीन साल के अन्दर भारतवर्ष यह देखेगा कि किसी तरह भी कोई फूडग्रेन्ज हमारे यहां न आयें । पिछले साल फूडग्रेन्ज १२२९ मिलियन का, आयरन एंड स्टील ८४० मिलियन का और मिनरल आयल्ज ७७१ मिलियन के मंगवाये गये थे । ये तीन चीजें बहुत ज्यादा तादाद में मंगवाई गई हैं और बाकी चीजें बहुत थोड़ी तादाद में मंगवाई गई हैं । मुझे यह कहते हुए आनन्द प्रतीत होता है कि फूडग्रेन्ज तीन साल के बाद हमारे देश में नहीं आयेंगे । जहां तक आयरन एंड स्टील का सम्बन्ध है, जब हमारी तीनों बड़ी बड़ी फ़ैक्ट्रियां पूरे तौर पर काम करने लगेंगी, तो उस वक्त आयरन एंड स्टील भी इतना मंगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी । साथ ही यह परमेश्वर की कृपा है कि हमारे यहां पैट्रोलियम की बहुत बड़ी पैदावार हो रही है, और इस बात की पूरी आशा है कि अगर अगले पांच सालों में नहीं, तो अगले दस सालों के बाद हम को मिनरल आयल्ज़ मंगाने पड़ेंगे, ऐसा हम को नज़र नहीं आता है ।

जो तीन चीज़ें हम ने मंगाई हैं, अगर उन को जमा किया जाये, तो यह मालूम होता है कि २८४० मिलियन के करीब हम को इन चीजों को मंगवाना पड़ा है । पिछले साल हम ने ८८७४ मिलियन का इम्पोर्ट किया था और ६१५८ का एक्सपोर्ट किया था और उन दोनों में २७१६ मिलियन का फ़र्क है । इस का मतलब यह है कि जब ये तीनों चीज़ें आनी बन्द हो जायेंगी, तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में इमबैलेंस खुद-ब-खुद कम हो जायेगा और उस के सम्बन्ध में जो बहुत तशवीश ज़ाहिर की जाती है, वह बाकी नहीं रहेगी ।

चूंकि अधिक समय नहीं है, इसलिये थोड़े शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि फ़ारेन एक्सचेंज को बचाने के लिये ये छोटे छोटे टैक्सिज़ लगा कर कोशिश करने की कोई ज़रूरत मालूम नहीं होती है । वह समस्या ज्यादा खतरनाक नहीं है । छोटे छोटे टैक्सिज़ के बारे में, जैसे कैरोसन और दूसरी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । मैं अन्त में सुपारी पर टैक्स के बारे में कहना चाहता हूं ।

सुपारी के ऊपर सबसे पहले टैक्स १९४६ में इस वजह से लगाया गया था कि सुपारी का इम्पोर्ट कम किया जाए । टैक्सिस के बारे में केवल इसी बात को ध्यान में नहीं रखा जाता है कि उनसे रेवेन्यू कितना होता है । आजकल की सरकारें जो टैक्स लगाती हैं, वे किसी सेट पालिसी के तहत लगाती हैं । उसी पालिसी के तहत सुपारी पर टैक्स २८ पैसे सन् १९४६ में लगाया गया था ताकि सुपारी का इम्पोर्ट कम हो । इसका अच्छा नतीजा निकला है । सुपारी का इम्पोर्ट जो ३०३ लाख टन हुआ करता था, कम होते होते पिछले साल ७१ लाख टन ही रह गया है । इस

[श्री कोरटकर]

टैक्स का रेट कभी बढ़ता गया है और कभी घटता गया है। मैं उन सारी डिटेल्ज़ में नहीं जा सकता हूं क्योंकि समय नहीं है। लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि जिस प्रयोजन के लिए हमने यह टैक्स लगाया था वह पूरा हो गया है। जहां १९४६ और १९४७ में ३०३ लाख टन सुपारी आती थी वहां अब हमारे यहां ७१ लाख टन सुपारी ही आ रही है। मालूम ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट में यह बात ही सामने रखी गई है कि सुपारी पर लगे हुए टैक्स से आमदनी कम हो गई है और इस टैक्स को ज़रा और बढ़ा दिया जाए ताकि आमदनी अधिक हो जाए। यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है। इस टैक्स को बढ़ाने का नतीजा यह होगा कि जो सुपारी खाने वाले हैं, उनको अधिक कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये लोग कोई बड़े भारी अमीर नहीं हैं, कोई बड़े पैसे वाले नहीं हैं। इससे उनको तकलीफ होगी। उन पर इस टैक्स का बहुत बोझ पड़ेगा और यह केवल टैक्स की वजह से ही नहीं बल्कि दूसरी वजहों से भी बढ़ेगा। एक बड़ी अजीब सी बात है कि आज यह समझा जाता है कि टैक्स लगाने से जो लोग प्राफिट कमा रहे हैं, उनके इस प्राफिट को कम कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इसका नतीजा बिल्कुल उल्टा होता है। प्राफिट कमाने वाले लोग काफी होशियार होते हैं। जब उनसे कुछ कहा जाता है तो वे सिर्फ यही जवाब देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, आपके मिनिस्टर साहब ने टैक्स बढ़ा दिया है और हमने भी इसका भाव तीन रुपये सेर से बढ़ा कर साढ़े तीन रुपये सेर कर दिया है। इम्पोर्ट कितना होता है, फायदा कितना किया जाता है, डिमांड कितनी होती है, इन सब चीजों को मिला कर के दाम तय होते हैं। कल भी एक वक्ता ने कहा था कि कैरोसीन पर एग्जेम्पशन देने के बाद भी गांवों में कैरोसीन के दाम वही के वही हैं। यही हाल सुपारी का भी है। मैं समझता हूं कि सुपारी पर यह छोटा सा टैक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। और भी बहुत सी चीजों पर टैक्स मंत्री महोदय ने कम किए हैं और इन चीजों में अगर सुपारी को भी रख दिया जाए तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। इतना ही मुझे निवेदन करना था।

सरदार अ० सिं० सहगल (जंजगीर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं फाइनेंस मिनिस्टर श्री मोरारजी भाई को बधाई देता हूं जिन्होंने देश की बढ़ती हुई हालत का सही अंदाज़ रखते हुए, बढ़ते हुए और बढ़ने वाले खर्च का ध्यान रखते हुए, और तीसरी योजना का ध्यान रखते हुए जिस पर कि हमारे देश का भविष्य निर्भर करता है, पूरी तफसील के साथ सब चीजों को हमारे सामने रखा है।

खर्च जरूरी होता है और खर्च करना आसान भी है लेकिन उसके लिए आमदनी और रकम जुटाना मुश्किल होता है। ऐसे देश में, जहां पर कि ४० करोड़ लोगों में सिर्फ १० लाख लोग ही इनकम टैक्स देते हों तथा डाइरैक्ट टैक्स देने वालों की संख्या और भी कम हो, और जिसकी खर्च की जरूरत अरबों की नहीं, खरबों की हो, और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे देश में आमदनी का जरिया या तो टैक्सेशन से हो सकता है या फिर कर्ज़ जो देश या विदेश से लिये जाते हैं, वे ही हो सकते हैं। जहां तक विदेशों से मदद या कर्ज़ लेने का सम्बन्ध है, उसकी भी एक सीमा होती है।

हम खुशकिस्मत हैं कि दुनिया के बाजार में हमारी साख अच्छी है और इस कारण से हमें बाहर से कर्जा मिला है। दुनिया में हमारे प्रधान मंत्री जी श्री नेहरू की एक साख है और उनकी विदेश नीति की धाक है। दुनिया के सभी देश भारत की मदद करना चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रजातंत्रीय मार्ग पर चलते हुए कम से कम समय में वह जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में सफल हो और लोगों को जीवन की बुनियादी जरूरतें मुहैया हों। इस तरह से जो मदद हमें विदेशों से

प्राप्त हुई है, उसका उपयोग करके हम आगे बढ़े भी हैं। बाहर के देशों के लोगों ने जो कार्य हमने किये है, उनके लिये हमारी तारीफ भी की है ।

पहली और दूसरी योजना में हमने कई काम पूरे किये हैं और कई नये कामों को हाथ में लिया है। हमारे वित्त मंत्री जी ने बताया हैं कि देश में सिचाई, खेती परिवहन सामाजिक कल्याण और हैवी मशीन इंडस्ट्री तथा लघु उद्योगों में काफी पैसा लगाया जा चुका है और उस के फलस्वरूप सनसनीखेज आर्थिक प्रगति हमारे देश ने की है। बहुत तेजी से आज भी हम प्रगति करते जा रहे हैं। शहर शहर, गांव गांव, जगह जगह आगे बढ़ रहे हैं, इसके चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसके साथ ही साथ यह भी देखने में आया है कि लोगों की आकांक्षायें भी बढ़ गई हैं। लेकिन यह भी सही है कि प्रगति जिस पैमाने पर होनी चाहिय थी, नहीं हुई है। इसमें दोष किसका है ? दोष क्या शासन और उसके कर्मचारियों का है, जनता का है या उसके नेताओं का ? या क्या यह दोष विरोधी शक्तियों का है जो आए दिन प्लेटफार्मों से संगठित समाचार पत्रों के केन्द्रीय कालमों से और दिल्ली तथा प्रान्तीय धारा सभाओं में बैठ कर स्वार्थगत दृष्टिकोणों से धुआंधार प्रचार करती हैं ? मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि दोष कम ज्यादा हम सभी का है। हम सब ने प्लान को मंजूर किया है इस वास्ते उसको पूरा करना और उसको सफल बनाना हम सब का कर्तव्य हो जाता है, हम सब की जिम्मेदारी हो जाती है। फिर उससे निकले हुए नतीजों के बारे में यह कहना कि उसमें किसी एक खास वर्ग तथा तबके की ओर पूरा पूरा ध्यान नहीं दिया गया या उस वर्ग या तबके के स्वार्थ पूरे नहीं होते, कहां तक ठीक है। हमारी आर्थिक तथा सामाजिक खाइयां जो सैकड़ों वर्ष पुरानी हैं, एक दिन में दूर नहीं हो सकती हैं। ये सब अशिक्षा, गरीबी और बेकारी की वजह से जड़ जमाये हुए हैं और इनको दस वर्षों के ही प्रयत्नों से दूर नहीं किया जा सकता है।

आज के एटोमिक युग में भी भारत की अर्थ व्यवस्था का आधार कृषि ही है तथा उस कृषि के भी साधन वही बाबा आदम के जमाने के हैं। उसका लक्ष्य भी सिर्फ पेट भर पैदा करने का ही है। संकुचित धार्मिक वृत्ति, प्रान्तीय तथा जातीय कट्टरता अचल बने हुए है। हमारे यहां का शिक्षित समाज भी इसी में डूबा हुआ है। बदलते हुए जमाने का, साधनों का उस पर बहुत कम असर हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के पहले राष्ट्र पिता गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रयत्नों से राजनीतिक आजादी को हमने राष्ट्र का केन्द्र बिन्दु तो बना लिया था, पर आजाद होने के बाद कोशिशें करने के बावजूद भी अभी तक आर्थिक और सामाजिक विकास को राष्ट्रीय केन्द्र बिन्दु बनाने में हम पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं। हमें इसके लिये सतर्क रहना होगा और अधिक प्रयत्न करना होगा। छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दे कर कंधे से कंधा मिला कर प्रगति के उस चढ़ाव पर हमें चढ़ना है जहां से हमारा मार्ग सरल हो सके।

हम इस बात में उलझ गये हैं कि प्राइवट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर इन दो सेक्टर्ज़ में से किसको पसन्द किया जाए। हम इसमें भी उलझ कर रह गये हैं कि एक प्रान्त को दूसरे प्रान्त से अधिक दिया जावे, शहर के मुकाबले गांव को नजरअन्दाज़ किया जावे, बड़े कारखानों और हैवी इंडस्ट्रीज़ पर अधिक ध्यान न देकर, कृषि पर ही सब ध्यान दिया जावे, इत्यादि। फिर मिक्स्ड इकोनोमी को हमने अपनी अर्थ-व्यवस्था का आधार बनाया है। कृषि की पैदावार बढ़ाने का भी इतना ही महत्व है। प्रान्तों तथा क्षेत्रों के साधन देखते हुए आगे बढ़ने का निश्चय हमें करना है।

शान्त चित्त से और दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ने की बात है। यह सही है कि तीसरे प्लान में पब्लिक सेक्टर के कार्यों को पसन्द किया गया है, पर इसका यह मतलब नहीं कि प्राइवट सेक्टर का कोई महत्व नहीं या उसे खत्म किया जावे। उसे तो जहां लागत कम हो और नतीजा जल्दी

[सरदार अ० सि० सहगल]

निकले उधर कदम बढ़ाना चाहिये । हम सब एक ही किश्ती में बैठे हैं और हमें उसी में बैठ कर पार उतरना है ।

विकास कार्य के लिये सब ही दल एकमत हैं । इसमें योजनाबद्ध कड़ियां हों, इससे किसी का विरोध नहीं, पर इन कार्यों के लिये समुचित आर्थिक साधन जुटाना हमारा कर्तव्य हो जाता है । इस कार्य को कौन पूरा करेगा ? इसको हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर श्री मोरारजी भाई को पूरा करना है । टैक्सेज का लगाना, कभी भी प्रिय कार्य नहीं होता, पर जरूरत अन्धी होती है और इस कार्य को करना ही पड़ता है । उन्होंने अपने भाषण के पैरा ६८ और ६९ में बड़ी खूबी और मौजूं तरीके से विचारकों के सामने इसका कारण स्पष्ट किया है, और मैं उसे आपकी आज्ञा से उद्धृत करना चाहता हूं :

इस आधार पर उन्होंने जिस खूबी से टैक्सों के प्रस्ताव रखे है, मैं आपसे अर्ज करूं, उसकी तारीफ हमारे विरोधियों के अगुवा श्री ए० डी० शराफ ने "फोरम आफ फ्री एन्टरप्राइजरु में की है ।

आम जरूरत की चीजों पर, मसलन सुपारी और मिट्टी के तेल पर, डयूटी बढ़ाना अखरने वाली बात है, पर उसके लिये उन्होंने एहतियाती कदम लेने की बात कही है । वह पूरे निश्चय और कड़ाई के साथ अमल में लाई जानी चाहिये ताकि लोगों को कम से कम तकलीफ उठानी पड़े ।

मैं आप का ध्यान एक खास महत्वपूर्ण बात की ओर दिलाना चाहता हूं । सभी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों द्वारा समय समय पर सरकार से व्यक्तिगत स्तर पर और पे कमिशन के सामने सामूहिक स्तर पर मांग की गई कि एज आफ रिटायरमेंट ५५ से बढ़ा कर ६० की जाये । पर उधर कभी भी उचित ध्यान नहीं दिया गया । पर अब यह मांग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा सिर्फ हाई कोर्ट के जजेज के लिये सरकार के सामने खुले तौर पर रख दी गई है । इस के कारण अपने ढंग के निराले हो सकते हैं, पर बुनियाद में मांग एक ही है । जजेज को मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ती है, पर इस के लिये उन्हें जल्दी ही अवकाश देना अच्छा है । वे आर्थिक समस्या से पीड़ित नहीं रहते हैं जब कि सरकारी कर्मचारी आर्थिक समस्या से तंग हैं । मैं समझता हूं कि उन को यह सुभीता देना चाहिये और मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस पर विचार कर के वह निर्णय देने की कृपा करे । समस्या को देखते हुए पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच कोआपरेटिव सेक्टर की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया है । मेरे प्रान्त के छत्तीसगढ़ एरिया में को-आपरेटिव ट्रान्सपोर्ट यूनिट्स खुली हैं और वह काम कर रही हैं । पर मोटर वहिकल्स ऐक्ट के मातहत रीजनल ट्रान्सपोर्ट अथारिटीज, जिन में कमिश्नर आफ दि डिवीजन काम करते हैं, उन्हें एक न एक बहाने से परमिट देने से इन्कार करते हैं । आज भी वहां प्राइवेट यूनिट्स की मोनोपली है । प्रान्तीय सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहिये और जरूरत हो तो मोटर वहिकल्स ऐक्ट को फौरन बदलने पर विचार करना चाहिये ।

केरल के पलाई सेंट्रल बैंक तथा अकोला के लक्ष्मी बैंक के फेल होने पर छोटे जमा करने वालों की रकम को जल्दी से जल्दी दिलाने के लिये कदम लिया गया है, पर अभी तक रकमें नहीं दी गईं । इस ओर आदेश दिये जाने चाहियें कि उन्हें जल्दी यह रकम दी जाये ।

अन्त में मैं फिर मंत्री जी को बधाई दे कर इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, तृतीय पंचवर्षीय योजना को मद्द नजर रखते हुए भारत के किसी वित्त मंत्री को इस बात की आशा नहीं रखनी चाहिये कि वह बधाई का पात्र बने। जो बड़ा साहसपूर्ण कार्यक्रम देश के सामने विकास के लिये रक्खा जाता है उस में सर्वसाधारण को अधिक से अधिक त्याग करने के लिये, अधिक से अधिक परिश्रम करन के लिये, अधिक से अधिक संयमपूर्वक रहने के लिये कहा जाता है और उस की उन से आशा की जाती है। इसलिये इस वर्ष का जो वित्त विधेयक है, जिस में लगभग ६० करोड़ रु० से ऊपर के नये कर लगान का विधान है, उस को देखते हुए सचमुच देश के अन्दर एक ऐसा ख्याल पैदा होता है कि हर साल हमारे ऊपर करों का भार बढ़ता चला जाता है। और इस के लिये जो कांग्रेस दल है उस के प्रति एक असन्तोष की भावना भी देखने में आती है। मुझे इस बात की खुशी है, और मुझे इस बात का गौरव है कि मैं कांग्रेस दल का एक सदस्य हूं क्योंकि यह जो हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना है वह एक आकांक्षापूर्ण योजना है जिस में अरबों रुपयों का नियोजन करने का विधान है। आज अगर कांग्रेस दल के वित्त मंत्री इस बात का ख्याल करते कि इस तरह के नये करों के लगाने से जनता में असन्तोष होगा और ये कर वे नहीं लगात तो जहां तक मेरा ख्याल है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का भविष्य अन्धकारमय होता। इस लिये यद्यपि हमारे वित्त मंत्री ने चुनावों को दृष्टि में नहीं रक्खा है, हालांकि यह एक स्वभाविक बात है कि राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा चुनाव का ध्यान पार्टी विशष के सामने आये, फिर भी उन्होंने पंचवर्षीय योजना को मद्दे नजर रख कर जो यह साहसपूर्ण काम किया है, उस के लिये उन को बधाई देता हूं।

साथ ही साथ वित्त विधेयक को विचारार्थ सदन के सामने उपस्थित करते हुए उन्होंने छोटे छोटे उद्योगों के ऊपर लगाए गए उत्पादन करों में कुछ रियायत करके जो लगभग ६ करोड़ से कुछ ऊपर की छूट देने की घोषणा की है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह कहे बगैर नहीं रहूंगा--और अगर मैं ऐसा न करूं तो अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति वफादार नहीं रहूंगा--कि यद्यपि आपने सुपीरियर कैरोसिन पर कर लगाया है लेकिन फिर भी जनता को दोनों प्रकार के तेल के लिए अधिक पैसा देना पड़ रहा है। इसलिए मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात पर विचार करें और जो कैरोसिन पर कर बढ़ाया गया है उसको बिल्कुल ही हटा दें।

जब हम वित्त विधेयक पर बोलने के लिए खड़े होते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर संविधान के उस निर्देशक सिद्धान्त की ओर चला जाता है जिसमें हम ने इसका निश्चय किया है कि हिन्दुस्तान के हर उस आदमी को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, जो काम कर सकता है, उसके लिए काम की व्यवस्था करेंगे। यह बात सही है कि हम आर्थिक विकास के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में तरक्की हो रही है, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है। हमारी राष्ट्रीय आय भी बढ़ रही है, लेकिन हिन्दुस्तान में जो बाराबर उपेक्षित समाज चला आ रहा है, यानी जो गांवों में रहने वाले भूमिहीन गरीब लोग हैं या खेती का काम करने वाले छोटे छोटे किसान हैं, उनकी दशा में कुछ परिवर्तन नजर नहीं आता है और इसलिए उनमें असंतोष भी दिखायी देता है। आज गांवों में पंचायतें कायम की जा रही हैं और कोआपरेटिव सोसाइटियां खोलने का प्रयत्न किया जा रहा है। आज भी हिन्दुस्तान के खेती के क्षेत्र में लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता और ऐसे सैंकड़ों आदमी हैं जिनको रोज काम नहीं मिलता। जिस रोज उनको काम नहीं मिलता उस दिन उनको भूखा रहना पड़ता है। इसलिए मैं उनके बारे में यह सुझाव देना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके कोई ऐसी व्यवस्था करे कि ये पंचायतें

[श्री श्रीनारायण दास]

ऐसे आदमियों को जो कि बेकार हैं कोई समुचित कार्य देकर इतनी मजदूरी दें जिससे वे अपने पेट का पालन कर सकें। अगर हम इस प्रकार की व्यवस्था कर सकेंगे तो मैं समझूंगा कि हम सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बहुत आगे बढ़ गए हैं।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं वित्त मंत्री का ध्यान खींचना चाहता हूं वह यह है कि आज हिन्दुस्तान में संयुक्त परिवार प्रणाली का धीरे धीरे ह्रास होता जा रहा है। उस प्रणाली के न रहने से बहुत से लोगों की बड़ी दयनीय दशा हो रही है। आज देहात में बहुत से लोग ऐसे हैं जो काम करने के लायक नहीं रह गए हैं और उनके बच्चे जिनका पालन-पोषण उन्होंने किया था वे इतना उत्पादन नहीं कर पाते जिससे वे अपने बूढ़े माता पिता का परिवहन कर सकें। इस दिशा में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बूढ़ों को पेंशन देने का एक छोटा सा कदम उठाया है उस पर आपको भी विचार करना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : वह योजना वापस ले ली गयी।

श्री श्रीनारायण दास : मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि राज्य सरकारों से परामर्श करके जल्दी ही ऐसी स्कीम बनायी जाए जिससे ऐसे बूढ़ों को कुछ पेंशन देने की व्यवस्था की जाए।

साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों के लिए हमने बहुत से कानून बनाये हैं लेकिन जो मजदूर देहात में खेतों पर काम करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए हमने कुछ नहीं किया है। जब गांवों में पंचायतें और सहकारी समितियां स्थापित की जा रही हैं तो मेरा सुझाव है कि उनके सहयोग से कोई ऐसी कंट्रीब्यूटरी स्कीम बनायी जाए जिसमें मजदूरों से कुछ देने के लिए कहा जाय या जिन किसानों के खेतों पर वे काम करते हैं उनसे कुछ देने को कहा जाए और उस में सरकार भी कुछ कंट्रीब्यूशन करे और इस प्रकार एक कोष कायम किया जाए जिससे इन भूमिहीन मजदूरों का कुछ सुधार हो सके।

तीसरी बात जिसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहता था वह है खेती के लिए वित्त की व्यवस्था। यह सही है कि जब से स्वराज्य हुआ है और विशेषकर दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में कोआपरेटिव सोसाइटियों की स्थापना पर विशेष जोर दिया जा रहा है। हमने इस सदन में रिजर्व बैंक आफ इंडिया ऐक्ट में भी संशोधन करके रिजर्व बैंक को अधिकार दिया है कि वह खेती के लिए भी कुछ वित्त की व्यवस्था करे। साथ ही सहकारिता आन्दोलन को आगे बढ़ा कर उसके जरिए से भी कुछ वित्त की व्यवस्था करने की चेष्टा की जा रही है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि सन् १९५४ में इस बात का अन्दाजा लगाया गया था कि हिन्दुस्तान भर में खेती की व्यवस्था के लिए कितने वित्त की आवश्यकता होगी। उस समय यह अन्दाजा था कि ७५० करोड़ के लगभग अर्थ की खती के लिए व्यवस्था करना जरूरी है। और उस समय रिजर्व बैंक द्वारा जो रूरल क्रेडिट सर्वे किया गया था। और एक रिपोर्ट दी गयी थी, उससे पता चलता है कि किन किन विभिन्न मदों से खेती के वित्त की किस किस मात्रा में व्यवस्था होती है। उसमें दिया गया है कि गवर्नमेंट जो सारे देश के अन्दर खेती के लिए अर्थ की व्यवस्था करती थी वह ३.३ परसेंट थी, कोआपरेटिव सोसाइटीज़ ३.१ प्रतिशत की व्यवस्था करती थीं, कमर्शियल बैंक्स ०.९ परसेंट की, सम्बन्धियों से जो सहायता लेकर खती की जाती थी उसका प्रतिशत १४.२ था, लैंड लार्ड १.५ प्रतिशत की व्यवस्था करते थ, मनीलेंडरों द्वारा २४.९ प्रतिशत की व्यवस्था की जाती थी, प्रोफेशनल मनीलेंडर ४४.८ प्रतिशत की व्यवस्था करते थे, ट्रडर्स और कमीशन

एजेंट ५.५ परसेंट की व्यवस्था करते थे और अन्य मदों से १.८ प्रतिशत की व्यवस्था होती थी। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज जो खेती की व्यवस्था है उसके लिए कम से कम १००० करोड़ रुपए की आवश्यकता है। हमने अपने सामने इस बात का आदर्श रखा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में १० करोड़ मन गल्ला हम पैदा करेंगे। इतने व्यापक प्रोग्राम के लिए यदि हम अर्थ की उचित व्यवस्था खेती के लिए न कर सके तो हमारा कार्यक्रम पूरा होने वाला नहीं है। बावजूद इस बात के आज देहातों में सहकारिता समितियां स्थापित की जा रही हैं, किसान की वित्त की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है और उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस दिशा में विशेष ध्यान दें।

अभी जो तृतीय पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट हमारे सामने आया है उसको देखने से पता चलता है कि यह आदर्श रखा गया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत थोड़े समय के लिए जो कर्ज किसान को दिया जाएगा उसकी राशि ४०० करोड़ होगी, जो मीडियम टर्म लोन दिया जाएगा उसकी राशि १६० करोड़ होगी और जो लांग टर्म लोन दिया जाएगा उसकी राशि ११५ करोड़ होगी। इसको देखते हुए मैं समझता हूं कि तृतीय योजना के अन्त तक यानी सन् १९६७ के अन्त तक भी हम खेती के लिए जो वित्त की आवश्यकता है उसको पूरा नहीं कर सकेंगे। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मैं समझता हूं कि कमर्शियल बैंकों और रिजर्व बैंक आफ इंडिया को भी हाथ बंटाना होगा। इसी सम्बन्ध में एक प्रश्न की ओर मैं सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। आज अवस्था यह है कि यदि किसान को रुपया चाहिए तो वह उसको केवल अपनी खेती को रेहन रख कर ही मिल सकता है। यह सही है कि हाल में जो कोआपरेटिव क्रेडिट कमेटी सरकार की तरफ से नियुक्त की गयी थी उसने कहा है कि खेत में खड़ी फस्ल के आधार पर भी किसानों को कर्ज दिया जाना चाहिए। अभी उसकी यह सिफारिश कार्य रूप में परिणत नहीं हुई है लेकिन मैं समझता हूं कि थोड़े समय में वह कार्य रूप में परिणत हो जाएगी। लेकिन मैं समझता हूं कि किसानों को कमरशियल बैंक और दूसरी संस्थाएं कर्ज दे सकें इसके लिए यह आवश्यक है कि किसानों की फसल और उनके मवेशियों का बीमा करने की पद्धति जारी की जाए। सन् १९५० में भारत सरकार ने एक विशेष अफसर को नियुक्त किया था कि वह इस बात की जांच करे कि हिन्दुस्तान में क्राप और कैटिल इंश्योरेंस की क्या समस्याएं हैं। उसने अपनी रिपोर्ट दे दी और उसमें उसने कुछ स्कीम भी सरकार के सामने रखी थी। लेकिन पता नहीं उसका क्या हुआ। मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि किसानों की दशा सुधारने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि उनकी फसल का और मवेशियों का बीमा किया जाए ताकि कमर्शियल बैंक और दूसरी संस्थाएं उनको कर्जा दे सकें। इससे उनको बड़ा फायदा हो सकता है। आज होता यह है कि किसान बड़ी मेहनत से फसल तैयार करता है और जब फसल तैयार हो जाती है तो प्राकृतिक प्रकोप की वजह से सारी फसल बरबाद हो जाती है और उसमें लगी हुई सारी पूंजी बरबाद हो जाती है। इस प्रकार किसान कर्ज लेकर जो पूंजी खेती में लगाता है वह बरबाद हो जाती है। अगर कैटिल इंश्योरेंस और क्राप इंश्योरेंस की व्यवस्था हो जायगी तो फिर किसानों की हालत न केवल सुधर जायगी बल्कि किसान कर्ज लेकर अपनी खेती का अधिक से अधिक विकास कर सकेंगे।

इसके सम्बन्ध में मैं एक बात की ओर और वित्त मंत्री महोदय का ध्यान खींचूंगा कि अभी रिजर्व बैंक आफ इंडिया से जो स्टेट कोआपरेटिव बैंक को कर्ज दिया जाता है वह साधारण बैंकों की रेट से २ रुपया प्रति सैंकड़ा कम कर दिया जाता है। लेकिन देहात में कोआपरेटिव सोसाइटीज के अन्दर जो उसके सदस्य होते हैं उनको ८ रुपये से लेकर १२ रुपये सैंकड़ा सालाना सूद देना पड़ता है। इस तरह आप देखेंगे कि रिजर्व बैंक ने जो सुविधा स्टेट कोआपरेटिव बैंक को दे रक्खी है नीचे

[श्री श्रीनारायण दास]

जब वह जिला बैंक में जाती है और उसके बाद कोआपरेटिव सोसाइटीज में जाती है तो सूद की दर बहुत बढ़ जाती है और जिस उद्देश्य से रिजर्व बैंक आफ इंडिया कर्ज देता है वह पूरा-पूरा सफल नहीं हो पाता है ।

एक विशेष बात जिसकी कि तरफ मैं ध्यान खींचना चाहता हूं वह यह है कि हमने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धान्त जहां दिये हैं वहां उनमें यह लिखा है कि हर एक आदमी को तरक्की करने का बराबर मौका दिया जायगा । यह एक बहुत ही आदर्श बात है । मैं इस बात को भी मानता हूं कि यह काम इतना आसान नहीं है कि यकायक इस नीति को पूर्णरूप से लागू कर दिया जाय लेकिन मैं समझता हूं कि जब हमने अपने ऊपर इस बात की जवाबदेही ली हुई है कि हम अपने देश में एक ऐसे समाजवादी समाज की स्थापना करेंगे जिसमें कि आर्थिक विषमता कम से कम होगी, तब हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम निश्चित रूप से उस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। मौके की समानता हो अर्थात् हर एक को समान अवसर व सुविधा प्राप्त हो और यह सब से बड़ी समानता है । अब किसी क्षेत्र में लीजिये, शिक्षा के क्षेत्र में लीजिये तो वहां अभी भी आपको असमानता देखने को मिलेगी । आज शिक्षा वही पा सकता है जिसके कि पास धन है । दवाई के क्षेत्र को ले लीजिये । दवाई वही खरीद सकता है जिसके कि पास पैसा हो। गरीबों को दवा दारू के हेतु जहां तहां डिस्पेंसरीज खुली हुई हैं लेकिन उनमें पर्याप्त दवाएं नहीं रहती हैं । इसी तरह कचहरियों में आप पायेंगे कि न्याय उसी को मिल पाता है जिस के कि पास पैसा होता है और जो कि अच्छे-अच्छे वकीलों आदि का प्रबन्ध कर सकता है । गरीबों को वहां पर न्याय नहीं मिल पाता है क्योंकि वह अच्छे अच्छे वकील नहीं रख पाते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर खींचना चाहूंगा कि हमारे देश की गरीब और साधारण जनता पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिए हर तरह का त्याग करने को तैयार है । वह उसको सफल बनाने के हेतु हर प्रकार के भार को वहन करने के वास्ते तैयार है तो ऐसी हालत में इस दिशा में प्रयत्न होना चाहिए कि गरीब से गरीब आदमी भी अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त कर सके, गरीब से गरीब आदमी को अच्छी से अच्छी दवाई मिल सके और गरीब से गरीब आदमी को नौकरी करने का समान अवसर मिले और उसको न्याय भी समान रूप से सुलभ हो ।

अब अन्त में मैं केवल एक बात कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा । इस सदन में चर्चा रहती है कि जो विकास के कार्य हमने अपने हाथ में लिये हैं उनको सफल बनाने के लिए हमें सक्षम और चतुर शासकों की जरूरत है । यह सौभाग्य की बात है कि अब हमारे देश के जो शासक हैं के विकास के कामों में विशेष रूप से दिलचस्पी लेने लगे हैं और परिश्रम और ईमानदारी के साथ काम करने लगे हैं फिर भी यह बात तमाम देश के अन्दर व्याप्त है कि अभी तक जो हमारे शासक हैं उनका व्यवहार जनता के प्रति बदला नहीं है, पुराना व्यवहार कमोबेश अभी भी जारी है । वह अभी भी समझते हैं कि वे जनता के मालिक हैं और उसके ऊपर तरह-तरह के दबाव डाल कर और डर दिखला कर उसके ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं । स्पष्ट है कि ऐसे वातावरण में सरकार को वांछित जन सहयोग नहीं प्राप्त हो सकता है । चाहे कम्युनिटी डेवलपमेंट का क्षेत्र हो अथवा कोई दूसरे विभाग हों, हमारे सरकारी अफसरों और अन्य कर्मचारियों का रवैय्या जनता के सेवक के रूप में न हो कर जनता के ऊपर हुकूमत करने वालों के रूप में सामने आता है। मैं इससे इंकार नहीं करता कि हमारे सरकारी अफसरों के पुराने दृष्टिकोण में कोई भी अंतर नहीं आया है लेकिन मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अभी भी इस दिशा में काफी सुधार लाने की जरूरत है । आज आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दुस्तान के जो हमारे शासक हैं, चाहे वह राज्य के शासक हों और चाहे केन्द्रीय सरकार के शासक हों उनकी उस पुरानी मनोवृत्ति में परिवर्तन हो ।

श्री आसर (रत्नागिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय वित्त मंत्रालय की मांगों पर हुई बहस का जवाब देते हुए एक बात का स्पष्टीकरण करना भूल गये, मानो किया ही नहीं। मैं ने एक प्रश्न उपस्थित किया था कि आज हमारी जो पालिसी है उस पालिसी को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हम इनडायरैक्ट टैक्सेज की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं और दिन प्रतिदिन डाइरैक्ट टैक्सेज कम होते जा रहे हैं। मैं ने उस सम्बन्ध में आंकड़े भी प्रस्तुत किये थे कि सन् १९५१-५२ में हमारे डायरैक्ट टैक्सेज का परसेंटेज ४४ था और इनडाइरैक्ट टैक्सेज ५६ परसेंट थे। आज सन् १९६१-६२ में हम देखते हैं कि डाइरैक्ट टैक्सेज कम होकर ३१.२ परसेंट रह गये हैं जब कि इनडाइरेक्ट टैक्सेज बढ़ कर ६८.८ परसेंट हो गये हैं। इस स्थिति का स्पष्टीकरण होना आवश्यक है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना को हमें पूरा करने के लिए रुपया चाहिए और जाहिर है कि वह रुपया हमें जनता से टैक्सों की शक्ल में प्राप्त करना है और इसके लिए हमें डाइरैक्ट टैक्सेज की ओर देखना पड़ेगा। लेकिन आज हम डाइरैक्ट टैक्सेज में जो कमी कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है? मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इसको अपने उत्तर में स्पष्ट करें।

वित्त मंत्री महोदय ने अपने मंत्रालय की मांगों का उत्तर देते हुए कहा था कि मध्यम वर्ग की जनरल टेंडेंसी यह है कि घर का एक आदमी काम करता है और बाकी सब घर के लोग बैठ कर खाते हैं। मैं मंत्री जी को बतलाना चाहूंगा कि आज परिस्थिति बदल चुकी है। आज देश में मध्यमवर्गीय कुटुम्बों के सारे लोग प्रयत्न करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं और कोई रोजगार धंधा करना चाहते हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उन सब लोगों को देने के वास्ते हमारे पास नौकरियां हैं कहां? सरकारी आंकड़ों से स्पष्ट दिखाई देता है कि हमारे दो प्लांस पूरे होने के बाद भी आज देश में करीब ९० लाख लोग पूर्ण बेकार हैं और करीब डेढ़ करोड़ लोग अर्ध बेकार हैं। देहातों में बेकार लोग कितने हैं इसके आंकड़े हमें पता नहीं है। यह स्थिति जब हमारे देश में हो और हम कहें यह कि हमारे मिडिल क्लास के लोगों की टेंडेंसी यह है कि घर का एक आदमी नौकरी करता है और बाकी घर में बैठते हैं और नौकरी नहीं करना चाहते, और इसलिए आज उनकी स्थिति खराब है, ऐसा कहना ठीक नहीं है और यह कह कर उन पर अन्याय करना है। वह नौकरी करना चाहते हैं लेकिन आप उनको नौकरी नहीं देना चाहते हैं। अब मंत्री जी ने कहा कि नौकरी न मिलें तो छोटे उद्योग करें, लघु उद्योग और गृह उद्योग करें। अब लघु उद्योग और गृह उद्योग के बारे में कुछ बातें मैं बताना आवश्यक समझता हूं। आज हम देहातों में जाकर देखें कि जिन उद्योगों का हम इतना ढिंढोरा पीट रहे हैं उनकी स्थिति क्या है? मेरे पास इस सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें आई हैं कि जिन जिन लोगों ने सरकार से इनके लिए सहायता की मांग की थी उनको सहायता नहीं दी गई। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे महाराष्ट्र में पुलगांव नामक स्थान के एक आदमी ने एक छोटा सा कारखाना खोलने का प्रयत्न किया और उसने उसके वास्ते सरकार के पास ऐप्लीकेशन भेजी। उसको ठीक जवाब नहीं मिला। डेढ़ वर्ष तक इस अर्जी का कोई योग्य जवाब नहीं मिला। कागजात दिल्ली से बम्बई, और नागपुर से वापिस दिल्ली घूमते रहे और आखिर लाचार होकर उसने वह धंधा छोड़ कर नौकरी कर ली। डेढ़ वर्ष तक टक्कर मारने के बाद लाचार होकर उसने वह धंधा छोड़ दिया।

इसी तरह म अपने जिले के बारे बतलाना चाहता हूं कि हमारा जिला एक पिछड़ा हुआ जिला है और हमने सरकार से अनुरोध किया कि हमारे जिले में कुछ इंडस्ट्रीज खोली जायें लेकिन सरकार ने नहीं माना। हमने तब मिल कर आपस में तय किया कि हम लोग अपने जिले में इंडस्ट्रीज

[श्री आसर]

खोलेंगे । हमने कहा कि हम मिल कर कोआपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं ताकि हम अपने यहां छोटी इंडस्ट्रीज खोल सकें । सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन मिल गया और डेढ़ साल उसको स्थापित हुए भी हो गया लेकिन पिछले ६ महीने से उस सोसाइटी को सरकारी सहायता नहीं मिली है । ६ महीने के बाद भी कागजात इधर से उधर चल रहे हैं । कागज चिपलून से रत्नागिरि, रत्नागिरि से थाना और थाना से मुल्लंड आते जाते हैं ।

अब भला इस तरह से कहीं सोसाइटी चल सकती है ? सरकार ने उसकी कोई सहायता नहीं करी । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार की सलाह ठीक उसी तरह से है कि जैसे एक राजा ने जब उसके पास कुछ नंगे और भूखे लोग गये और फरियाद की हमको अनाज नहीं मिलता हमारे लिये भोजन का प्रबन्ध किया जाय तो राजा ने कहा कि अगर अनाज नहीं मिलता तो तुम लोग दूध पियो, फल खाओ और मिठाई खाओ । हमारे लोग नौकरी करना चाहते लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती है । सरकार उनको नौकरी दिलाने की व्यवस्था करे । इसी तरह सरकार को चाहिये कि मध्यम पेशा लोगों के वास्ते सहायता की व्यवस्था करे ताकि वे छोटे और कुटीर उद्योगों में लग सकें ।

परसों यहां पर अनाज की प्राइस फ़िक्स करने के बारे में प्रश्न उपस्थित किया गया था । यह प्रश्न बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, किन्तु अभी तक उसके विषय में कोई निर्णय नहीं लिया गया है । अनाज के दाम दिन-प्रति-दिन कम हो रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि काश्तकार आज बहुत चिन्ता में है और वे विचार कर रहे हैं कि हम क्या करें । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि यदि सरकार तृतीय पंच वर्षीय योजना को सफल बनाना चाहती है, यदि वह देश के गल्ले के विषय में आत्म निर्भर बनाना चाहती है, तो उसे काश्तकारों को यह आश्वासन देना चाहिये कि उनको अपने उत्पादन की पूरी प्राइस मिलेगी । यदि वह इस बारे में तैयारी नहीं करेगी और इस मामले को पेंडिंग रखेगी, तो काश्कारों में अधिक अनाज पैदा करने के सम्बन्ध में उत्साह नहीं होगा और हम अगले साल अनाज के उत्पादन को ज्यादा नहीं बढ़ा सकेंगे । इसलिये यह आवश्यक है कि अनाज की फिक्स्ड प्राइस के बारे में निर्णय अगले सीज़न को दृष्टि में रखते हुए जल्दी लिया जाये ।

जहां तक टैक्सों का सम्बन्ध है, परसों मंत्री जी ने फ़िनान्स बिल पर बोलते हुए ६,१४,००,००० रुपये की छूट दी है । इसलिये उनको धन्यवाद देना आवश्यक है । लेकिन जब मैंने पावरलूम्ज को छूट देने के बारे में एनान्समेंट को देखा, तो मुझे तीन चार दिन पहले सूरत कांग्रेस कमेटी द्वारा पास किये गये उस प्रस्ताव का ध्यान हो आया, जिसमें उसने कहा था कि एक शिफ्ट काम करने वाले चार पावर-लूम्ज़ के यूनिट को ड्यूटी से एग्ज़ेम्प्ट कर दिया जाये । चूंकि माननीय मंत्री जी सूरत से आते हैं, इसलिये उन्होंने यह बात मान ली, लेकिन जो यूनिट्स तीन, चार शिफ्ट चला रहे हैं, उन लोगों ने अपना जो निवेदन माननीय मंत्री के सामने रखा, अपनी जो कठिनाइयां उनके सामने रखीं, उन पर उन्होंने विचार नहीं किया । आज पन्द्रह सोलह हजार लूम एक शिफ्ट पर काम करते हैं और बाकी एक लाख लूम तीन शिफ्ट पर काम करते हैं । प्रश्न यह है कि जब एक शिफ्ट को ड्यूटी से मुक्त कर दिया, तो बाकी दो शिफ्ट्स का क्या होगा । माननीय मंत्री जी इस पर शान्ति से विचार करें । इसका परिणाम यह होगा कि बाकी दो शिफ्टस बन्द हो जायेंगी, अन्यथा उनको भारी टैक्स देना होगा । दो शिफ्ट के लूम्ज वाले इस भारी टैक्स के कारण अपना काम नहीं चला सकेंगे । उनको अपना व्यवसाय बन्द करना पड़ेगा और केवल एक शिफ्ट चलानी पड़ेगी । इसका परिणाम यह होगा कि इस इंडस्ट्री में ढाई तीन लाख लोग बेकार हो जायेंगे । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में बेकारी कम तो नहीं हुई है—वह बढ़ती जा रही है और सरकार इस टैक्स के द्वारा ढाई तीन लाख और लोगों को बेकार करने जा रही है । यदि इस बात की सम्भावना होती

कि इस कर से पांच दस करोड़ रुपये का मुनाफा होगा, तो ठीक था, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। माननीय मंत्री जी को इस इंडस्ट्री को प्रैजुडिस्ड माइन्ड से न देख कर इसको बढ़ाने और विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिये। एक ओर तो सरकार कहती है कि हम छोटी इंडस्ट्रीज, गृह-उद्योगों और देहात की इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहन देना चाहते हैं और दूसरी ओर वह इस इंडस्ट्री पर ड्यूटी लगा कर आघात करके इस को मारने का प्रयत्न कर रही है।

इस इंडस्ट्री में जो रा मैटीरियल प्रयुक्त होते हैं, काटन यार्न और डाई स्टफ्स, उनके दाम बढ़ गये हैं और परसेंटेज बढ़ गया है, जिसके कारण उन लोगों को कपड़ा बाजार में बेचना मुश्किल हो गया है। इसका परिणाम यह होगा कि यह छोटी इंडस्ट्री मरेगी, लाखों लोग बेकार होंगे, परिस्थिति खराब हो जायगी और कपड़े के उत्पादन पर चोट लगेगी, जिसके परिणाम-स्वरूप धनिक मिल वालों को धन बनाने का मौका मिलेगा, क्योंकि यह स्वाभाविक है कि अगर कपड़े का उत्पादन कम होगा, तो बड़े बड़े लोग उसका मुनाफ़ा खायेंगे। हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि हमको इस छोटी इंडस्ट्री को बढ़ाने और उसको संरक्षण देने का प्रयत्न करना चाहिये। इसलिये मैं वित्त मंत्री जी से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि पावरलूम पर जो टैक्स बढ़ाया गया है, उसको समाप्त करके **स्टेट्स क्वो** की पोज़ीशन रखी जाये। चार लूम्ज़ को पूरी छूट दे दी जाये। बाकी पर टैक्स लगाया जा सकता है। टैक्स लेने के बहुत साधन हैं। मेरे समाने आंकड़े हैं कि बड़े मिल वाले लाखों की तादाद में प्राफिट कमाते हैं। अनेक कांग्रेसी सदस्य ने बजट के इस सम्बन्ध में श्री ए० डी० शराफ के बयान का उद्धरण दिया गया और कहा गया कि उन्होंने रीकमेंडेशन दिया है कि यह बहुत अच्छा बजट है। वह तो ऐसा कहेंगे ही, क्योंकि इस बजट से उनके हित पर, उनके पैसे पर चोट नहीं लगती है। यह बजट छोटी इंडस्ट्री, सामान्य इंडस्ट्री को धक्का पहुंचाने वाला है। इस दृष्टि से इस बजट को देखा जाये। मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकार की ओर से छोटी इंडस्ट्री को विकसित करने और उसको प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में जो एनाउन्समेंट और घोषणा की जाती है, उसको उस पर अडिग रहना चाहिये और उसके अनुसार ही कार्यवाही करनी चाहिये।

जहां तक हैंडलूम का प्रश्न है, सरकार की ओर से हथकरघा सप्ताह मनाया जाता है और रीबेट और सबसिडी पर करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं, लेकिन आज इस उद्योग पर पच्चीस से तीस परसेंट एक्साइज़ ड्यूटी लगा कर उसको क्षति पहुंचाई जा रही है। उसमें प्रयुक्त होने वाले रा मैटीरियल की स्थिति यह है कि इस बजट के बाद यार्न में १० परसेंट और डाईज़ में २६ परसेंट से लेकर ३० परसेंट तक राइज़ हो गया है। उन लोगो को मुकाबला करना है बड़े बड़े मिल वालों के साथ, बड़े बड़े उद्योगों के साथ। इस स्थिति में उनको पूरा संरक्षण देने की आवश्यकता है और इसलिये इस उद्योग पर लगाई गई ड्यूटी को कम किया जाये। यदि फर्स्ट और सैकंड प्लान्ज़ में देहातों की स्थिति को सुधारा नहीं जा सका है, तो थर्ड प्लान में इस कार्य को किया जा सकता है, लेकिन वह तभी हो सकता है, जब गृह उद्योग और हैंडलूम उद्योग को, जो कि हर घर में चलाया जाता है, संरक्षण दिया जाये। इसलिये मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाये।

कैरोसीन आयल के बारे में बहुत चर्चा की गई है। इसलिये मैं इस विषय में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं यह निवेदन अवश्य करना चाहता हूं कि उसमें जो इनफ़ीरियर कैरोसीन को छूट दी गई है, तो फिर उस इनफ़ीरियर कैरोसीन का उपयोग हमारे देश में कितना होता है, यह माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करें। मैं देहात का रहने वाला हूं और देहात की परिस्थितियों से पूर्णतया परिचित हूं। आज स्थिति यह है कि यदि कोई दुकानदार इनफ़ीरियर कैरोसीन का एक डिब्बा ले जाता है, तो शायद एक वर्ष में वह डिब्बा खत्म होगा, लेकिन जो अच्छा कैरोसीन है,

[श्री आचार]

वह एक रोज में उस के एक दो डिब्बों का उपयोग हो जाता है। इनफीरियर कैरोसीन को खुले दिये में ही जलाया जाता है और स्टोव आदि में अच्छे कैरोसीन का उपयोग किया जाता है। आज हम देखते हैं कि लकड़ी बहुत महंगी हो रही है और लगभग हर एक स्थान पर कोयले का बहुत अभाव है और इस दृष्टि से कैरोसीन पर टैक्स का प्रभाव कामनमैन, सामान्य व्यक्ति, गरीब आदमी पर पड़ने वाला है। कैरोसीन पर टैक्स लगाये जाने से देहातों में बहुत हलचल मची है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि छोटे छोटे टैक्स लगाने का प्रयत्न करने के बजाये ऐसे साधन अपनाने चाहिये, जिस से अधिक पैसा मिले।

जहां तक सुपारी और तम्बाकू पर लगाये गये कर का प्रश्न है, मंत्री जी ने यह स्टेटमेंट किया था कि सुपारी या तम्बाकू खाने वाले व्यसन करते हैं और व्यसन करने वाले लोगों को ज्यादा टैक्स देने में एतराज नहीं होना चाहिये। मैं मानता हूं कि सिगरेट पीने वालों को ज्यादा टैक्स देना चाहिये, क्योंकि वे टैक्स दे सकते हैं। लेकिन सुपारी और तम्बाकू अमीर का व्यसन नहीं है। कामन मैन को, मजदूर और काश्तकार को काम करने के बाद, श्रम करने के बाद, कष्ट करने के बाद तम्बाकू की आवश्यकाता होती है। मुझे लगता है कि सुपारी और तम्बाकू पर टैक्स लगाना बड़ा खतरनाक है। जहां तक तम्बाकू का प्रश्न है, तम्बाकू की काश्तकार को काश्त की कीमत ८ रुपये मिलती है लेकिन उस पर टैक्स ७२ रुपये है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कैसी टैक्स पद्धति है।

इस सरकार ने अपने सामने समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य रखा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वर्तमान व्यवस्था में गरीब और गरीब हो रहे हैं और श्रीमन्त और श्रीमन्त हो रहे हैं। इस नीति को बदलने की आवश्यकता है। मैंने पहले बताया है कि टैक्स के लिये जो साधन चाहिये, वे बहुत हैं। हमारे देश में इम्पोर्ट लाइसेंस वालों का एक बड़ा वर्ग है। आज हम देखते हैं कि इम्पोर्ट लाइसेंस लेने के लिये लोग बहुत पैसा खर्च करने के लिये तैयार होते हैं। उसका कारण यह है कि इम्पोर्ट लाइसेंस से घर बैठे पैसा मिलता है। सुपारी के इम्पोर्ट लाइसेंस जिन लोगों को दिये जाते हैं, वे एक्चुअल व्यापारी नहीं होते हैं। वे लाइसेंस-धारी विक्रेता होते हैं। सुपारी की जो ओरीजनल प्राइस है और जिस प्राइस पर यह बाजार में बिक रही है, उस को आप देखें और पता लगायें कि क्यों इतना ज्यादा फर्क है। आप को पता चलेगा कि दोनों प्राइसिस में दो सौ और तीन सौ परसेंट का फर्क है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह देखना आप का फर्ज नहीं है कि कौन सा माल किस भाव पर बिक रहा है, कितने परसेंट उस पर मुनाफा लिया जा रहा है और क्यों उस को इस भाव पर बेचा जा रहा है? अगर यह आप का फर्ज नहीं है तो और किस का यह फर्ज है। ऐसे ऐसे लोगों को भी इम्पोर्ट लाइसेंस दिये गये हैं जो कि इस काम को नहीं करते हैं और उन को इन लाइसेंसिस पर घर बैठे बिठाये कई हजार की आमदनी हो जाती है। क्यों आज सुपारी इतनी मंहगी बिक रही है, इस को बतलाना आप का फर्ज है। स्टनलैस स्टील के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं कि एक टन का इम्पोर्ट लाइसेंस जिस के पास हो वह घर बैठे बिठाए, बिना परिश्रम किये, दस पन्द्रह हजार रुपया आसानी से कमा सकता है। उस को किसी प्रकार मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। स्टेनलैस स्टील की चीजें जब कंज्यूमर बाजार में लेने के लिये जाता है तो उस से १२–१३ रुपय पाउंड वसूल किया जाता है जब कि उस की औरीजनल प्राइस सिर्फ पांच रुपये ही है। यह जो स्थिति है यह बदलनी चाहिये और आप को इस पर विचार करना चाहिये। क्यों दोनों प्राइसिस में इतना अन्तर रहा है? क्यों इतना अधिक मुनाफा लिया जाता है। ऐसा मालूम होता है कि सरकार गरीबों की बात को सुनने के लिये तैयार नहीं है और केवल श्रीमन्तों की ही बात को ही सुना चाहती है। आप को पैसा चाहिये तीसरे प्लान को पूरा करने के लिये तो आप जो दे सकते हैं, उन पर टैक्स लगाइये। क्यों उन गरीब लोगों पर लगाते हैं,

जो देने की स्थिति में नहीं हैं जो करोड़ों रुपया मुनाफा कमाते हैं, वे आसानी से आप को टैक्स अदा कर सकते हैं और उन से आप को टैक्स वसूल करना चाहिये । लेकिन उन पर तो कहीं टैक्स का बोझा नहीं पड़ता है और गरीब लोगों से टैक्स वसूल कर लिये जाते हैं उन को इन टैक्सों के भार के नीचे दबा दिया जाता है । इम्पोर्ट लाइसेंस को इधर उधर जो बेचा जाता है और मुनाफा कमा कर दिया जाता है और उस के बदले में जो पेपर करेंसी दी जाती है, उस का कहीं हिसाब नहीं रखा जाता है और न ही उन पर कोई टैक्स वसूल किया जाता है । इस तरह की जो चीजें हैं, इन की ओर भी आप का ध्यान जाना चाहिये । करोड़ों रुपया लोगों द्वारा इस तरह से कमाया जाता है जिस का कोई हिसाब नहीं होता है । आपने ६० करोड़ रुपये के जो नये टैक्स लगाये हैं, उन को लगाने से पहले यह देख लेना चाहिये था कि इन का भार किस तबके के लोगों पर पड़ेगा । इस से उन में बड़ा असन्तोष पाया जाता है । हमें टैक्स स्ट्रक्चर को बदलना होगा । डायरेक्ट टैक्सिस हमें ज्यादा लगाने होंगे और गरीब लोगों के बजाय अमीर लोगों पर टैक्स लगाने होंगे ।

अब मैं रेडियो सैटों पर जो टैक्स लगाया गया है, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वे लोग यह नहीं कहते हैं कि उन को इस टैक्स से विमुक्त कर दिया जाय । वे कहते हैं कि अगर आप को रेडियोज पर टैक्स लगाना है, तो आप लगा सकते हैं लेकिन इस टैक्स स्ट्रक्चर को आप बदल लीजिये । आपने २० परसेंट टैक्स लगा दिया है । अब रेडियो वाले यह कहते हैं कि हर रोज इंस्पैक्टर उन के पास आता है तो आकर के झगड़ा करता है कि इसकी कीमत डेढ़ सौ रुपया है जब कि दुकानदार कहता है कि सवा सौ रुपया है । अब इस का फैसला करवाने के लिये या तो बड़े अफसर के पास जाना पड़ता है या फिर उस की जेब में पैसा देना पड़ता है । इस से जो करप्शन के चांसेज हैं, वे बढ़ते हैं । उन का कहना है कि जो परेशानी उनकी है उस को दूर किया जाय। यह बहुत आवश्यक प्रतीत होता है । उन लोगों ने टैक्स स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिये इस के बारे में आप को एक मैमोरेंडम दिया है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस पर विचार करें । आप ने कहा है कि रेडियो पर लगे टैक्स से आप को ३५ लाख रुपये आमदनी होगी लेकिन जब मैंने उन लोगों से इस की चर्चा की तो उन्हों ने मुझे बताया कि रेडियो सैट्स पर टैक्स लगने से करीब करीब ९०–१०० लाख की आमदनी हो सकती है । आप ने पावर लूम्स के बारे में कह दिया है कि ९० लाख के करीब आप को आमदनी होगी। लेकिन भिवंडी वालों ने मुझे बताया है कि इस से अकेले भिवंडी से ही । १ करोड़ २० लाख की आमदनी होने की आशा की जाती है । इतने अच्छे अच्छे आप के पास इकोनोमिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े अफसर हैं, एक्सपर्ट हैं, वे क्यों आप को ठीक ठीक बात नहीं बताते हैं । रेडियोज पर जो आप ने टैक्स लगाया है, उस के बारे में उन की मांग है कि दो सौ रुपये तक के सैट को एग्जैम्प्ट कर दिया जाय और उस के ऊपर की कीमत वाले सैटों पर आप टैक्स लगा सकते हैं । यह बड़ी मुनासिब मांग है, जिस को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये । हम सब की यह इच्छा है कि हर घर में रेडियो सैट हो, अच्छी अच्छी चीजें हों, लोगों का स्टण्डर्ड आफ लिविंग ऊंचा उठे और इस दृष्टि से भी यह अवश्यक प्रतीत होता है कि दो सौ रुपये के रेडियो सैट को इस टैक्स से एग्जैम्प्शन मिले और इस से ऊपर के सैटों पर टैक्स लगे ।

मैं अब कासमैटिक ट्रेडर्ज़ के बारे में कुछ कहना चहता हूं। मैं जहां तक इन कासमैटिक्स के उपभोग का सम्बन्ध है, उस के खिलाफ हूं । लेकिन जो हाथ से काम करने वाले हैं, विदआउट मशीन जो कासमैटिक्स तैयार करते हैं, उन की तरफ आप का ध्यान जाना चाहिये । यह छोटा सा उद्योग है, गृह-उद्योग है । लघु उद्योग है, और इस को एग्जैम्पशन देना आवश्यक है । इस के बारे में मैं ने एक अमेंडमेंट भी दिया है। मुझे पता चला है दिल्ली में कितने ही लोग ऐसे हैं, जो कि इस गृह-उद्योग को चलाते हैं। बम्बई, महाराष्ट्र इत्यादि और अन्य स्टेटों में भी बहुत लोग हैं । इस को कोई पांच सौ या हजार दो हजार रुपया लगा कर के चला सकता है । जो लोग इस गृह-उद्योग में हैं और जो विदआउट एनी मशीनरी और

[श्री ग्रासर]

इलैक्ट्रिक पावर के काम करते हैं, उन को इस से एग्जैम्पशन मिलना चाहिये । यह इंडस्ट्री आज देश में पनप रही है और आप को चाहिये कि आप इस की रक्षा करें और इस को तबाह होने से बचायें । मैं चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री को भी टैक्स से मुक्त कर दिया जाये जिस से उन लोगों की जो परेशानी है, वह दूर हो ।

श्री नेक राम नेगी (महासू-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका मशकूर हूं कि आप ने मुझे को मौका दिया फाइनेन्स बिल पर अपने खयालात का इजहार करने का ।

जनाबवाला, मैं फाइनेन्स मिनिस्टर का बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने इतना अच्छा फाइनेन्स बिल पेश किया है । बदकिस्मती से मैं हिन्दुस्तान का बहुत ही पिछड़ हुए प्रदेश यानी हिमाचल प्रदेश से आया हूं । बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली के रहने वाले हिमालय की चोटियों और घाटियों के रहने वालों की गरीबी का अंदाजा आसानी से नहीं लगा सकते हैं। हमारे लोग अपना पेट छोटे मोटे खेतों में खेती करके और छोटे छोटे बागों में फलों के दरख्त लगा कर पालते हैं । आज से चन्द साल पहले हम रे पास नाम के लिये भी सड़कें नहीं थीं । उत्तरी मैदानों में आने के लिये हम को हफ्तों पैदल और टट्टुओं पर सफर करना पड़ता था । मगर हमारे प्रधान मंत्री जी की कयादत में कांग्रेस सरकार ने पूरी कोशिश की है कि हिमाचल में सड़कों का जाल बिछ जाये । आज से चन्द साल पहले हिमाचल प्रदेश में एक लोकप्रिय सरकार थी और उस के मुख्य मंत्री डा० परमार की कोशिशों से सड़कों के बनाने की स्कीमें उस पिछड़े हुए प्रदेश में पहुंचीं । काबिले मुबारकबाद है डा० परमार और वहां के इंजीनियर और वे ओवरसियर जिन्होंने हजारों फुट की पहाड़ियों को अपनी जान को खतरे में डाल कर सड़कें बनाने की योजना को शुरू किया ।

मगर हम को दुख है कि आज सड़कें बनाने का काम हिमाचल के इंजीनियरों और ओवरसियरों के हाथ से लेकर हमारी सेना के सुपुर्द किया जा रहा है । आज भी जिस तेजी से हमारे नौजवान इंजीनियर दिन और रात सड़कें बनाने में लगे हुए हैं वह काबिले फख्र बात है । उन्हें अब मौका मिला है काम करने का । मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मरकजी अफसरान हमारे प्रदेश के इंजीनियरों और अफसरों को सहयोग दें तो वे मुकर्ररा वक्त के पहले सड़कें तैयार कर सकते हैं । आज आपसी खींचतानी में हमारी सेनाओं को सड़कों का काम सुपुर्द किया जा रहा है । हम को अपनी सेनाओं पर पूरा विश्वास और फख्र है । फिर भी हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि सड़कों का काम सिविल अथोरिटीज के सुपुर्द ही रहना चाहिये ।

(श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए)

जनाबवाला, १९५७ में हमारी सरकार ने हिमाचल की असैम्बली और मंत्रिमंडल को खत्म करके पूरी जिम्मेवारी अपने हाथ में ले ली । हिमाचल की खशकिस्मती है कि स्वर्गीय पंडित पन्त जी ने हमें काबिल और हरदिल अजीज गवर्नर दिया है जो हिमाचल के न होते हुए भी हिमाचल निवासियों के साथ बिल्कुल मिल जुल गये हैं । उन की कोशिशों से जो योजनायें हैं, तेजी के साथ चलाई जा रही हैं ।

मुझे आप इजाजत दें यह कहने की कि हिमाचल निवासी चाहते हैं कि उन को अपनी हुकूमत को चलाने का वैसा ही अख्तियार दिया जाये जैसा पड़ौसी प्रदेश यानी पंजाब, यू० पी० वगैरह को दिया गया है । उन को दुख होता है जब वह देखते हैं कि उन के नुमाइन्दे इसी तरीके से अपने फराइज को सरे

अंजाम नहीं दे सकते हैं जिस तरीके से पंजाब, यू० पी० व दीगर सूबों के नुमाइंदे चंडीगढ़ और लखनऊ की असैम्बलियों में अपने प्रदेश और लोगों के लिये आवाज उठाते हैं। अभी चन्द दिन हुए हिमाचल के साबिक मुख्य मंत्री और हमारे महबूब लीडर डा० परमार की कयादत में एक डैपुटेशन जनाब होम मिनिस्टर साहब से मिला था। मुझे आप इजाजत दीजिये यह कहने की कि उस डैपुटेशन की आवाज के पीछे हिमालय के एक एक नर व नारी की आवाज थी। मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रधान मंत्री जी और होम मिनिस्टर साहब हिमाचल के लोगों के इन मुतालिबात को पूरा करेंगे।

जनाबवाला, कांग्रेस को सब से बड़ा सबक राष्ट्रपिता ने यह दिया था कि हिन्दुस्तान से छुआछूत को खत्म किया जाये। कांग्रेस सरकार की हमेशा कोशिश रही है कि पिछड़ी हुई जातियों को ऊपर उठाया जाये। बहुत कुछ किया गया, मगर मैं यह कहने की इजाजत चाहता हूं कि आप के बड़े बड़े स्टील प्लान्ट, बड़े बड़े कारखाने, शानदार कम्युनिटी डवलपमेंट ब्लाक उस वक्त तक बेमानी हैं जब तक एक बच्चा भी बाकी रह जाता है जो अपने को पिछड़ी जाति का समझता है। आज हमारा फर्ज है कि हम तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह तय करें कि हिन्दुस्तान से जातियों का मतभेद हमेशा के लिये खत्म हो जाये और पिछड़ी जातियों के लोग न सिर्फ सामाजिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से अपने को हिन्दुस्तान का सच्चा और बराबर का शहरी समझेंगे।

अब मैं कुछ तकलीफात का जो कि हिमाचल के बारे में हैं, जिक्र करना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि मरकजी सरकार ने यह तय कर लिया है कि हिमाचल के लिये और रियासतों की तरह एक सर्विस कैडर बनाया जाये। मगर कागजी कार्यवाही की वजह से यह फैसला अब तक सिर्फ कागज पर ही है। मैं होम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वह जल्द से जल्द इस कैडर पर अमल करायें ताकि हिमाचल के अफसरान जो अपने प्रदेश की खिदमत कर रहे हैं ज्यादा शानदार तरीके से अपनी रियासत की खिदमत कर सकें। आज भी कई अफसरान बाहर से बुलाये जाते हैं जो उतनी दिलचस्पी काम में नहीं लेते। मुझे हिमाचल की सरकार से खास तौर पर शिकायत है और इस बारे में वहां के लोग भी सरकार से मिले थे। रामपुर बुशहर एक सरहदी और आखिरी शहर है जहां पर स्माल टाउन कमेटी फंक्शन कर रही है। वहां के लोग चाहते हैं कि उसे म्युनिसिपल कमेटी का दर्जा दे दिया जाय। न मालूम कौन सी रुकावटें सामने हैं जिस की वजह से अभी तक रुकावटें दरपेश हैं जब कि उस के मुकाबले में दूसरी जगह में जिसकी आमदनी और आबादी उस शहर से कम है, कभी की म्युनिसिपल कमेटी बना दी गई है। इसी तरह से ठ्योग जो कि काफी तिजारती मर्कज है, वहां की आबादी और आमदनी मुकाबलतन रामपुर बुशहर जैसी है, को भी म्युनिसिपल कमेटी का दर्जा दिया जाना चाहिये।

हमारे लोगों की आमदनी का दारोमदार आलू और सेब पर ही है। मगर पिछले साल वहां के लोगों का तकरीबन ५० या ६० लाख रुपये का नुकसान सरकार की गलत दखलअन्दाजी से हुआ। इस बारे में मैं ने जनाब फूड मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाया था कि २॥ लाख मन आलू बरबाद हो गया है मगर उन्हें रिपोर्ट गलत तरीके से पेश की गई। यह बात सही है कि तमाम आलू के स्टाक को रोकने की जिम्मेदारी वहां के व्यापारियों की थी जिन के हाथ में तमाम खरीद व फरोख्तगी का कण्ट्रोल है। इस बारे में न सिर्फ हिमाचल की कांग्रेस की बल्कि तमाम पार्टियों की मांग है कि जिस तरह अनाजों और गल्लों की खरीद व फरोख्त का कण्ट्रोल सरकार अपने हाथ में लिये बैठी है उसी तरह हिमाचल में भी फस्लों की पैदावारों का कण्ट्रोल सरकार अपने हाथ में ले। इस बारे में पहले भी हम एक्स फूड मिनिस्टर श्री जैन से मिले थे। उस वक्त स्टेट ट्रेडिंग का सवाल दरपेश था, जिस को मरकजी हुकूमत ने मान लिया था। मगर हिमाचल सरकार इससे मुत्तफिक न हुई। हमारी अब भी यही मांग है कि आलू के खरीद व फरोख्त का काम सरकार अपने हाथ में ले ताकि जायज दाम ग्रोअर्स को मिलें और जायज

[श्री नेक राम नेगी]

दाम कंज्यूमर्स से वसूल हों। आज हमारे आलू पर यह इल्जाम लगा दिया जाता है कि ग्रेडिंग ठीक नहीं और दूसरी कई तरह की बातें कही जाती हैं। यह तमाम बातें तभी बन्द हो सकती हैं जबकि आप मुकर्रा दाम रक्खेंगे। इस तरह से शिकायत खरीद करने वालों की भी खत्म हो जायेगी और साथ ही काफी फारेन एक्सचेंज जो कि बर्मा से आलू मंगाने के ऊपर खर्च होता है वह बच जायेगा। इस साल भी ८० और ९० परसेन्ट आलू बर्मा का कलकत्ता की मार्केट में बिका है जबकि और साल तमाम आलू हिमाचल का बिकता था और ग्रोअर को माकूल दाम मिलने चाहियें। इसलिये सरकार से मेरी दरख्वास्त है कि स्टेट ट्रेडिंग में ज्यादा तवज्जह दी जाये।

आखीर में मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि जब चीनी फौजें हिमालय की चोटी पर आ चुकी हैं तो हिमालय का हर नर और नारी भारत की रक्षा के लिये तैयारी कर रहा है। जब तक हिमाचल का एक बच्चा भी जिन्दा है तब तक चीनी फौजें हिन्दुस्तान के मैदानों की तरफ नहीं बढ़ने पायेंगी हम हिमाचल में उनके सन्तरी हैं। हमें आशा है कि आप हमारी तन, मन और धन से मदद करेंगे। ताकि हम इस तरह से मजबूत बन सकेंगे और दुश्मनों का मुकाबला कर सकेंगे।

†**श्री बांगशी ठाकुर** (त्रिपुरा-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : कराधान के सम्बन्ध में भारत की नीति की बहुत कुछ आलोचना की गई है लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि बिना कर लगाये धन कहां से आयेगा। अगर हमें उन्नतिशील देशों के साथ कदम मिला कर चलना है तो हमें भारत की उन्नति के लिये उतनी ही राशि खर्च करनी होगी जितने खर्च करने की आवश्यकता है।

त्रिपुरा में इस वर्ष पीने के पानी तथा साधारण पानी की बहुत तंगी है। हालांकि सरकार नलकूप आदि बनाने के लिये धन व्यय कर रही है लेकिन वे ठीक ढंग से नहीं बनाय जाते अतः, जल्दी ही खराब हो जाते हैं। त्रिपुरा में शरणार्थियों को बसाने के लिये कुछ लाख रुपयों की स्वीकृति दी गई है ताकि भूमि खरीद कर उन्हें बसाया जा सके लेकिन इस सम्बन्ध में स्थिति सन्तोषजनक नहीं हैं। वहां के शरणार्थियों को रोजगार देने के लिये पुनर्वास औद्योगिक निगम की स्थापना की जानी चाहिये जैसी कि पश्चिमी बंगाल में की गई है या उसका क्षेत्राधिकार यहां तक बढ़ा देना चाहिये। ताकि त्रिपुरा में भी उद्योगों की स्थापना की जा सके। सहायता तथा पुनर्वास विभाग के ८ व्यक्तियों को नौकरी से अलग कर दिया गया है जो कि नहीं किया जाना चाहिये। त्रिपुरा के निर्धन छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिये छात्रवृत्तियां दी जाती चाहियें। त्रिपुरा का सारा प्रशासन क्षेत्रीय परिषद् के अधीन कर दिया जाना चाहिये और मुख्य आयुक्त को लेफ्टीनेंट गवर्नर की शक्तियां प्राप्त होनी चाहिये। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इन क्षेत्रीय परिषदों में जनता का प्रतिनिधित्व अधिक हो तथा ये प्रभावी बनें।

आदिम जाति कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये जिलाधीश के मातहत कोई प्रभावी व्यवस्था की जाये। अलग अलग समुदायों के लिये अलग अलग व्यवस्था पुनः आरम्भ की जाये। त्रिपुरा में परिवहन की समुचित सुविधायों की व्यवस्था बहुत आवश्यक है। त्रिपुरा सम्मन और भूमि सुधार कानून को सारे त्रिपुरा में अविलम्ब लागू किया जाये। त्रिपुरा में काफी भूतपूर्व सैनिक बरोजगार हैं उनके पुनर्वास की समस्या हल की जानी चाहिये। त्रिपुरा सीमान्त पर है अतः इसकी सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्त में मैं वित्त मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह त्रिपुरा से रेलवे लाइन, जल विद्युत् योजना तथा उद्योगों की स्थापना के लिये अधिक धन की व्यवस्था करें । तभी त्रिपुरा की समस्याओं का समाधान होगा ।

†श्री मुरारका (झूंझनू) : जीवन बीमा निगम के बारे में प्राक्कलन समिति ने जो सिफारिशें की हैं उनको पढ़ कर आश्चर्य हुआ । इस समिति ने यह सिफारिश की है कि सरकार जीवन बीमा निगम की लगाई जाने वाली पूंजी अपने हाथ में ले । यह सिफारिश सरकार द्वारा बीमे के राष्ट्रीयकरण के समय दिये गये आश्वासन से भिन्न ही नहीं बल्कि सभा में व्यक्त विचार और सभा द्वारा स्वीकार की गई नीति के ठीक विपरीत है ।

जीवन बीमा निगम के बोर्ड के सभी सदस्य सरकार नामजद व गठित करती है । यह बोर्ड सरकार द्वारा निर्धारित नीति का पालन तो करेगा ही । अधिनियमके अन्तर्गत सरकार निगम को निदेश दे सकती है । इस बात पर जोर दिया गया है कि जीवन बीमा निगम की निधि देशवासियों की नहीं बल्कि उन लोगों की है जिन्होंने बीमा पालिसी ली है । इस निधि का विनियोजन इन लोगों के हित में निधि और लाभ की सुरक्षा को ध्यान में रख कर ही किया जा सकता है । मुख्य उद्देश्य सुरक्षा है । मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री हमें यह बतायें कि विनियोजन के मामले में सरकार किस नीति का अनुसरण कर रही है और क्या यह नीति प्राक्कलन समिति की सिफारिशों से किसी प्रकार प्रभावित हुई है ।

वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में उस दिन कहा था कि कराधान के ढंग का सरलीकरण करने के लिये वह विदेशी समवायों को कुछ राहत दे रहे हैं । लेकिन इस रास्ते में कुछ कठिनाइयां आ गई हैं । मेरा विचार है कि किसी समवाय को सिर्फ इसलिये करों की रियायत देना उचित नहीं है कि उसका पंजीयन पहले हो चुका है या कि अन्य समवाय बाद में बनाये गये हैं ।

जहां तक रेयन तथा कृत्रिम धागे के आयात पर लगाये गये शुल्क का सम्बन्ध है, यदि सरकार उसे शुल्क के प्रभाव को निरस्त करने वाला शुल्क कहती है तो उसके १ रुपया और २० नय पैसे से अधिक होने का कोई औचित्य नहीं है । यदि आयात शुल्क बढ़ा दिया जाये तो धागा आयात करने वालों को काफी असुविधा होगी और निर्यात सम्वर्द्धन के लिये प्रोत्साहन देने की योजना का उचित कार्यान्वय हो सकेगा । सरकार को इस बात की पुनः जांच करनी होगी । चार करघे तथा दो करघे वाले यूनिटों पर लगाय गये शुल्क पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये । आशा है कि वित्त मन्त्री मेरे सुझावों पर विचार करेंगे ।

†श्री एंथनी पिल्ले (मद्रास उत्तर) : वर्तमान योजनाओं के पिछले दस वर्ष के दौरान में लोग और गरीब हुए हैं । अतः इस आय व्यय पर विशेष रूप से विचार करना होगा क्योंकि यह इस बात का द्योतक है कि आ.मी वर्षों में हमारे कराधान की नीति क्या रहेगी ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में योजना आयोग ने जीवन निर्वाह व्यय पर अप्रत्यक्ष कर का क्या प्रभाव पड़ा है इसके बारे में अध्ययन किया है । मेरा विचार है कि इस आयोग ने जो निर्णय किया है वह ठीक नहीं है । इस आय व्ययक में जिन अप्रत्यक्ष करों का प्रस्ताव किया गया है उनसे, औद्योगिक कर्मचारियों को, जिन पर करों का पहले ही से काफी बोझ है, काफी कठिनाई होगी । सरकार ने इन करों के प्रभाव को निरस्त करने के लिय जो कदम उठाये हैं उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एन्थनी पिल्लै]

औद्योगिक केन्द्रों में औद्योगिक कर्मचारियों की आवास की समस्या हल नहीं की गई है । इन कर्मचारियों को इन इलाकों में अपने रहने के लिये एक छोट से कमरे की व्यवस्था करने पर पगड़ी तथा बाद को किराये के रूप में बहुत खर्चा करना पड़ता है । लेकिन योजना आयोग ने जो विश्लेषण किया है उसमें इस प्रकार के किरायें की वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है । औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत कुल ५८,००० मकान बनाये गये हैं । औद्योगिक आवास सहकारी समितियों को बढ़ावा देने पर भी उसका खास नतीजा नहीं निकला है । इसका कारण यह है कि मकान की अनुमित लागत वास्तविक व्यय से बहुत कम है जो निर्माण सामग्री महंगी हो जाने से काफी बढ़ गया है ।

यह सुझाव भी स्वीकार नहीं किया गया है कि कर्मचारियों को अपनी भविष्य निधि की राशि से धन लेने दिया जाय । सरकार को इस समस्या की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये अन्यथा यह योजना सफल न होगी । यह कहा गया हैं कि कराधान के प्रस्ताव निर्यात बढ़ाने के लिय खपत को कम करने के उद्देश्य से लाये गये हैं किन्तु उत्पादित वस्तुओं के निर्यात के लिये कोई प्रयत्न नहीं किये गये हैं ।

यदि कोई उद्योगपति चाहता है कि उद्योग के लिय अवक्षयण निधि हो तो लाभांश की सीमा निश्चित की जाय ताकि लाभांश के वितरण से पहले इस निधि के लिये राशि रखी जा सके । नियोजकों में एक यह प्रथा भी पाई जाती है कि वे करों से बचने के लिये काफी संख्या में अपने रिश्तेदारों को अपने यहां नौकरी पर रख लेते हैं । यह भी कोई अच्छी बात नहीं है । हथकरघा उद्योग पर जो कर लगाया जा रहा है वह ठीक नहीं है उसे रोका जाना चाहिय । यह भी सुझाव है कि इन उद्योगों को सहायता तथा अनुदान के रूप में अधिक सहायता दी जानी चाहिये ।

हमारे देश में बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ रही है । अतः इस बेरोजगारी को समाप्त करने के लिये अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

†**श्री राधा रमण** (चांदनी चौक) : बजट प्रस्तावों से देश में किसी प्रकार की आशंका या भय का वातावरण उत्पन्न नहीं हुआ है । वस्तुतः जब से वित्त मंत्री ने वित्त मंत्रालय की बागडोर संभाली है तब से देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है ।

हम प्रतिवर्ष नये कर लगाते जाते हैं । अतः कुछ आलोचना होनी स्वाभाविक है तथापि देश में होने वाले विकास कार्यक्रमों के लिये हमें अधिक धन और संसाधनों की आवश्यकता है ।

इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान देश में होने वाले अपव्यय की ओर दिलाना चाहता हूं । विकास कार्यों के सिलसिले में देश में अधिकाधिक धन का प्रसार हो रहा है, अधिकाधिक संसाधन देश को उपलब्ध किये जा रहे हैं, तथापि वर्तमान व्यवस्था की त्रुटियों और दुर्बलता के कारण हम उतने सुचारु तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं जितने सुचारु तरीके से हमें करना चाहिये । अतः यदि हम अधिक कुशलतापूर्वक काम करें तो जो धन वे करों से प्राप्त करना चाहते हैं उतना धन वे बचत इत्यादि से प्राप्त कर सकते हैं ।

व्यय करने के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय में जो प्रणाली अपनायी जाती है उसमें काफी सुधार और सरलीकरण करने की आवश्यकता है । प्रति वर्ष पंचवर्षीय योजना तथा अन्य योजनाओं के सिलसिले में कुछ राशि व्यय करनी होती है, तथापि वह राशि वर्ष के अंत में उपलब्ध होती है । इसका यह फल होता है कि उस राशि को जल्दी जल्दी व्यय करने का प्रयत्न किया जाता है । फलतः उस

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्य में जितनी सावधानी बरती जानी चाहिये थी वह नहीं बरती जाती है । इस सम्बन्ध में ऐसी प्रणाली अपनायी जाय कि सम्बन्धित विभाग या संगठन को वर्ष के प्रारम्भ में ही वह राशि उपलब्ध हो जाय । यदि कुछ औपचारिक कार्यवाहियों के कारण ऐसा संभव नहीं हो तो कम से कम प्रथम छमाही में वह राशि अवश्य उपलब्ध हो जानी चाहिये ।

अब मैं कर अपवंचन के विषय को लेता हूं । यद्यपि कर अपवंचन को रोकने के लिये कड़ी कार्यवाही की गयी है तो भी कर अपवंचन अभी बहुत बड़ी मात्रा में होता है । इस सम्बन्ध में सरकार को हर संभव कार्यवाही करनी चाहिये । इस सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मूल स्थान में कर लगाना विभिन्न स्थानों में कर लगाने से अधिक अच्छा होता है । सरकार को कपड़े तथा चीनी के विषय में यही अनुभव हुआ है । वस्तुतः निर्माण स्थान में कर लगाने से आढ़तिये, विक्रेता, खरीददार इत्यादि सभी की परेशानी की बचत होती है और सरकार को भी अधिक राशि प्राप्त हो सकती है । कई बार ऐसा होता है कि खरीददार और व्यापारी यह तय कर लेते हैं कि वे बिक्री कर नहीं लेंगे । इससे उन दोनों में से किसी को हानि नहीं होती है, इस प्रकार सरकार को घाटा रहता है । अतः सरकार को चाहिये कि अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में भी उनके उत्पादन स्थान पर ही कर ले लिया जाय जिससे इस सम्बन्ध में भ्रष्टाचार तथा विलम्ब और परेशानी न होने पावे ।

मुझे प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री ने लोक मत का आदर किया है और उन वस्तुओं में जिनमें लोक मत करों के विरुद्ध था कर वापस ले लिये गये हैं ।

रेडियो सेटों पर मूल्यानुसार कर लगाया गया है, इस प्रकार कर लगाने से विक्रेताओं को परेशानी होती है तथा कर अपवंचन और भ्रष्टाचार की बहुत गुंजायश रहती है । अतः मेरा निवेदन है कि इसके स्थान पर जिन सेटों की कीमत १५० रु० से ३०० रु० तक हो उस पर १० प्रतिशत और जिन सैटों की कीमत ३०० रु० से अधिक हो उन पर २० प्रतिशत कर लगाया जाय ।

औषधियों पर यद्यपि कुछ रियायत की गयी है तथापि छोटे बड़े सभी औषधि निर्माण कारखानों पर एक रूप कर लगाने का यह परिणाम होगा कि छोटे उपक्रमों को खानापूरी करना तथा शुल्क निरीक्षक को संतुष्ट करना सम्भव नहीं होगा । अतः उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । अतः छोटे उपक्रमों के सम्बन्ध में कुछ छूट करने के सम्बन्ध में विचार किया जाय ।

यही कठिनाई सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री के निर्माताओं के सम्बन्ध में आई है । सरकार को चाहिये कि वह या तो वहां उत्पादन होने वाली मात्रा के आधार पर या वहां नियुक्त कर्मचारियों की संख्या के आधार पर उन्हें छूट प्रदान करे । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

†**श्री अन्सार हरवानी** (फतेहपुर) : वित्त मंत्री के इस पद पर आने के समय हमें यह आशा बंधी थी कि वे राष्ट्र की वित्तीय तथा आर्थिक नीतियों को गांधीवादी विचार धारा से प्रभावित करेंगे, तथापि सरकार प्रति वर्ष इस प्रकार के कर लगा रही है जिनसे गरीब जनता पर आघात होता है । मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि हमारे देश में अप्रत्यक्ष कर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गये हैं अतः अब उन्हें केवल उन व्यक्तियों पर कर लगाना चाहिये जो कर दे सकने में समर्थ हों ।

यदि वित्त मंत्री वेष बदल कर देश की सही स्थिति देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि देश का व्यापारी वर्ग आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ गठबंधन करे रहता है, उनकी खूब खातिर की जाती है और उनकी आड़ में कर अपवंचन किया जाता है । यहां का व्यवसायी वर्ग इतना चतुर है कि वे

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अन्सार हरवानी]

मृत्यु के पूर्व भी सरकार को छलने के लिये और सम्पदा शुल्क से बचने के लिये वे बेनामी सौदे कर जाते हैं और अपनी सम्पत्ति को अपने सम्बन्धियों के नाम कर जाते हैं। मेरा सुझाव है कि वित्त मंत्री को इस सम्बन्ध में सभा में एक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये।

सरकार को चाहिये कि वह आय के अन्य साधनों का भी लाभ उठाये। रियासतों का एकीकरण करने की चिन्ता में हम रियासतों के राजाओं को निजी थैली के रूप में बहुत बड़ी राशि देने को सहमत हो गये थे। अब इस बात को बारह वर्ष हो चुके हैं। इस बीच राजा लोग किसी न किसी क्षेत्र में घुस गये हैं अतः अब इन राशियों का उपयोग चुनाव लड़ने और देश में प्रतिक्रियावादी सरकार की स्थापना में किया जा रहा है। अतः सरकार को चाहिये कि भूतपूर्व राजाओं की ये निजी थैलियां बन्द कर दी जांय। यदि आवश्यक हो तो इस सम्बन्ध में संविधान में संशोधन किया जाय। समाजवादी ढांचे के समाज में इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती हैं।

सरकारी क्षेत्र में बहुत अपव्यय होता है सरकार को इस ओर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। उदाहरणार्थ वन महोत्सव के रूप में जिले के किसी एक स्थान में एक पौदा लगाने के लिये केन्द्र के किसी उपमंत्री या मंत्री को निमंत्रित किया जाता है और उसका समाचार पत्रों में बड़े बड़े शब्दों में विज्ञापन किया जाता है तथापि तत्पश्चात उसकी कोई चिन्ता नहीं की जाती है। इस प्रकार वनमहोत्सव के रूप में कोरा अपव्यय ही किया जाता है।

यह दुख की बात है कि देश में प्रधान मंत्री जैसे महान व्यक्ति का नेतृत्व होते हुए भी हमारे देश में अभी तक राष्ट्रीय एकीकरण की भावना का विकास नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में सूचना तथा प्रसार मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें चाहिये कि वे पुस्तकों, चित्रों तथा साहित्य के द्वारा इस प्रकार की भावना का जनता में प्रचार करें जिससे कि राष्ट्रीय एकता का स्वप्न साकार हो सके।

अब मैं सरकारी पदाधिकारियों की शान शौकत और दिखावे के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। एक संसद सदस्य को दो कमरों का मकान दिया जाता है तथापि मंत्री होते ही उसे पन्द्रह बीस कमरे वाले मकान की आवश्यकता होती है मेरे विचार से उन्हें अपेक्षाकृत सादगी बरतनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री राजेश्वर पटेल** (हाजीपुर) : मैं श्री श्रीनारायण दास की इस बात से सहमत हूं कि वित्त मंत्री ने चुनावों की परवा न कर तीसरी पंच वर्षीय योजना के व्यय को पूरा करने के लिये संसाधन जुटाने का भरसक प्रयत्न किया है। इसमें संदेह नहीं कि हम गांधीवादी विचारधारा से सहमत हैं। तथापि देश के शीघ्र औद्योगीकरण तथा बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना करने के लिये हमें उन सभी साधनों का उपयोग करना चाहिये जो कि हमें उपलब्ध हैं।

[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुए]

मेरा विचार है कि वित्त मंत्री का केवल मात्र यही कर्त्तव्य नहीं है कि वह कर संग्रह करें, अपितु उनका यह भी कर्त्तव्य है कि वह उस राशि को इस प्रकार व्यय करें कि करदाताओं के दिमाग में यह संशय पैदा न होने पावे कि उनके द्वारा दी गयी राशि का अपव्यय किया जा रहा है।

कुछ दिन पूर्व इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में बोलते हुए मैं ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये थे। उसके उत्तर में इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ने यह कहा था कि मुझे सच्चाई

---

†मूल अंग्रेजी में

का आदर करना चाहिये । वास्तविकता यह है कि तीनों इस्पात कारखानों के लागत मूल्य में मूल प्राक्कलन से अधिक से अधिक ७ या ८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इस सम्बन्ध में मैं उनका ध्यान दूसरी पंचवर्षीय योजना का पुनर्मूल्यांकन : एक संक्षेप की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । उस में यह कहा गया है कि तीनों इस्पात संयंत्रों का मूल प्राक्कलन ३५० करोड़ रुपये था जबकि उस की पुनरीक्षित राशि ४९५ करोड़ रुपये है । इससे यह स्पष्ट है कि यह वृद्धि ७ या ८ प्रतिशत से कहीं अधिक है । इस सम्बन्ध में हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि इन संयंत्रों का आर्डर अक्टूबर १९५६ में दिया गया था जबकि जनवरी १९५७ तक इनके मूल्य में १४५ करोड़ रुपये की वृद्धि हो गयी ।

तथापि यदि इतना होने पर भी हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना में रखे गये लक्ष्य की प्राप्ति कर ली होती तो भी इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय का काम प्रशंसा के काबिल होता । तथापि आंकड़ों से ज्ञात होता है कि यद्यपि हमारा लक्ष्य था कि हम दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ४५ लाख टन इस्पात का उत्पादन करेंगे तथापि अभी तक वहां कुल उत्पादन २६ लाख टन है । इस प्रकार हम वस्तुतः अपने उत्पादन का केवल ३० प्रतिशत ही प्राप्त कर सके हैं जब कि हम अपने लक्ष्य से ७० प्रतिशत पीछे रहे हैं ।

उक्त मंत्रालय के तेल मंत्री ने उसी दिन सभा में यह कहा कि उन्हें कोई शीघ्रता नहीं है । तथापि राष्ट्र इस मामले में इतना सुस्त नहीं रह सकता है । नहरकटिया में वाणिज्यिक उत्पादन के लायक काफी तेल का उत्पादन आज से तीन वर्ष पहिले ही होने लगा था,तथापि वहां किसी शोधनशाला का निर्माण नहीं किया गया । इस दौरान राष्ट्र को डीजिल तेल तथा अन्य तेलों की खरीद के लिये विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ी । इस प्रकार हमें इस्पात तथा तेलों के आयात से जो घाटा हुआ है वह लगभग १०० करोड़ के होगा । मेरे विचार से इससे अधिक ढिलाई नहीं हो सकती है । मैंने इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय से यह पूछताछ की कि क्या इनके व्यय की प्रणाली की जांच करने की कोई व्यवस्था है तथापि मुझे यह ज्ञात हुआ कि उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । जब उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो वे किस प्रकार इस मंत्रालय का अतिरिक्त व्यय स्वीकृत कर देते हैं ।

वस्तुतः इस मंत्रालय की असफलता दूसरी पंचवर्षीय योजना की आंशिक असफलता के लिये उत्तरदायी है । इसके कारण ही खाद्य तथा कृषि मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सका है क्योंकि इन मंत्रालयों के पास उपयुक्त मात्रा में इस्पात उपलब्ध नहीं हुआ और इस कारण इनकी कई योजनाओं पर आघात हुआ ।

यद्यपि खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन से सभा में काफी आश्वासन हुआ है कि देश में उसकी खपत के लायक काफी खाद्यान्न मौजूद है तथापि हमें यह भी जानना चाहिये कि हमें प्रति वर्ष खाद्यान्नों की खरीद के लिये औसतन १२१.२ करोड़ रुपये व्यय करने होते हैं, इस प्रकार पिछले बारह वर्षों में हम १४०० से १५०० करोड़ रुपये व्यय कर चुके हैं ।

इस सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता हूं कि देश की पैदावार मानसून के रुख पर निर्भर करती है । दुख की बात है कि देश में उर्वरकों का उत्पादन घटा है । देश में कीड़ों इत्यादि के द्वारा जिस मात्रा में खाद्यान्नों को नुकसान होता है यदि उस का मूल्य कूता जाय तो वह लगभग ६०० करोड़ रुपये प्रति वर्ष होता है ।

मांजगांव डॉक की खरीद के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय ने जो कीमत अदा की है वह बहुत अधिक है । इसकी खरीद की शर्तें भी सभा को नहीं बतलायी गयीं । मैं आशा करता हूं प्रतिरक्षा मंत्रालय इसका स्पष्टीकरण करेगा ।

†श्री खाडिलकर (अहमदनगर) : यद्यपि राजस्व में ६ करोड़ का घाटा दिखाया गया है तथापि मेरा विचार है कि अगले वर्ष तक यह घाटा पूरा हो जायेगा ।

हम ने देश की अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में जो रवैया अपनाया है वह गलत है । इसे श्री अशोक मेहता ने आत्मतुष्ट कहा है तो प्रो० गोलब्रैथ का यह कथन है कि हम एक प्रकार के पारस्परिक विवेक पर भरोसा कर रहे हैं । अतः सरकार को चाहिये कि वह अपनी नीति के सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करे । क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे और स्थिति का गम्भीरता से मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हमें भविष्य में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ।

प्रो० हेन्सन ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था की आलोचना करते हुए कहा है कि हमें विश्व को यह विश्वास दिलाना चाहिये कि हम स्वतंत्र उपक्रम के विरोधी हैं और जो भी रियायतें हमने स्वतंत्र व्यवसाय को दी हैं उन पर शीघ्र नियंत्रण लगा दिया जायेगा और वे वापस ले लिये जायेंगे । यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो हमें अनिवार्य रूप से साम्यवादी अर्थव्यवस्था की ओर झुकना होगा । यद्यपि हमारी योजना पिछले दस वर्ष से चल रही है तथापि हमें अभी तक अपनी योजनाओं पर वह विश्वास नहीं पैदा हुआ है जो कि होना चाहिये । वस्तुतः हमें समाजवादी ढांचे के समाज में अविश्वास होता जा रहा है। यदि यही स्थिति जारी रहेगी तो इसका हमारे देश के लिये घातक परिणाम होगा ।

दुख की बात है कि देश की समस्त अर्थव्यवस्था कुछ ही पूंजीपतियों के हाथों में केन्द्रित है । सामान्य जनता के जीवन स्तर में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है इसका यह परिणाम हुआ है कि मूल्य वृद्धि के कारण वह अपनी अनिवार्य आवश्यकतायें भी पूरी करने में समर्थ नहीं है । अतः सरकार को इस ओर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये ।

अब मैं चढ़ती हुई कीमतों को लेता हूं । दुर्भाग्य का विषय है कि कीमतों को स्थिर रखने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । हम कीमतों पर किसी प्रकार के अंकुश रखने के विरोधी हो गये हैं । विकासशील अर्थव्यवस्था में कीमतों में वृद्धि होना अनिवार्य है तथापि एक ओर उपभोग पर और दूसरी ओर कीमतों पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न किया जाना चाहिये । ज्ञात हुआ है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की है मैं नहीं जानता कि उस समिति के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ।

धन की कमी को पूरा करने तथा आम जनता की बचत का पूरा उपयोग करने के लिये हमें चाहिये कि हम डाकखाने के बचत बैंकों में ब्याज की दर बढ़ा कर ३ प्रतिशत कर देवें ।

शक्ति चालित करघों पर जिस प्रकार से शुल्क लगाया गया है उससे जनता में असंतोष फैल गया है क्योंकि इससे विशेष प्रकार के शक्तिचालित करघों में एक प्रकार से भेदभाव किया गया है । मेरा अनुरोध है कि इन करघों से लगभग १० लाख व्यक्तियों को जीविका मिलती है । अतः इनमें काम करने वालों की मजूरी तथा काम की शर्तों पर नियंत्रण करने के स्थान में वित्त मंत्री ने जिस ढंग से उन पर शुल्क लगाया है उसका यह परिणाम होगा कि उनको अपना काम बन्द करना पड़ेगा

मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे केवल राजस्व का ही पहलू न लेवें अपितु इस प्रश्न पर नियोजन की दृष्टि से भी विचार करें । इसके साथ साथ मैं उन से यह भी अनुरोध करता हूं कि वे रायन पर लगाये गये शुल्क पर भी पुनर्विचार करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : जनाब चेयरमैन, मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे फाइनेंस बिल पर बोलने का मौका दिया । तकरीबन डेढ़ दो महीने से हम इस हाउस में सब मिनिस्ट्रीज की कारगुजारियों को रैव्यु कर रहे थे । हमने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरीके से मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज ने इस देश के अन्दर कायापलट करने की कोशिश की है । मुझे यह सब देखकर खुशी होती है और मैं उन लोगों में से हूं जोकि यह मानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने तो प्लांस के अन्दर देश की तरक्की के लिए बहुत कुछ काम किया है । जो उनकी स्कीम्स हैं और जो उन्होंने काम किया है वह इंतिहाई अच्छा है और उनसे हमको बहुत फायदा हुआ है । जब मैं कुछ लोगों को यह कहते सुनता हूं कि इस देश के अन्दर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही और गवर्नमेंट यह नहीं करती और वह नहीं करती तो मुझे तो हंसी आती है । हमारे जिले के अन्दर एक वक्त था जबकि ३०० बीघे का मालिक ६ पैसे रोज पर जाकर रिलीफ का काम करता था और जबकि हर तीसरे साल कहत पड़ता था लेकिन आज मेरे जिले की कायापलट हो गई है और पहले के मुकाबले ८ गुनी पैदावार होने लगी है । एजुकेशन के बारे में भी मैं पहले की बनिस्बत तरक्की पाता हूं । पढ़े लिखे लोगों की तादाद पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा है । ला ऐंड आर्डर की पोजीशन भी बैटर है । हर चीज में मैं तरक्की के अलावा और कोई चीज नहीं देखता । हर डाइरैक्शन में तरक्की हुई है । मुझे बहुत खुशी है कि इन १०, १२ सालों की हुकूमत के जमाने में हमने इतनी ज्यादा तरक्की की है जिसका कि हमें कभी खयाल और गुमान भी नहीं हो सकता है । लेकिन बावजूद इतनी तरक्की के और उसके लिए गवर्नमेंट को मुबारकबाद देने के बाद भी और खसूसन फाइनेंस मिनिस्टर साहब जिनकी कि मेहरबानी से हर बार हमारे प्लांस के वास्ते रुपया आता है, टैक्सेज के जरिये वह रुपया इकट्ठा करते हैं और इसके अलावा दुनिया भर में घूम कर देश की तरक्की के लिए रुपया लाते हैं और जिससे कि सब मिनिस्ट्रीज की डिमांडस पूरी होती हैं और प्लांस पूरे होते हैं, मैं उस बात को कहे बगैर नहीं रह सकता जोकि मुझे खटकती है । मैं समझता हूं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब बड़े खुशकिस्मत हैं जोकि प्लांस को चलाते हैं और उनके जमाने में इतनी तरक्की हो रही है और उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं । मैं गवर्नमेंट की तारीफ खुशामद की तौर पर नहीं करता हूं लेकिन जहां मैं उसको मुबारकबाद देता हूं वहां कई बातें ऐसी भी हैं जो मुझे खटकती हैं जोकि मेरी इस सारी खुशी और जोश को ठंडा कर देती हैं और वह उसी तरह से है जब मोर अपने पंखों को देखता है तो वह बाग बाग हो जाता है लेकिन जब वही मोर अपने पैरों की तरफ नजर डालता है तो वह रोता है । ठीक वही हालत मेरी है ।

अब आज यह खुशी का मुकाम है कि हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ गयी है । हर एक मजदूर को गांव के अन्दर ढाई तीन रुपये से कम की आमदनी नहीं होती है । शहरों में हमारे डिप्रैस्ड क्लासेज की हालत पहले के मुकाबले अच्छी है और यह सब देख कर मुझे खुशी होती है । लेकिन जब मैं लेबर इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की तरफ देखता हूं तो मुझे कहना पड़ता है कि जहां तक अनएम्पलायमेंट का सवाल है वह पूरी तरह हल नहीं हो पाया है । एक आदमी की आमदनी २५० और ३०० रुपये के दरमियान है लेकिन लेबर एग्रीकलचरिस्टस की आमदनी १०४ और ११० रुपये के करीब है । अब हमारी कांस्टीटुएंट असेम्बली ने जो आईन तामीर की और दफा ४१ के अन्दर जो डाइरैक्टिव दिया है उस पर यह गवर्नमेंट कहां तक अमल कर रही है ? मैं जनाब की तवज्जह आर्टिकिल ४१ की ओर दिलाता हूं :

> "राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के तथा बेकारी, बुढ़ापा और बीमारी और अंग हानि तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का कार्य-साधक उपबंध करेगा ।"

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

अब वक्त आ गया है जब गवर्नमेंट ऐसा कानून बनाये और हर एक म्युनिसिपैल्टी, पंचायत और हर एक लोकल एथारिटी पर यह जिम्मेदारी डाल दे कि कोई भी शख्स जो उनके जुरिसडिक्शन में रहता है वह भूखा नहीं रहेगा, उसको काम जरूर मिलेगा, उसको तालीम मिलेगी और अगर उनको काम नहीं दे सकेंगे तो उनको अनएम्पलायमेंट इंश्योरेंस की तौर पर कुछ काम दें और असिस्टेंस दें। जो ओल्ड ऐज हैं उनको पेंशन दें। अब मेरा तो यार्डस्टिक यह है कि सरकार ने इस डाइरैक्टिव प्रिंसिपल पर अमल किया है या नहीं और किया है तो किस हद तक किया है? मैं यह देखना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने इस बारे में कितनी तरक्की की है। जब तक हमारे आईन में दिये हुए डाइरैक्टिव प्रिंसिपल्स को पूरी तरह अमल में नहीं लाया जाता तब तक मैं समझूंगा कि हमारी तरक्की वन साइडेड है और लौप साइडेड है।

मैंने अभी श्री खाडिलकर की स्पीच को सुना। उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान यह बात बतलाई कि आज दुनिया के अन्दर अमीर और ज्यादा अमीर बन रहा है और गरीब और अधिक गरीब होता जा रहा है। उन्होंने बतलाया कि हमारी एकोनामी कुछ इस तरह की है जिसका कि नतीजा यह देखने को मिल रहा है और उन्होंने गैलब्रिथ साहब का भी इस सिलसिले में हवाला दिया। अब यह चीज तो हमारे अपने कांस्टीट्यूशन में दर्ज है कि कंसंट्रेशन आफ पावर नहीं करने दी जायगी। स्टेट का यह देखना फर्ज है कि हर एक को खाना, कपड़ा मिले, उसको काम धंधा मिले, एजुकेशन मिले और रहने के वास्ते मकान मिले और मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक यह बुनियादी जरूरतें हर एक को पूरी नहीं होती हैं तब तक यह जो सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी कायम करने की और सोशलिज्म वगैरह की बातें कही जाती हैं, वह तमाम बातें सारी की सारी ढोंग मालूम होती हैं। जब तक हमारे देश के अन्दर हर एक आदमी एम्पलायड नहीं होगा तब तक सोशलिज्म नहीं आ सकेगी। इसके वास्ते गवर्नमेंट को पहला काम यह करना चाहिये कि गवर्नमेंट कम से कम ऐसा इन्तजाम करे कि हर एक आदमी को जो कि नेशनल इनकम का एवरेज हो उससे कम किसी आदमी को न मिले। मुझे इससे बहस नहीं कि बड़े आदमियों को उससे ज्यादा मिले या नहीं मिले और ज्यादा मिले तो कितनी ज्यादा मिले लेकिन नेशनल इनकम का जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड है वह कम से कम हर एक आदमी को मिले। मैं हमेशा इस यार्डस्टिक से इस चीज को देखता हूं। हमें यह देखना चाहिये कि लोएस्ट आदमी का स्टैंडर्ड कितना बढ़ा है। आया वह बढ़ा भी है या नहीं बढ़ा है। अब इसमें कोई शक व शुबहा नहीं है कि शहरों के अन्दर लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ा है और उन्होंने तरक्की की है लेकिन गांवों के अन्दर मैं अभी भी देखता हूं लोगों को दूध नहीं मिलता है, छाछ नहीं मिलती है, खाने को नहीं मिलता है और काम नहीं मिलता है। जब तक इस चीज को पूरा नहीं किया जायगा तब तक मैं समझता हूं कि हमारी तरक्की अधूरी है और कोई माने नहीं रखती है।

इसके बगैर जो एकोनामिक रैवोलूशन हम अपने देश में लाना चाहते हैं वह दरअसल नहीं आ सकेगा और वह सिर्फ कागजों तक ही महदूद रह जाने वाला है।

मैं हाउस की तवज्जह अपने कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल ४७ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि स्टेट का यह फर्ज होगा कि वह अपने लोगों का स्टैंडर्ड आफ लिविंग बढ़ायें और लोगों की तन्दुरुस्ती बेहतर बनाये। उसमें इस तरह से लिखा हुआ है :—

"राज्य अपने लोगों के आहार पुष्टितल और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्त्तव्यों में से मानेगा तथा विशेषतः

स्वास्थ्य के लिये हानिकर मादक पेयों और औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से अतिरिक्त उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।"

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर शराब इतनी हद तक बढ़ गई है कि शर्म आती है। हमारे महात्मा गांधी जी ने हिन्दुस्तान में स्वराज्य लाने के लिये जो चार प्वाइंट्स रखे थे उन में से प्राहिबिशन भी था। लेकिन आज हम हिन्दुस्तान के अन्दर क्या देखते हैं कि शराब बढ़ती ही चली जा रही है। आज के दिन गरीब आदमी जो कमाता है वह सब जाता है सिनेमा में, सट्टे में और शराब में। जमींदारों के अन्दर शराब बहुत बढ़ गई है, लेबरर्स के अन्दर बहुत बढ़ गई है, शहर के पढ़े लिखे लोगों के अन्दर बढ़ गई है, और उसका असर यह हो रहा है कि जरायम ज्यादा होने लगे हैं और दूसरी बहुत सी तकलीफें होती हैं। मैं खास तौर से फाइनेंस मिनिस्टर साहब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि वह आज सारे देश के अन्दर प्राहिबिशन के पिलर हैं। जहां तक कास्टीट्यूशन की दफा ४६ का सवाल है, उसको अमल में लाया जाये और सारे हिन्दुस्तान के अन्दर आप प्राहिबिशन को स्ट्रिक्ट करें ताकि सिवा मेडिसिन्स के शराब कहीं पर इस्तेमाल न हो सके। अगर यह चीज पूरी तरह हो जायेगी तो कम से कम इस चीज पर जिसके ऊपर महात्मा गांधी जोर दिया करते थे, आप अमल करेंगे, जिससे कि देश की प्रास्पेरिटी को ऊपर उठायेंगे।

आज हमारे पास इतनी चीजें हैं कि मैं सोचता हूं कि इतने वक्त में उनको किस तरह से अर्ज करूं। आप किसी चीज को देख लीजिये, फूड को देख लीजिये, एजूकेशन को देखिये, कितनी ही चीजों को देख लीजिये, मैं उनको गिनाना नहीं चाहता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देश के अन्दर करप्शन पहले के मुकाबले बढ़ गया है और अभी भी बढ़ता चला जा रहा है। जब तक यह करप्शन खत्म नहीं होगा तब तक हिन्दुस्तान के अन्दर सुख और शान्ति नहीं होगी। आखिर यह करप्शन क्यों बढ़ता है। आज लोगों की वांट्स बढ़ती जा रही हैं लेकिन उनकी आमदनी के जरिये नहीं बढ़ रहे हैं। आप कहीं भी चले जाइये, किसी आफिस में चले जाइये, कोर्ट्स में चले जाइये, किसी लाइसेंस के दफ्तर में चले जाइये। करप्शन की हालत वही है। करप्शन बहुत बुरी चीज है, अगर करप्शन हिन्दुस्तान में बढ़ता गया तो आप जितनी तरक्की करेंगे वह सारी तरक्की खत्म हो जायेगी और जितनी चीजों का आप इन्तजाम करेंगे वह बेकार हो जायेंगी। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आप किसी एम० पी० और एम० एल० ए० को जो कि शराब पीता हो उसको कांग्रेस का टिकट न दें। जिस डिप्टी कमिश्नर का डिसिप्लिनरी कंडक्ट ठीक न हो, जो शराब पीता हो, उस के खिलाफ आप ऐक्शन लें। जब तक आप यह चीजें नहीं करेंगे उस वक्त तक देश के अन्दर अमन व अमान नहीं होगा, देश के अन्दर बिल्कुल तरक्की नहीं होगी। आज आप किसी तरफ चले जाइये, आपको बेकारी मिलती है, इन्डिसिप्लिन मिलती है, सेल्फिशनेस मिलती है। आज सारी गड़बड़ियां हो रही हैं क्योंकि लोगों में सेल्फिशनेस बढ़ गई है। सेल्फिशनेस इसलिये बढ़ गई है कि लोगों की वान्ट्स बढ़ गई हैं, लेकिन उनके रिसोर्सेज नहीं बढ़े हैं। इसलिये लोगों की मारल वैल्यूज गिर रही हैं। आज सारी तरफ काम बिगड़ा हुआ है। आज आदमी जो रुपया कमा कर लाता है उसे वह इधर उधर की चीजों में लगा देता है और अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। इससे लोगों के अन्दर हैपिनेस नहीं है। और हैपिनेस इन तीन चार वजूहात से नहीं होती है जो कि हमें जिन्दा नहीं रहने देंगी, हमें खराब करेंगी। इस देश के अन्दर खुसूसन डॉमेस्टिक फैसिलिटी नहीं है क्योंकि सारे देश के अन्दर आज के दिन भ्रष्टाचार और व्यभिचार बढ़ता जा रहा है और गवर्नमेंट इन चीजों की तरफ तवज्जह नहीं दे रही है। आज स्कूलों और कालिजों में इन्डिसिप्लिन को खत्म करने के नाम पर गवर्नमेंट ने एक कमेटी मुकर्रर की। कमेटी बठी ताकि लोगों में मारल वैल्यूज बढ़ाने की कोशिश की जाय। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि आप

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

सिर्फ मैंटीरियल चीजों को न देखिये । मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि वह महज फाइनेन्स मिनिस्टर ही नहीं हैं, बल्कि देश को बनाने वाले हैं । मैं उन से एक नेशनल लीडर की तरह से अपील करना चाहता हूं कि जब तक वह इन चीजों की तरफ तवज्जह नहीं देंगे तब तक देश का कल्याण नहीं होगा ।

इसलिये सब से पहली चीज जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह कि प्राहिबिशन का कानून सारे देश के वास्ते आप बनायें, सिर्फ कुछ हिस्सों के लिये ही न बनायें, फिर जितने एम० पी० और एम० एल० ए० हैं उनको आप टिकट न दें अगर वह शराब का इस्तेमाल करते हों, मैंने जिन अफसरों की बात कही है जब तक वह शराब पीते हैं, उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाय, उनको आगे न बढ़ाया जाय जब तक वे शराब पीते हैं । जब तक इन चीजों को नहीं करते हैं, जैसा कि महात्मा गांधी जी चाहते थे, उस वक्त तक आप देश में अमन व अमान कायम नहीं कर सकते ।

इसी तरह से दूसरी सब से बुरी चीज करप्शन है । आपको नहीं मालूम कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है । वह करप्शन छोटों में ही नहीं है, बड़े बड़े लोगों में भी है । गीता में भी कहा है कि बड़े बड़े आदमी जो कर ते हैं वही छोटे आदमी करते हैं । इस तरीके से करप्शन चल रहा है । जब तक यह करप्शन चलेगा लोगों के अन्दर तब तक देश का कल्याण नहीं होगा, बल्कि देश के अन्दर जो चीजें मौजूद हैं वे भी खत्म हो जायेंगी और जो दूसरीचीजें चल रही हैं वह बढ़ती जायेंगी । कल सुनने में आयेगा कि दिल्ली में दस आदमी गये और उन्होंने किसी को मार दिया । इसका किसी को पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे इस तरह की चीजें बढ़ती चली जायेंगी । देश के अन्दर ला ऐंड आर्डर कायम नहीं रहेगा और इस तरह की चीजें मारल वैल्यूज को कायम नहीं रक्खेंगी ।

इसके लिये मेरी गुजारिश यह है कि सबसे पहली चीज यह होनी चाहिये कि अनएम्प्लायमेंट को दूर करने के लिये हर एक म्यूनिसिपल बोर्ड, हर एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, हर एक स्टेट जिम्मेदार है । अगर अनएम्प्लायमेंट रहता है तो उसके लिये इंश्योरेंस का इन्तजाम किया जाय और उसको पैसा दिया जाय जो कि अनएम्प्लायड हो ताकि लोगों को अक्ल आये और वे दूसरों के लिये अपने हिस्से में से कुछ दें । इसी तरह से ओल्ड एज पेन्शन का भी इन्तजाम किया जाय । यह तीन चार बातें निहायत जरूरी हैं जिनके बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं । एक तो अनएम्प्लायमेंट को दूर करना, दूसरे प्राहिबिशन लागू करना, तीसरे कर्व आन करप्शन और चौथे छोटी जातियों का सवाल ।

जहां तक छोटी जातियों का सवाल है, शेड्यूल्ड कास्ट्स का, उन के लिये हमारा फर्ज है कि उनको तरक्की करायें । उनके बारे में हमारे यहां जबानी तरक्की बहुत हुई है, लेकिन रिअल तरक्की कुछ नहीं हुई । हमने उसी दिन गलती की जिस दिन हमने शेड्यूल्ड कास्ट की तारीफ कास्ट की बिना पर कर दी । मैंने उस वक्त भी उज्र किया था जब कांस्टिटुएन्ट असेम्बली में कास्ट की बिना पर और पैदाइश की बिना पर उन को शेड्यूल्ड कास्ट बनाया गया । मैं ने कहा था कि कास्ट की बिना पर, पैदाइश की बिना पर किसी को मदद देना सख्त गलती है, और हम उसे अब भी बढ़ाये चले जा रहे हैं । हमने दस वर्ष के लिये जाति की बिना पर रिजर्वेशन दे दिया । अब किसी को किसी रिलीजन की बिना पर, कास्ट की बिना पर मदद न दी जाय, आदमियों की गरीबी को देखते हुए, मारल और फिजिकल और दूसरी इस तरह की चीजों को देख कर हर एक की पूरी मदद की जाय । कास्ट की बेसिस पर किसी को शेड्यूल्ड कास्ट्स में न रक्खा जाय । अगर इसी बेसिस पर शेड्यूल्ड कास्ट को रक्खा गया तो उन लोगों के साथ इन्साफ नहीं हो सकता । इससे आप उनको और पीछे हटायेंगे ।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह बीमारी आज इस देश के अन्दर बहुत ज्यादा है और मुझे तो डर है कि यूनिटी आफ दि नेशन जिसका जिक्र प्रीएंबल में है बिल्कुल खत्म हो जायेगी। आज हम बंगाल देखते हैं, आसाम देखते हैं, मद्रास और बम्बई देखते हैं, लेकिन हम को हिन्दुस्तान कहीं नजर नहीं आता। आज नेशनलिज्म खत्म हो रहा है, पैट्रियाटिज्म खत्म हो रहा है हर एक आदमी कास्ट और ट्राइब की तरफ जा रहा है, गवर्नमेंट की अपनी पालिसीज उनके ऊपर चलती हैं। दो वर्ष हुए। इसी पार्लियामेंट ने महाराष्ट्र और गुजरात को एक कर के बम्बई बनाया था लेकिन बाद में उस को दो कर दिया। इसी तरह से पंजाब में पंजाबी रीजन और हिन्दी रीजन कर दिया। हर जगह गवर्नमेंट खुद अपने ऐक्शन्स से इस तरह की कार्यवाहियां करती जा रही है। लोग सोचते हैं कि प्राविंशलिज्म से फायदा उठाया जाय, कास्ट्स के ऊपर चलें, रिलीजन के ऊपर चलें : आज के दिन आसाम और बंगाल में जो हुआ वह हर एक जगह होने वाला है। हम देखते हैं कि आज लिंग्विस्टिक प्राविंसेज में मेजारिटी वाले जो हैं वे माइनारिटी को हैरास कर रहे हैं, वर्ना लिंग्विस्टिक प्राविंसेज की बेसिस ही क्या है? लेकिन क्या आप के पास कोई मशीनरी है जो लिंग्विस्टिक माइनारिटीज को इन्साफ दिलाने में कुछ मदद कर सके? गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास कोई इस तरह का प्राविजन नहीं है। हमारे कांस्टीट्यूशन में भी नहीं है। जब तक हिन्दुस्तान की युनिटी के लिये लोग जान न दे सकें, जब तक लोग यह न समझें कि हिन्दुस्तान एक है, उस वक्त तक नामुमकिन है कि हम उन झगड़ों से अपने को महफूज कर सकें जो हम को आज परेशन किये हुए हैं। उधर पाकिस्तान हमारी तरफ देखता है और इधर चीन हमारी तरफ देखता है। क्या आज उन के हमलों को कोई रोक सकेगा इस तरह से? हमें शर्म आती है कि हिन्दुस्तान में आज के दिन लोग अपना सिर नीचा नहीं करते कि हिन्दुस्तान की १२ हजार वर्ग मील भूमि को चीन ने दबा लिया है, लेकिन कौन सा हिन्दुस्तानी है जिस के अन्दर यह जज्बा है कि हम उसको चीन से ले लें? न गवर्नमेंट चाहती है और न हम इस को सोचते हैं। चाहते हैं। यह अव्वल दर्जे के ह्यूमिलिएशन की चीज है। वजह यही है कि आज हिन्दुस्तान एक नहीं है अगर किसी के ऊपर हमला होता था तो लोग कहा करते थे कि हम जान लड़ा देंगे, लेकिन इस वक्त हिन्दुस्तान के अन्दर कोई जान लड़ाने वाला नहीं है। आज हिन्दुस्तान के अन्दर एन्थुजिआज्म नहीं है, गवर्नमेंट ने उसे पैदा नहीं किया, उस ने इस तरह की पालिसी पर अमल नहीं किया। आज गवर्नमेंट की पालिसी ऐसी नहीं है जो हिन्दुस्तान के अन्दर यूनिटी आफ दि नेशन की तरफ लोगों को ले चले। इस लिये गवर्नमेंट को सोच समझ कर काम करना चाहिये। एक जमाना था जब लोग समझते थे कि देश को एक होना चाहिये। लेकिन आज फैसिफोरस टेन्डेन्सीज को एन्करेज किया जाता है और हमारी पालिसी उन लोगों के पीछे चलती है जो इस तरह की चीजें चाहते हैं। इस तरह से हम अधोगति की तरफ जा रहे हैं और जो असली चीजें हैं उन की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं ने उन लोगों की तकरीरें सुनीं जो यहां पर बोले लेकिन यह चीज नहीं सुनी कि नेशनल कैरेक्टर को बनाने के वास्ते किस के पास क्या स्कीम है या कौन सी चीज है जिस से एक हिन्दुस्तान की तरह पर लोग इस देश को देखें, एक प्राविंस और दूसरे प्राविंस के रूप में न देखें। आज हम देखते हैं कि दुर्गापुर में किसी बंगाली को सिवाय किसी और को, काम पर नहीं रखा जायेगा, पंजाब के अन्दर पंजाबी के सिवाय किसी को नहीं रक्खा जायेगा। इसलिये मेरी नाकिस राय में हमारी गवर्नमेंट को इन चीजों की तरफ ज्यादा तवज्जह देनी चाहिये और ऐसी चीजें करनी चाहियें जिन से देश के अन्दर मारल वैल्यूज बढ़ें, जिन से हिन्दुस्तान के अन्दर महात्मा गांधी जो चाहते थे वह बढ़े और देश अधोगति की तरफ न जाये। मैटीरियलिज्म के पीछे चलते हुए लोग और न गिरें बल्कि इस तरह से चलें जिससे हमारा अनएम्प्लायमेंट दूर हो और हम उस रास्ते की ओर आगे बढ़ें जिस से हिन्दुस्तान की तरक्की हो।

†श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मुझे दुःख है कि वर्तमान बजट से मध्यम वर्ग के लोगों पर आघात हुआ है ।

वित्त मंत्री ने जिन छटों की घोषणा की है मैं उन का स्वागत करता हूं । इस संबंध में मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस बात का स्पष्टीकरण करें कि तांबे तथा तांबे की मिश्रित धातु की चादरों को दी जाने वाली रियायत के भीतर वे चूड़ियां भी शामिल होंगी जो कि तांबे, जर्मन सिल्वर और पीतल की बनायी जाती हैं ।

जहां तक शक्ति चालित करघों का प्रश्न है यदि यह रियायत केवल एक पारी में काम करने वाले लोगों को दी जायेगी तो इस का वास्तविक प्रयोजन ही असफल हो जायेगा ।

बहुत से हथकरघे भी बिजली से संचालित होते हैं । उन में बिजली की बहुत कम मात्रा का प्रयोग किया जाता है मेरे विचार से ऐसे करघों को भी छूट मिलनी चाहिये ।

अब मैं वेतन आयोग की सिफारिशों को लेता हूं । इस संबंध में २० मार्च, १९६१ को एक प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय वित्त मंत्री श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने यह कहा था कि उन के वेतन का संरक्षण नहीं किया जा सकता है । मेरे विचार से वेतन आयोग का यह मत कदापि नहीं था कि किसी का वेतन कम किया जाये । इसी से इस संबंध में असंगतियां पैदा हो गयी हैं । अतः मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इन असंगतियों पर विचार करें । उदाहरणार्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रतिरक्षा मंत्रालय के सब एसिस्टेंट सर्जन ग्रेड २, जिन का ग्रेड १६०–३२५ रु० था उन का ग्रेड १५०–३८५ रु० कर दिया गया है । इस का यह फल होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह ७० से ७५ रु० का आवर्ती घाटा हो जायेगा । अतः मंत्रालय को चाहिये कि वे इस प्रकार की असंगतियां दूर करने के लिये तत्काल आदेश जारी करें ।

वेतन आयोग ने पदोन्नतियों के बारे में सिफारिश की थी कि उन का आधार वरिष्ठता को बनाया जाये । लेकिन आय-कर विभाग में उसे कार्यान्वित नहीं किया गया है । मेरा अनुरोध है कि उसे कार्यान्वित किया जाय ।

कर्मचारियों को शिकार बनाने के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि अभी भी ६३४ कर्मचारी काम पर नहीं लिये गये हैं । यदि किसी कर्मचारी पर तोड़ फोड़ का आरोप हो, तो उस की न्यायिक जांच करायी जानी चाहिये । शेष को काम पर वापस लिया जाना चाहिये । मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं कि आय-कर विभाग के कर्मचारियों के साथ नरमी का बर्ताव किया गया है ।

रेलवे बोर्ड ने २ अप्रैल, १९६१ के अपने आदेश में 'घोर कदाचार' की बड़ी उपयुक्त परिभाषा की है । यदि उस के अनुसार चला जाये तो हड़ताल में भाग लेने वाले सभी कर्मचारियों के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है । माननीय वित्त मंत्री को उन के मामलों पर पुनः विचार करना चाहिये ।

यदि माननीय मंत्री उन सभी मामलों पर अलग अलग विचार कर लें और हमें उस का परिणाम बता दें तो मुझे सन्तोष हो जायेगा । लेखा परीक्षा विभाग के कर्मचारियों के मामलों पर पुनः विचार किया जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बिल्कुल सही कहा है कि आज देश में बेरोजगारी और भुखमरी के बीच होड़ लगी हुई है ।

देश के लिये गर्व की बात है कि हम अब अपने यहां सवारी डिब्बे तैयार करने लगे हैं। लेकिन दूसरी ओर गरीबी इतनी है कि ७५ वर्ष की अवस्था के वृद्धों को भी साइकिल रिक्शे चलाने पड़ते हैं।

दिल्ली में ही हजारों-लाखों लोग झुग्गियों में रहते हैं । हम बेरोजगारी की समस्या हल करने में असमर्थ सिद्ध हुए हैं। इसलिये पंडित भार्गव का यह सुझाव बिल्कुल ठीक है कि हमें बेरोजगारी भत्ता देना चाहिये ।

फिर हम महाराजाओं को निजी थैलियां क्यों देते हैं ? खास तौर से जब उन में से कुछ हमारे राष्ट्र के हितों के विरुद्ध आचरण करते हैं ।

इन रियायतों के लिये मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं । मेरा अनुरोध है कि और अधिक विमुक्तियां देने के प्रश्न पर वह पुनः विचार करें। मध्यवर्गीय लोगों को भुखमरी से बचाया जाना चाहिये ।

श्री उइके (मंडला—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : सभापति महोदय, इस तीसरी पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये हमें करोड़ों रुपयों की आवश्यकता है । जब रुपयों की आवश्यकता है तो सरकार को जनता के ऊपर कुछ कर भी लगाने जरूरी होंगे . . . . .

सभापति महोदय : मेहरबानी कर के दस मिनट ही लीजियेगा ।

श्री उइके : जैसी आपकी आज्ञा । सरकार को धन की प्राप्ति के हेतु जनता पर टैक्स लगाने जरूरी हैं । जनता जिस पर कि उन टैक्सों का भार पड़ता है उस को स्वाभाविक रूप से दुःख होता है और आज जनता दुखी हो रही है । लेकिन जनता को सब से ज्यादा दुःख इस बात से होता है कि जो पैसा उन से टैक्सों की शक्ल में वसूल किया जा रहा है वह सही तौर पर खर्च नहीं हो रहा है और यह जो चारों ओर से भ्रष्टाचार की आवाज उठती है तो यह चीज सब लोगों को बहुत अखर रही है । अब इस भ्रष्टाचार का क्या किया जाये ? अब हालत यह है कि करप्शन, करप्शन जो कहने वाले हैं वह भी करप्शन के अन्दर सम्मिलित है। अब हमारे यहां ही ले लीजिये । एक तरह से हम और आप भी करप्शन करते हैं । पार्लियामेंट के मेम्बरान जिन्हें कि कंसेशनलरेट पर फ्लैट्स मिलते हैं, कई माननीय सदस्यों ने अपने फ्लैट्सबलैट कर दिये हैं । अब यह एक करप्शन (भ्रष्टाचार) हमारे यहां भी है ।

करप्शन हर क्षेत्र में किसी न किसी रूप में विद्यमान है । अब विकास कार्यों में धन लगना है तो करप्शन तो थोड़ा बहुत चलेगा ही लेकिन आखिर विकास कार्य तो हमें करने ही हैं और थोड़ा बहुत इस को सहना ही पड़ेगा । लेकिन इस का यह मतलब नहीं है कि सरकार को करप्शन को रूट आउट करने के लिये प्रयत्नशील नहीं होना चाहिये ।

अब विकास कार्य के हेतु जो पैसा खर्च होता है तो यह तो ठीक है कि कोई ऐसा गांव नहीं है जहां कि कोई काम न हुआ हो लेकिन काम अधूरा हुआ है । कितने ही गांवों का काम अधूरा पड़ा हुआ है । अब जिस किसी सड़क में पत्थर गिरे हैं तो मिट्टी नहीं पड़ी है और जिस के कि कारण वहां पर बैलों के पांव पत्थरों में फंस कर टूट जाते हैं । जहां कुएं खोदे हैं तो उन को आधा खोद कर छोड़ दिया गया है और वहां जानवर गिरकर मरते हैं । लोग इस कारण हमारे विकास कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं । अब उचित यह है कि गांवों में जो अधूरे काम पड़े हुए हैं उन को पूरा किया जाय और किसी भी गांव में कोई अधूरा काम जनता की नजर में नहीं पड़ना चाहिये वरना स्वाभाविक रूप से जनता में बड़ा असन्तोष पैदा होता है और दुःख होता है ।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : जो काम अधूरे रहे उन के पैसे पूरे मिले या नहीं ?

श्री उइके : वह सब अगर पूरे नहीं भी मिले हैं तो उसमें भी हम और आप सम्मिलित हैं। वह जानते हैं मिनिस्टर भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। अब क्या कहा जाय और किस को कहा जाये। सारा वातावरण ही करप्शनमय है। अब खाली करप्शन करप्शन कहने से ही तो हमारा काम चलने वाला नहीं है विकास कार्य होने जरूरी हैं। जहपं जहां विकास जायेगा उस के साथ में करप्शन जायेगा, यह एक अनिवार्य बात हो गई है और इसलिये करप्शन को करप्शन कहना छोड़ देना चाहिये।

रिआर्गेनाइजशन कमीशन (पुनर्गठन आयोग) ने जो रिपोर्ट दी और जिस पर इस पार्लियामेंट में बहस हुई और उसके आधार पर चार प्रदेशों को मिला कर मध्य प्रदेश की स्टट बनी—कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आवागमन के साधन रेल रोड से चारों प्रदेशों के विभागों को जोड़ दिया जाय तथा राजधानी बनाने में केन्द्रीय सरकार सहायता करे और ऐसा होने से यह राज्य भारत में सबसे अच्छा हो जायगा। उस समय के गृह मन्त्री ने उस बहस का जवाब देते वक्त यह वचन दिया था कि रिआर्गेनाइजेशन कमीशन के सुझाव के अनुसार आवागमन के साधन जैसे रेलों और सड़कों की व्यवस्था करना और राजधानी के बनाने आदि में केन्द्रीय सरकार पूरी पूरी सहायता देगी। लेकिन अभी देखने में आता है कि इस वायदे को किये हुए करीब ६ साल हो गये हैं लेकिन अभी तक न वहां कोई रेल बनी है और न कोई सड़क बनी है। आवागमन के साधन बिना ही राजधानी अभी अधूरी पड़ी हुई है। २००, ३०० मील तक सेक्रेटरियट के अलग अलग विभाग पड़े हुए हैं। मिनिस्टर्स लोग थोड़ी दूर रेल से जाते हैं। और फिर उसके बाद मोटरें उनकी जगह जगह पर रक्खी हैं उनको लेकर जाते हैं। एक सीधा रास्ता नहीं है और इससे वहां का काम ठीक से नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि जिन कामों को करने का आपने वचन दिया है और वह परे नहीं हुए हैं और अधूरे पड़े हुए है उनको पूरा करने की कोशिश कीजिये।

इसी तरीके से हम देखते है कि वर्गी तथा अपर वैन गंगा की स्कीम हालांकि शुरू से रेकार्ड में मौजूद हैं लेकिन अभी तक उनको वर्क आउट नहीं किया गया है और उस काम को हाथ में नहीं लिया जाता है। यह स्कीमें पिछले ५–६ सालों से चल रही ह लेकिन वह अभी तक वर्क आउट नहीं हुई हैं। उस तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिये।

इस प्रदेश के अन्दर एक तिहाई आदिवासी जनता पहाड़ों के अन्दर रहने वाली है। वहां पर पीने के पानी का बड़ा अकाल है। इसलिये पीने के पानी की एक समुचित योजना उस प्रदेश के लिये आदिवासियों के माध्यम से होनी जरूरी है।

आदिवासियों के उत्थान के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो १०० करोड़ रुपया रक्खा गया है उसको कम से कम १५० करोड़ रुपया कर दिया जाय। इस धनराशि को बढ़ाने से ज्यादा बेहतर तो यह होगा कि उसी १०० करोड़ रुपये का सदुपयोग किया जाय।

अब मैं अपनी आदिवासियों की समस्याओं पर आता हूं। पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछली पंचवर्षीय योजना में जो आदिवासियों के लिये करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं उनसे आदिवासियों का विकास नहीं हुआ है अपितु विनाश ही हुआ है। यह मन्त्री जी को खूब अच्छे तरीके से ख्याल में रखना चाहिये कि जितना विकास नहीं हुआ है उससे अधिक विनाश हुआ है। अब वह कैसे हुआ यह मैं बतलाता हूं। उनका आर्थिक एक्सप्लायटेशन (शोषण) हुआ, उनका धार्मिक एक्सप्लायटेशन हुआ और उनका पोलिटिकल एक्सप्लायटेशन हुआ। तीनों तरह से उनका एक्सप्लायटेशन हुआ।

धार्मिक एक्सप्लायटेशन उनका इस तरीके से हुआ कि जितना धर्म परिवर्तन आदिवासियों का पहले नहीं होता था उतना अब ईसाई मिशनरियों द्वारा उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है . . .

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (गुड़गांव) : धर्म परिवर्तन उनका किया जा रहा है, यह दातार साहब को सुनाना चाहिये ।

श्री उइके : उनका आर्थिक एक्सप्लायटेशन इस प्रकार हुआ कि उनकी आर्थिक समस्या जंगलों पर निर्भर थी । अब जंगल का कानून सब जगह एक सा बन जाने के कारण पत्ते तोड़ लेने पर भी उनके ऊपर काफी जुर्माने हो जाते हैं । पहले उनको जंगल की उपज ढोने से आमद हो जाया करती थी लेकिन अब आपके द्वारा रोड्स बना देने से उस इलाके में वह सब ट्रकों से सामान ले जाते हैं और इस तरह बोझा ढोने से जो उनकी आमदनी होती थी वह भी अब बन्द हो गयी है । कोई भी जाकर देख सकता है कि आज उनके पास पहाड़ों में अपनी जीविका कमाने का कोई साधन बच नहीं रहा है ।

पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में करोड़ों रुपये खर्च हो गये । आदिवासी कल्याण विभाग के अन्तर्गत इस योजना को अमली रूप में परिवर्तित करना आवश्यक है ।

यह जो उनकी लूट हो रही है उस लूट को आप बन्द करें और ऐसी व्यवस्था करें ताकि उनकी हर प्रकार से जो लूट चल रही है वह बन्द हो जाय । इसके लिये आप उचित कायदा व कानून बना कर हमारे आदिवासियों की रक्षा करें ।

आदिवासियों का पोलिटिकल एक्सप्लायटेशन भी किया जा रहा है । अभी मेरे यहां बस्तर जिले में बारह आदिवासी गोली से मारे गये । यह पोलिटिकल एक्सप्लायटेशन जो उनका किया जा रहा है यह बहुत खतरनाक है ।

इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये और जल्दी ध्यान देना चाहिये । वहां स्थिति इतनी गम्भीर है कि इस समय मैं यहां बोल रहा हूं और शायद वहां दूसरी बार गोली चल गई हो । अगला इलैक्शन आ रहा है, इसलिये सारी पोलीटिकल पार्टीज़ वहां पहुंच रही हैं । यह बताया जाता है कि कि वे लोग इतने अन्ध-विश्वासी हैं कि उनको यह कह कर उकसाया गया कि पुलिस पर पिल पड़ो और यदि पुलिस वाले गोली चलायेंग, तो उन गोलियों का पानी बन जायगा । अगर तेरह साल की आज़ादी के बाद भी हमारे देश की जनता इतनी अन्ध-विश्वासी है, तो इसका अर्थ यह है कि इस सम्बन्ध में कल्याण के कामों पर करोड़ों रुपय खर्च करने से कोई लाभ नहीं हुआ । वहां की सारी सिटुए-शन बताना सम्भव नहीं है, क्योंकि वह एक लम्बी कहानी है । वहां पर तीन ज़िलों में सरकारी कर्म-चारियों और आदिवासियों के बहुत खून हुए हैं और बहुत अरेस्ट्स भी हुई हैं । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो भी पैसा यहां से सरकार दे, उस का सदुपयोग हो और सही तौर पर काम करने की योजना बने । इस तरफ विशेष ख्याल रखना चाहिय ।

इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हूं ।

सभापति महोदय (श्री झुनझुनवाला) : माननीय सदस्य बराय मेहरबानी दस मिनट में खत्म कर दें ।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर) : पन्द्रह मिनट मिलने चाहियें ।

चेयरमैन साहब, आज डेढ़ महीने से सब महकमों की कार्यवाही पर बहस हो रही है और वाद-विवाद हो रहा है । बहुत से संसद् सिनिक्स (अविश्वासी) यह कहते हैं कि हमारे यहां कुछ नहीं हुआ है । यह चीज़ एक दम से गलत है ।

श्री मो० ब० ठाकुर (पाटन) : कोई नहीं कहता है ।

श्री झुनझुनवाला : बहुत लोग कहते हैं ।

[श्री झुदझुद वाला]

हमको यह देखना है कि हम लोगों ने यहां पर तरक्की तो हर एक महकमे में कुछ न कुछ की और और भी तरक्की होने की पूरी आशा है । हमारी जो योजना बनी हुई है, वह एम्प्लायमेंट बेसिस पर नहीं बनी है, लेकिन हमारी सरकार योजना इस तरह से बना रही है, जिस से आहिस्ता आहिस्ता सब को एम्प्लायमेंट (रोजगार) मिले—पहले यहां कुछ धन इकठा हो जाय और फिर उस धन से सब को आहिस्ता आहिस्ता एम्प्लायमेंट मिले । ऐसा हमारे वित्त मन्त्री जी ने भी परसों कहा कि हमारे पास जब धन हो जायगा, तभी हम उसको लोगों में वितरण कर सकेंगे और सब लोगों को काम भी दे सकेंगे । परन्तु जो यह योजना बनी है, इससे नीचे के तबके के आदमियों को कहां तक लाभ हुआ है और योजना किस प्रकार से कामयाब हुई है, इस पर उन को विचार करना चाहिये । नीचे के तबके के आदमी एक तो हमारे गृहस्थ हैं, दूसरे जिनको कोई एम्प्लायमेंट नहीं और मिडल क्लास के लोग हैं, जिनके लिये लघु उद्योग और ग्राम-उद्योग सम्बन्धी बहुत सी योजनायें हमारे यहां बनाने की योजना की गई है । लेकिन जैसा कि हमारे प्रधान मन्त्री जी ने कई बार यहां पर कहा है, जहां तक हमारी योजना का सवाल है, वह तो ठीक है, लेकिन उसके कार्यान्वित होने में हर जगह गड़बड़ी है । मैं ससद् का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और वित्त मन्त्री जी का भी ध्यान खास कर इस ओर दिलाना चाहता हूं । कोई एक खास बात के ऊपर मैं नहीं बोलना चाहता, वाद-विवाद नहीं करना चाहता । जैसा कि मैंने शुरू में कहा है, हर महकमे पर पूर्ण रूप से वाद-विवाद हो गया है और यदि मैं कोई खास बात कहूं, तो केवल उसका जवाब दिया जा सकता है । मेरा कहना यह है कि जहां तक प्लान को कार्यान्वित करने का प्रश्न है, जहां तक इस बात का प्रश्न है कि जो रकम हम टैक्सों के द्वारा लोगों से वसूल करते हैं, वह किस तरह खर्च होती है, उस ओर मैं वित्त मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । मेरी समझ में जैसा कि हर महकमे पर हुई बहस से प्रतीत होता है, हमारे यहां बहुत ही धन का दुरुपयोग है और जो एफिशन्सी होनी चाहिये, उससे काम नहीं होता है । यह बात हर महकमे के विषय में बतलाई गई और नीचे के तबके केलोगों को हमारी सरकार जितना फ़ायदा पहुंचाना चाहती है, उतना फायदा उनके पास नहीं पहुंचता है । इसका कारण यह है कि जो हमारे कार्य करने वाले हैं, जो इस योजना को कार्यान्वित करने वाले हैं, उनकी मनोवृत्ति इस प्रकार की नहीं है । वे दूसरी ही मनोवृत्ति के हैं । अतएव मैं वित्त मन्त्री जी का ध्यान इस ओर खास तौर पर आकर्षित करता हूं ।

सभापति महोदय: अब माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करने का प्रयत्न करें ।

श्री झुनझुनवाला : तब तो मैं बैठ जाता हूं ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य दो मिनट और ले लें ।

श्री झुनझुनवाला : मैं इस ओर उनका ध्यान आकर्षित करता हूं ।

†**श्री बासप्पा** (तिपतुर) : श्री मुरारका की यह आशंका निराधार है कि जीवन बीमा निगम की आय की गणना करते समय उसमें मुनाफा नहीं देखा जाता । मैंने मालूम किया है । इस साढ़े तीन या ३ प्रतिशत में मुनाफा शामिल है ।

यदि सरकार जीवन बीमा निगम की निधियों को अपने हाथ में ले भी ले, तो भी वह अपने विनियोजन का एक भाग निजी क्षेत्र में लगा सकती है । इसका अर्थ यह भी नहीं लगाया जा सकता कि पालिसीधारियों का रुपया उद्योगपतियों को दे दिया जायगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जीवन बीमा निगम के सभापति ने स्वयं कहा है कि सरकार निगम की निधियां अपने हाथ में ले सकती है, अवश्य, पर उसे उस पर उचित ब्याज देना चाहिये ।

पता नहीं कुछ लोग समाचारपत्रों के जरिये यह प्रचार क्यों कर रहेहैं कि निगम की सारी निधियां निजी क्षेत्र को ही दी जायें ।

निगम की निधियों के विनियोजन की नीति निर्धारित करने का सर्वोच्च अधिकार इस संसद् को ही है । मूंदड़ा जैसे कांड फिर न हो जायें, इसके लिये जरूरी है कि सरकार निगम की निधियों के विनियोजन का काम अपने हाथ में ले लें ।

मेरे राज्य में भद्रावती लोहा कारखाने के लिये अधिक धन जुटाया जाना चाहिये, क्योंकि उस कारखाने से प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये का मुनाफ़ा हो रहा है ।

सभी स्वर्ण खानों से अधिकतम मात्रा में सोना प्राप्त किया जाना चाहिये । इस मामले में मैसूर सरकार के साथ न्याय होना चाहिये ।

†**श्री मुरारका** : मैं ने यह कभी नहीं कहा कि निजी क्षेत्र को अधिक दिया जाना चाहिये ।

†**सभापति महोदय** : सदस्यों को अपनी अपनी राय है ।

†**श्री झूलन सिंह** (सीवन) : सभापति महोदय, इस पार्लिमेंट की जिन्दगी में आखिरी बजट पेश हुआ है और उसी के सिलसिले में यह फाइनेंस बिल आया है । मेरा ख्याल है कि इस फाइनेंस बिल में जो नए टैक्स लगाय गए हैं, उनके विरोध में आवाज़ उठना स्वाभाविक है । कभी भी लोगों ने टैक्सों को पसन्द नहीं किया है और कभी भी खुशी खुशी इनको स्वीकार नहीं किया है । हिन्दू भारत, मुस्लिम भारत, अंग्रेज भारत और स्वराज्य भारत, किसी भी वक्त में लोगों ने टैक्सों को पसन्द नहीं किया और हमेशा ही टैक्सों के खिलाफ आवाज़ उठाई है, आपत्ति की है । मैं आपको राम राज्य की वह कथा याद कराना चाहता हूं जब रामचन्द्र जी जंगलों में गए हुए थे और भरत जी राज करत थे तो उन्होंने इस कद्र कम टैक्स लगाये कि कुछ ठिकाना ही नहीं । जितने कम टैक्स वह लगा सकते थे लगाये । बाद में जब रामचन्द्र जी वापिस जंगलों से आए और आ कर लोगों से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि भरत जी के औंधा से बचे तो जीत हैं । आज इस पार्लिमेंट में भी इन टैक्सों का विरोध किया जा रहा है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है । यह बिल्कुल स्वाभाविक है । टैक्स कभी भी आदमी को पसन्द नहीं होते । जो अनुभव मैंने अपनी छोटी सी जिन्दगी में प्राप्त किया है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि टैक्स किसी राज्य की प्रजा को कभी पसन्द नहीं आए हैं और टैक्सों के कारण कभी भी जनता बरबाद नहीं हुई है । अगर कहीं कभी लोग बरबाद हुए हैं तो उसके और कारण रहे हैं, उसकी नासमझी रही है या वे बुरी आदतें रही हैं जो उसको बरबादी की तरफ ले जाती हैं । बरी आदतों ने ही लोगों को बरबाद किया है, टैक्सों ने कभी नहीं किया है । टैक्स अदा करने से कोई तबका या कोई वर्ग बरबाद हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं ।

मैं समझता हूं कि टैक्स लेना हर सरकार का एक अप्रिय कार्य हमेशा से ही रहा है लेकिन लोगों को यह बतला दिया जाना चाहिये और उनको विश्वास दिला दिया जाना चाहिये कि टैक्स

---

†मूल अंग्रजी में

वसूल करने का ध्येय केवल मात्र वैलफयर स्टेट के आइडियल्ज़ को पूरा करना है। हमारे यहां कालिदास जी ने वैलफयर स्टेट की जो कल्पना की थी, वह इस प्रकार की थी :—

प्रजानामेव भूत्यर्थं सत्ताभ्योवल्लिमग्रहीत् ।

सहस्रगुण मुत्स्रष्ठमादत्ते हिरसंरवि : ।।

जिस तरह से सूर्य पानी को सोखता है और फिर बरसा देता है जिस से हज़ारों लाभ लोगों को होते हैं, उसी तरह से सरकार का भी यही कर्त्तव्य है कि वह लोगों से टैक्स तो ले लेकिन उनके बदले में जितना ज्यादा से ज्यादा भला लोगों का वह कर सकती है, करे।

इस पार्लिमेंट का दस वर्ष तक सदस्य रहने के बाद और भारत के विभिन्न संगठनों को देखने के बाद मेरा ख्याल है कि, सभी क्षेत्रों में सरकार के, इस बात की गुंजाइश है कि बचत की जाए, किफायतशारी की जाए। इस सदन के सामने एस्टीमेट्स कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है और बताया है कि नान-प्लान सिविल एक्सपेंडीचर जो है, वह बढ़ता चला जा रहा है और उसमें काफी इकोनोमी की गुंजाइश है। मैं चाहता हूं कि इस ओर आपका ध्यान जाए।

इन प्रारम्भिक शब्दों के साथ अब मैं अपनी ओर से कुछ बातें कहना चाहता हूं। जो बातें मेरे दिल में बैठी हुई हैं, उनको मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। मेरी यह धारणा है कि सरकार ने जो भी फूड एडलट्रेशन को रोकने के लिए कदम उठाये हैं, तथा जो भी कानून बनाये हैं, वे प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुए हैं। इस बुराई को रोकने में सरकार सर्वथा असफल रही है। मैंने यहां पर प्रश्न पूछे हैं और घम घूम कर इस चीज़ को देखा है और भिन्न भिन्न भागों से आए हुए मित्रों से बातचीत की है और मैं इन सब के आधार पर कह सकता हूं कि फूड एडलट्रेशन का मामला थोड़ा सा भी नहीं सुधरा है। मेरी राय है कि हमारी सरकार को फड एडल्ट्रेशन को रोकने का जो काम है, वह स्टेट्स के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिय और इस काम को अपने हाथ में लेना चाहिय और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो इसके लिए कोई और उपाय सोचा जाना चाहिये। फूड एडल्ट्रेशन की हालत यह हो गई है कि हम जो शाहकहारी लोग हैं हमको तो हितोपदेश की वह बात याद आ जाती है :—

शंकाभिः सर्वमाक्रान्तमन्नंपानं चमूतले ।

प्रवृत्तिः कुत्र कर्त्तव्याजीवितव्यं कथं नु वा ।।

क्या खायें, क्या पियें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें एडलट्रेशन की गुंजाइश न हो। मैं ने सुना है कि मांसाहारी लोग हैं, वे जो अंडे खाते हैं, उनमें भी कछुए के अंडे मिला दिये जाते हैं। ऐसी हालत में अगर भारत सरकार ने हिन्दुस्तान के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं की और उनके जीवन स्तर को ठीक बनाये रखने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाय और हम राजनीतिक सुधारों तथा दूसरे कामों में ही फंसे रह गए तो हिन्दुस्तान की जनता इतनी क्षीण हो जाएगी कि देश हित का कोई भी बड़ा काम करने की बात तो दूर अपना भी कोई काम नहीं कर सकेगी।

अब मैं किसानों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मैं स्वयं किसान वर्ग से आता हूं। किसानों में जागृति पैदा करने में तथा अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन में उनकी रुचि बढ़ाने में हिन्दुस्तान की सरकार ने काफी कोशिशें की हैं और यह काम काफी आगे बढ़ा भी है। मैं समझता

हूं कि एग्रिकलचरल प्रोड्यूस की अगर किसानों को ठीक वक्त पर और उचित कीमत नहीं मिलती है तो जो प्रयास हम कर रहे हैं, उनमें हमको सफलता नहीं मिल सकती है। अगर किसान का आप उत्साह नहीं बढ़ायेंगे, उसको कोई इंसैंटिव नहीं देंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपने ऐसा करने का प्रयत्न किया तो कोई वजह नहीं है कि भावी भारत की आशाओं और आकांक्षाओं को समझकर, आगे बढ़ कर इसमें योग देने के लिए वे कृत-संकल्प न हों।

हिन्दुस्तान के किसान के बारे में लोगों की यह जो धारणा है कि वह कंजर्वेटिव होता है, वह सही है। लेकिन इसके साथ ही साथ किसान बातों को सीखना चाहता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अपने अनुभव से जो वह सीखता है तथा जो बात उसकी समझ में आ जाती है, उसको वह ऐसा पकड़ता है कि वह चीज़ लायाबिलिटी नहीं बल्कि एसेट उसके लिए बन जाती है।

हिन्दुस्तान में जब से स्वराज्य हुआ है, भवन बहुत बन रहे हैं। हर साल बजट को तथा दूसरे मंत्रालयों की रिपोर्टों को देखने से पता चलता है कि करोड़ों और अरबों रुपया इस काम के लिए खर्च किया जा रहा है। हम लोगों ने घूम फिर कर इन मकानों को देखा है। उनकी जिन्दगी, उनका जीवन उतना अच्छा नहीं होता है जितना कि जो पहले के मकान बने हुए हैं, उनका है। दिल्ली के आस पास एक सौ वर्ष पहले जो मकान बने थे उनको ही आप देख लीजिये। उनमें आप कोई कमज़ोरी नहीं पायेंगे। लेकिन जहां तक हमारे मकानों का सम्बन्ध है, वे बनते बाद में हैं, मरम्मत उनकी पहले शुरू हो जाती है। बहुत जल्दी उनकी हालत खराब हो जाती है। मैं चाहता हूं कि आप इस ओर भी ध्यान दें और देखें कि जो मकान बनाये जायें वे अच्छे और मजबूत बनाये जायें।

श्री रूप नारायण (मिर्ज़ापुर–रक्षित–अनुसूचित जातियां): सभापति महोदय, वित्त विधेयक के जरिये वित्त मंत्री जी ने जो टैक्स लगाये हैं, उनसे गरीब जनता के ऊपर बहुत बड़ा भार पड़ा है। एक तरफ तो जो अमीर हैं, उनको रियायतें मिली हैं दूसरी तरफ गरीब जनता पर बहुत अधिक बोझा डाला गया है। पहले से ही चीजों के भाव बाजार में काफी बढ़े हुए थे लेकिन अब अप्रत्यक्ष कर जो लगे हैं, उनसे तो वे और भी बढ़ गए हैं जिससे हमारे देहातों की जनता की परेशानी और भी बढ़ गई है। मैं विशेषकर अपनी कंसिटिट्यूएंसी की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां इस अप्रत्यक्ष कर का काटेज इंडस्ट्री (कुटीर-उद्योगों) पर बहुत खराब असर पड़ा है। हमारे यहां कालीन की इंडस्ट्री है, जो कि शायद हमारे देश में इस चीज का सबसे बड़ा सेंटर है। इस पर जो टैक्स लगा दिया गया है उससे हमारी इस काटेज इंडस्ट्री पर बड़ा असर पड़ने जा रहा है। यहां कई बार कहा गया। वित्त मंत्री जी से भी कहा गया कि इस टैक्स से सरकार का कोई विशेष आर्थिक फायदा नहीं है क्योंकि हमारे वूल की जो कार्पेट होती है वह विशेषकर बाहर भेजी जाती है। ५ करोड़ रु० की कार्पेट्स एक्सपोर्ट होती हैं। उस एक्सपोर्ट पर हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि वे ड्रा बैक देंगे। हमारे यहां के कालीन से सिर्फ ४ लाख रु० के टैक्सों की आय होती है जिसमें ३ लाख ८० हजार रु० वे ड्रा बैक में दे देते हैं, सिर्फ २० हजार रु० का फायदा है। इस २० हजार रु० के लिये इतना बड़ा हैरेसमेंट इंडस्ट्री पर करना उचित नहीं है। इससे बहुत गड़बड़ियां पैदा हो सकती हैं। इसलिये मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि किसी तरह से वूल पर जो टैक्स लगाया गया है, जो कि खास तरह के वूल (ऊन) पर लगता है और काटेज इंडस्ट्री के काम में आता है, उस पर से इसको माफ कर दिया जाय।

सिल्क पर भी टैक्स लगाया गया है और मेटल पर भी जो कि बनारस और मिर्जापुर में विशेष इंडस्ट्री हैं। सिल्क से फैंसी साड़ियां बहुत अच्छी बनती हैं और यह बड़ी अच्छी

[श्री रूप नारायण]

इंडस्ट्री है। इस पर टैक्स लगने के कारण वहां के लोगों को बहुत परेशानी है। मेटल का काम भी वहां बहुत अच्छा होता है। यह एक ही सहारा है मजदूरों के लिये और गरीबों के लिये। इस इंडस्ट्री में बनारस और मिर्जापुर में बहुत से मजदूर लग जाते हैं। इन पर भी टैक्स लगा दिया गया है। इससे यह इंडस्ट्रीज बहुत खराब होने जा रही हैं। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वूल के साथ कम से कम मेटल और सिल्क पर जो टैक्स लगाया गया है वह उसको भी माफ करें।

फिर केरासिन आयल (मिटटी का तेल) पर टैक्स लगा दिया गया है। हम लोग जब अपनी कांस्टिटुएन्सी में जाते हैं तो देखते हैं कि रिहन्द डैम बन रहा है और उससे बिजली पैदा होने वाली है। हमने गांव गांव में जाकर लोगों से कहा कि उनको रोशनी मिलेगी और दूसरे कामों के लिये बिजली मिलेगी। अब रिहन्द डैम बन कर तैयार हो रहा है लेकिन उसकी बिजली बिड़ला जी की अल्यूमिनियम फैक्ट्री को दे दी गई। इस चीज का जवाब मैं गांव वालों को नहीं दे सकता हूं। केरासिन आयल यानी मिटटी का तेल जो लोगों को मिलता था, उस पर भी आपने टैक्स लगा दिया। इसके लिये मैं लोगों को जाकर क्या जवाब दूंगा। आपने उनके घर में भी जा कर अन्धकार कर दिया। उनको मिट्टी के तेल के नाम पर जो सफेद मिट्टी का तेल मिला करता था उस पर टैक्स लगाया गया है। हम गांवों में जाकर देखते हैं कि सफेद मिट्टी का तेल ही चलता है। उनको क्या मालूम कि लाल मिट्टी का तेल क्या है और सफेद तेल क्या है। सीधी बात है कि उनको जो कुछ मिलता है उसी को वे जलाते हैं। इस तरह आप हर तरह से उनको परेशान कर रहे हैं और दूसरी तरफ जिन पर डाइरेक्ट टैक्स लगाना चाहिये उनको आप राहत दे रहे हैं।

श्री मोरारजी देसाई : किसी को नहीं दिया है।

श्री रूप नारायण : डाइरेक्ट टैक्स (प्रत्यक्ष कर) आपने कहां लगाया है?

इसके बाद मैं कुछ अपनी कांस्टिटुएन्सी के बारे में कहना चाहता हूं। बहुत दिनों से हमारे मिर्जापुर की मांग है कि गंगा पर पुल बनाया जाय। कई मंत्री सेन्टर के और स्टेट के वहां जाकर लोगों से कह आये, आश्वासन दे आये कि गंगा पर मिर्जापुर में पुल बनेगा। लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट से कहा जाता है तो वे कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कहो कि हमको पैसा दे, और सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा जाता है तो वे कहते हैं कि हम ने पैसा दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट से कहो कि वे इसको बनायें। इस ढंग से हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कौन पुल बनायेगा और कैसे वह बनेगा। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सेंटर जो पैसा दे वह खास तौर से मिर्जापुर में गंगा नदी पर पुल बनाने के लिये जाये ताकि स्टेट गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदारी समझे और उस पुल को बनाये।

इसके बाद मैं कुछ हरिजनों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जैसा यहां पर पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा, हरिजनों के विषय में दरअस्ल जो ठोस काम होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। हमने कई बार इस हाउस में कहा सबको आराम दिया जाता है, और दिया जाना चाहिये, रिफ्यूजियों को भी दिया जाना चाहिये। जो मजदूर हैं उनको बसाने के लिये मकान बनाये जाते हैं, लेकिन हरिजनों की आज हालत यह है कि उनको झोपड़ी रखने के लिये भी जमीन नहीं दी जाती है। हरिजनों के लिये यह बड़ा भारी काम होगा यदि सरकार यह फैसला कर ले कि प्रत्येक हरिजन परिवार को जिसके पास जमीन नहीं है, कम से कम आधा एकड़ जमीन रहने के लिये देगी क्योंकि आज कल वे दूसरों की जमीनों में रहते हैं और इससे उनको बड़ी परेशानी है।

दूसरी चीज उन्होंने दस वर्ष के रिजर्वेशन के विषय में कही कि इस तरह से हरिजनों और शेडयूल्ड कास्ट्स में कास्ट्स की भावना को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं दावे से कहना चाहता हूं कि जो प्राविंशलिज्म और कास्टीज्म कम्यूनिलज्म पैदा हुआ है वह हरिजनों में नहीं पैदा हो रहा है, दूसरे लोगों में पैदा हो रहा है। आज हरिजनों के अपलिफ्ट के लिये जो लोग काम कर रहे हैं उनमें भी कास्टीज्म और प्राविंशलिज्म नहीं है, बल्कि जब भी हरिजन लोग अपने करीब के आदमी के बराबर आने की कोशिश करते हैं तो लोग उनसे कहते हैं, हरिजन, हरिजन, । मैं कहता हूं कि जब भी वे लोग दूसरों से बराबरी का दावा करते हैं तो उन पर मार पड़ने लगती है। आप गांवों में जाकर देखिये, वे लोग वहां पर सिर ऊंचा करके चल नहीं सकते हैं, पानी नहीं पी सकते हैं, खाना नहीं खा सकते हैं । जब भी वे बराबरी का दावा करते हैं, उनपर मार पड़ती है, उनके घर जलाये जाते हैं । इसलिये हरिजनों को जो थोड़ा सा प्रिविलेज दिया जाता है उससे यह कमी नहीं समझना चाहिये कि देश में उससे कास्टीज्म और प्राविंशलिज्म आ जायेगा। आज आप हर एक स्टेट में जाकर देखिये कि क्या हो रहा है, जबलपुर, में क्या हो रहा है, और जगहों में क्या हो रहा है? क्या यह सब हरिजन करते हैं? आज जो लोग हरिजन नहीं हैं वे लोग कम्यूनलिज्म पैदा कर रहे हैं। इसलिये मैं सरकार से और हाउस से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों का ध्यान न कर के हरिजनों के फायदे के लिये ज्यादा से ज्यादा रुपया दिया जाय।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : वित्त विधेयक सम्बन्धी चर्चा का क्षेत्र इतना व्यापक होता है कि माननीय सदस्यगण हर विषय का उल्लेख कर सकते हैं। मैं सभी विषयों को तो ले नहीं सकता, इसलिये उनमें से कुछ मुख्य विषयों को ही लेता हूं :

कराधान के प्रश्न पर बार-बार कहा गया है कि अप्रत्यक्ष कराधान हानिकारक होता है और हमारे देश में उसकी अति की जा रही है। यह भी कि प्रत्यक्ष करों का उचित ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है।

मैं इसके सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण कई बार सभा के सामने रख चुका हूं। स्पष्टीकरण के लिये मैं उसे दोहराता हूं।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में सरकार की कराधान-नीति की रूपरेखा पेश की गई है। स्पष्ट कहा गया है कि योजना के लिये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार का कराधान आवश्यक होगा और सरकारी उपक्रमों का अतिरिक्त उत्पादन भी बढ़ाना अत्यावश्यक होगा। आयकर और निगम करों से मिलने वाले राजस्व में भी वृद्धि की जायेगी, लेकिन कर बढ़ाकर नहीं, बल्कि कर प्रशासन में मितव्ययता करके । अप्रत्यक्ष कर भी बढ़ेंगे और सरकारी उपक्रमों के उत्पादों के मूल्य भी। इससे मूल्यों और लागत दोनों में वृद्धि होगी। योजना के लिये समझ-बूझ कर इतना आत्म-त्याग करना पड़ेगा। इसलिये यह कहना बिल्कुल भ्रांतिपूर्ण है कि यह वित्त विधेयक एक ऐसे व्यक्ति ने रखा है जो देशी और विदेशी एकाधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है। मैं सरकारी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। सभा ने इस दृष्टिकोण को स्वीकार भी किया है।

यह सभा समूचे देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिये इस सभा के निर्णय को चुनौती देने वाला देश का नागरिक रहने का अधिकारी नहीं है। इस सभा का निर्णय तो अनिवार्यतः सभी के लिये मान्य होना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

यह दृष्टिकोण गांधीवाद से भी पूरी तरह मेल खाता है। लेकिन यह स्थान उसकी चर्चा का नहीं है।

हमने इस आय व्यय क में समवायों के व्यय को सीमित करने की चेष्टा की है। हमने उच्च स्तरीय आयों पर कर बढ़ाया है। लेकिन इन सभी प्रस्तावों का ठीक ठीक लेखा-जोखा पांच वर्ष के बाद ही किया जा सकेगा। मैं एक ही वर्ष के आय-व्ययक में पांच वर्ष का आय-व्ययक तो नहीं रख सकता। योजना के पूरे काल में कराधान के सभी संसाधनों का क्रमशः उपयोग किया जायेगा। देश की वित्तीय नीति इसी तरह बनाई जाती है।

माननीय सदस्यों को यह बुनियादी चीज ध्यान में रखनी चाहिये कि इस वर्ष जो अप्रत्यक्ष कर लगाये गये हैं, वे सभी देश की अत्यंत निर्धन जनता पर नहीं पड़ेंगे। हां, उसका कुछ भार तो उनको अवश्य उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनको बिल्कुल ही अछूता रखा जाये यह तो संभव नहीं।

मैं इतना जरूर कहता हूं कि अधिकांश भार ऐसे ही लोगों पर पड़ रहा है जो उसे उठाने की सामर्थ्य रखते हैं। मूल्यों की संभावित वृद्धि देखकर इसकी सचाई जानी जा सकती है।

इस आय-व्ययक के प्रस्तावों में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से प्रभावित होनेवाली ३१ मदों में से १८ पर ही नये उपकर लगाये हैं। आर्थिक परामर्शदाता के थोक मूल्यों के देशनांक में इन १८ मदों का भाग १७ प्रतिशत बैठता है। और, इन मदों से होने वाली आय केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों से प्राप्त अनुमित अतिरिक्त राजस्व की ८८ प्रतिशत होगी। यदि इन नये उपकरों और मौजूदा शुल्कों की वृद्धि को भी थोक मूल्यों में जोड़ दिया जाये तो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में प्रस्तावित इन परिवर्तनों के फलस्वरूप सभी वस्तुओं का देशनांक पिछले वर्ष के, आय-व्ययक से पूर्व के, १२६.४ के स्तर से ०.४ प्रतिशत ही और बढ़ेगा।

इसलिये यह सोचना ग़लत है कि मूल्य स्तर में कोई बहुत अधिक वृद्धि हो जायेगी। जो भी हो, ऐसा तो कोई कर होता ही नहीं जिस पर किसी को भी कोई आपत्ति न हो। सभी चाहते हैं कि बस उन पर कर न लगाया जाये। यह तो अपनी-अपनी दृष्टि की बात होती है। यदि सभी आपत्तियां उचित मानी जायें, तो फिर किसी पर कोई कर नहीं लगाया जाना चाहिये।

आयात शुल्कों का प्रत्यक्ष प्रभाव थोक मूल्यों के देशनांक में सम्मिलित केवल सात मदों पर पड़ता है। उस के फलस्वरूप, आय-व्ययक से पूर्व स्तर के सभी वस्तुओं के देशनांक में ०.०६ प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं होनी चाहिये। इस प्रकार, केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों और आयात शुल्कों दोनों की वृद्धि के फलस्वरूप थोक मूल्यों में ०.४६ प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं होगी।

हम इनके प्रभाव का अनुमान पहले से लगा लेते हैं। आय व्ययक प्रस्ताव तैयार करते समय हम यह देख लेते हैं। लेकिन बिल्कुल ठीक, सोलहों आने ठीक हिसाब तो नहीं लगाया जा सकता। यदि उन के संबंध में ज्यादा जांच-पड़ताल करने लगें, तो हमारे आय-व्ययक प्रस्ताव गोपनीय नहीं रह पायेंगे। हम उपभोक्ता मूल्यों की भी जांच करते हैं। हमने जांच कर के देखा है कि कुछ औद्योगिक केन्द्रों—जैसे बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास, और दिल्ली—में मजदूर वर्ग के लिये उपभोक्ता मल्यों के देशनांकों में अनुमित वृद्धि

इस प्रकार हुई है : बम्बई में ०.४ प्रतिशत, कलकत्ता में ०.३ प्रतिशत , मद्रास में ०.२ प्रतिशत, दिल्ली में ०.२ प्रतिशत और कानपुर में ०.४ प्रतिशत तक। फिर भी माननीय सदस्य कहते हैं कि इसका सारी ग़रीब जनता पर प्रभाव पड़ेगा । यदि इस तरह न चलाया जाये तो देश में कोई भी कर नहीं लगाये जा सकेंगे और कोई भी प्रगति नहीं होगी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** वास्तविक मूल्य कितना है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** पहली कुछ वृद्धि के बाद वास्तविक मूल्य भी अब कुछ नीचे स्थिर हो गये हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आय-व्ययक पेश होने के हाल ही पहले मूल्यों में वृद्धि न हो पाये, और यदि आवश्यकता पड़ी तो हम उसे रोकने के कुछ उपाय निकालेंगे। मैं पूरी गम्भीरता से इसका प्रयास करूंगा । माननीय सदस्यगण भी इस संबन्ध में अपने सुझाव मुझे देते रहें ।

मैं ने राज्य सभा में जब कहा था कि समाज को स्वयं इसे रोकना चाहिये। इस पर कम्युनिस्ट दल के नेता ने कहा था कि इस तरह की बातों से समाज में अव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। विचित्र सी बात है । माननीय सदस्य का दिमाग गैर-कानूनी तरीकों की तरफ़ ही दौड़ता है । इसीलिये वह हर कथन को अपने ढंग से तोड़-मरोड़ लेते हैं ।

मैं कैसे कह सकता हूं कि लोग कानून अपने हाथ में लेकर अव्यवस्था फैलायें ? मेरा मंशा था कि समाज को, जनता को सहकारी स्टोरों और लोकमत को संगठित कर के ऐसा एक वातावरण देश में तैयार करना चाहिये कि आय-व्ययक पेश होने के हाल ही पहले वे बढ़े हुए मूल्यों पर दूकानों से चीजें न खरीदें। लोक तंत्र का विकास भी तभी हो सकेगा जब जनता में इतना साहस आ जाये और लोकमत इतना प्रभावशाली बन जाये ।

मैं इसीलिये अपने हर कथन का स्पष्टीकरण करता चलता हूं कि बाद में कहीं कुछ लोग उसे तोड़-मरोड़ कर पेश न करने लगें, और अव्यवस्था फैलाने का दोष मुझ पर ही न रखने लगें ।

यह भी कहा गया है कि मैं ने उद्योगपतियों और एकाधिकारियों को प्रत्यक्ष करों के रूप में रियायतें दी हैं। प्रत्यक्ष करों के रूप में वहीं रियायतें दी गई हैं जहां अधिक बड़े पैमाने के उत्पादन या देश के विकास का कोई लाभ होता हो । मैं ने कोई भी अवांछनीय रियायत नहीं दी । एक माननीय सदस्य ने कहा कि मैं विदेशी एकाधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता हूं। लेकिन वह बतायें कि किन विदेशी एकाधिकारियों का ? मुझे तो अपने देश में कोई एकाधिकारी दिखाई नहीं देता। हम एकाधिकारियों को प्रोत्साहन भी नहीं देना चाहते। कुछ धनी लोग जरूर हैं, और उन पर हम ने कर लगाये हैं। हम उनकी सारी सम्पत्ति एक ही बार में अपने अधिकार में कर भी लें, तो फिर अगले वर्ष क्या करेंगे ? सरकार चलाने का खर्च कहां से आयेगा । हमें कोई राजस्व ही नहीं मिलेगा । इसलिये उनको अधिक कमाई करने दी जाये और साथ ही अधिक रशि कर के रूप में अदा करने दी जाये । कराधान एक साधन है बचत करने का ।

एक ओर कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि हम ने अप्रत्यक्ष करों में अति कर दी है और दूसरी ओर श्री मसानी कहते हैं कि प्रत्यक्ष करों में अति की जा रही है । इस से सिद्ध होता है कि हम किसी में भी अति नहीं कर रहे हैं, ठीक नीति पर चल रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

श्री मसानी बड़े विचारशील व्यक्ति हैं, और अपने आप को बड़ा अर्थ शास्त्री मानते हैं। मैं अपने को नहीं मानता ।

यदि श्री मसानी अपने आप को बड़ा अर्थशास्त्री नहीं मानते , केवल अर्थशास्त्र का एक विद्यार्थी मानते हैं, तो फिर हम दोनों का स्तर एक ही है । लेकिन उन को इस पर विचार करना चाहिये कि पाश्चात्य देशों में एक करोड़ या एक लाख की आमदनी और भारत में उतनी ही राशि की आमदनी में एक बड़ा अन्तर है। वहां न्यूनतम प्रतिव्यक्ति की आय के हिसाब से वह १५ लाख रुपये के ही बाराबर बैठेगा ।

†श्री मी० रू० मसानी (रांचीपूर्व) : क्रय-शक्ति में नहीं ।

श्री मोरारजी देसाई : क्रय-शक्ति के मामले में तो वह और भी ज्यादा सही है। इसलिये यह कहना गलत है कि पाश्चात्य देशों के समान ही हमारे देश में प्रतिशतता होनी चाहिये । इसलिये हम प्रत्यक्ष करों में अति नहीं कर रहे हैं। यह सिद्ध है । स्पष्ट है कि हम जब भी गुंजाइश देखेंगे प्रत्यक्ष करों के संसाधनों का उपयोग बेहिचक करेंगे। हम उस में पीछे नहीं हटगे ।

फिर अन्य देशों में भी बहुत अधिक बिक्री कर और उत्पादन शुल्क हैं और वे लोग विलास वस्तुओं के लिए अप्रत्यक्षत: बहुत अधिक भुगतान करते हैं। परन्तु यह भी उत्पादन-शुल्क का भुगतान गरीब लोगों द्वारा नहीं वरन् इन्हीं लोगों द्वारा किया जाता हैं क्योंकि हमने गरीब लोगों को प्रभावित करने वाली वस्तुओं को छूट दे दी है ।

निस्संदेह मैं यह नहीं कह सकता कि मिट्टी के तेल पर शुल्क का गरीब लोगों पर असर नहीं पड़ता, परन्तु मिट्टी का तेल सर्वथा भिन्न श्रेणी में आता है । उस पर हमें बहुत अधिक विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ती है । इसलिए हमें यह देखना होता है कि हम लोगों की आवश्यकतानुसार अधिकतम विदेशी मुद्रा की बचत कर सकें । इसीलिए हम ने केवल शुद्ध (बढ़िया किस्म के) मिट्टी के तेल पर कर बढ़ाया है, घटिया किस्म के तेल पर नहीं ।

फिर यह कहा गया कि घटिया किस्म का मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं है । मैं इसे स्वीकार करता हूं और इसलिये मैं ने इस विधेयक का विचार प्रस्ताव पेश करते हुए यह कहा था कि हम घटिया मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने का प्रयत्न कर रहे हैं और उसका अधिकाधिक आयात किया जा रहा हैं ताकि हमें कम विदेशी मुद्रा देनी पड़े और लोगों को भी नुकसान न हो और इस संबंध में अधिक कर नहीं देना होगा ।

इसलिए आप देखेंगे कि यह केवल राजस्व इकट्ठा करने का उपाय नहीं है वरन् देश के वित्त के लिए संरक्षण उपाय ही अधिक है ताकि हम भविष्य में अधिक अच्छी तरह खर्च कर सकें । फिर जो रियायतें मैं ने दी हैं वे इसी विचार से दी गई हैं कि लोगों को परेशानी न हो और उन्हें ऐसी सुविधायें दी जायें कि वे अधिक अच्छा कार्य कर सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

फिर मैं ने चार करघों वाले एककों को जो छूट दी उस के संबध में श्री गोरे की यह बात सुन कर मुझे बहुत दुख हुआ कि यह रियायत सूरत के लोगों के लाभ की दृष्टि से दी गई है जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है । एक अन्य माननीय सदस्य ने भी यही बात कही थी । जो लोग मुझ से मिलने आए थे उन से तो मैं ने यह कह दिया था कि "यदि आप इस तरह की बात करेंगे तो मैं आप से आगे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हूं।" परन्तु वही बात मैं यहां अपने माननीय मित्र से नहीं कह सकता हूं । मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि वह जो कुछ कह रहे हैं वह ठीक नहीं है । ये एक पारी काम करने वाले चार करघों के एकक केवल सूरत नगर में ही नहीं है । इस संबंध में १९५९ में एक सर्वेक्षण किया गया था और मैं तभी से यह प्रयत्न कर रहा हूं कि शक्ति चालित करघों को दी गई रियायतों के अनुचित उपयोग को बन्द किया जाये । मैं ने १९५९ में ही इस दिशा में कार्य-वाही करना आरम्भ कर दिया था और इस वर्ष वह कार्य पूरा हो सका है । अब ये शक्ति चालित करघों के लोग यह कह रहे हैं कि उन्हें तीन पारियों के लिए छूट दी जानी चाहिए। परन्तु इन्हीं लोगों ने सब से अधिक गड़बड़ की थी। उन्होंने बड़े एककों को चार करघों के एककों में विभाजित कर के तीन पारियों के लिए छूट प्राप्त कर ली थी। परन्तु कोई भी वास्तविक परिवार अपने घर में चार करघों की तीन पारियां नहीं चला सकता है । चार करघे चलाने वाला वास्तविक परिवार भी दुर्लभ है। एक घर में दो करघे ही चलाए जा सकते हैं। उस से अधिक कोई नहीं कर सकता है । अन्य लोग जो मजदूर रखते हैं, मालिक जुलाहे हैं और वे मालिक जुलाहे ही इस प्रकार से उन रियायतों का पूरा-पूरा लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

इसलिए इसे खत्म करना आवश्यक था। परन्तु मैं ने जो जांच की उस में मालूम हुआ कि पूना केन्द्रीय एक्साइज कलक्ट्रेट में ४४ एकक तीन शक्ति चालित करघों के हैं जो एक पारी चलते हैं और ३८ एकक चार विद्युत् चालित करघों के हैं जिन में एक पारी में काम होता है। मैसूर में ऐसे ३६ और १५२ एकक थे। दूसरी ओर बड़ौदा कलक्ट्रेट में, जिस में सूरत भी सम्मिलित है, ऐसे केवल ७ और ५० एकक थे। ये आंकड़े सूती कपड़ा में बुनने वाले शक्ति चालित करघों के हैं।

जहां तक कृत्रिम रेशम का सम्बन्ध है, मैसूर में १२१ एकक तीन करघों के थे जिन में केवल एक पारी होती है और १९४ एकक चार करघों के थे जिनमें एक पारी होती है । बड़ौदा में ऐसे १६ और २१६ एकक थे। यदि हम समस्त देश के आंकड़े लें तो बड़ौदा कलक्ट्रेट में एक पारी चलने वाले ३ और ४ करघों के ५७ एकक थे जबकि समस्त कलक्ट्रेटों के एककों की संख्या ४१६ थी । इस प्रकार सूरत में ऐसे १४ प्रतिशत से भी कम एकक थे । अतः आप देखेंगे कि यह रियायत केवल अथवा मुख्यतः सूरत को ही नहीं दी गई थी । यदि सूरत को कोई लाभ प्राप्त होता है तो क्या इसका मतलब यह है कि अपना निर्वाचन क्षेत्र होने के कारण मैं उसे उससे वंचित कर दूं ऐसा करना भी ठीक नहीं होगा। ईमानदारी यही है कि सबको समान लाभ प्राप्त हो और किसी का अधिक नुकसान न हो। इसलिये यह गुजराती–महाराष्ट्रीय के भेदभाव की बात गलत है जिसका संकेत उनके दल के आदमियों ने किया था। मैं समझता हूं कि सभा में इस प्रकार की बातें कहना बहुत अनुचित है। इसलिये मैं माननीय मित्र से यह अनुरोध करूंगा कि वह अपने दिमाग से यह बात निकाल दें कि यह रियायत किसी केन्द्र विशेष के हित की दृष्टि से दी गई है।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी बता दूं कि इन चार करघों के एककों के लिये प्रार्थना सूरत से ही नहीं आई थी वरन अन्य पक्षों से भी आई थी। इस प्रकार यह कवल सूरत की ही प्रार्थना पर नहीं

[श्री मोरारजी देसाई]

किया गया । मैं इस समस्या के अध्ययन का प्रयत्न करता रहा हूं और मेरा विचार है कि इसका समाधान केवल इसी तरीके से किया जा सकता है ।

श्री मुरारका ने कहा कि रियायत कम की जा रही है । पता नहीं उन्होंने ऐसी बात कैसे कही । यह तो कहा जा सकता है कि यह रियायत उतनी नहीं है जितनी कि अपेक्षित है । मैंने अधिक रियायत देने का प्रयत्न किया है क्योंकि हमने जो रियायतें दी थीं उन में केवल दो करघों के एकक सम्मिलित थे । दो करघों के एककों को पूरी छूट थी । परन्तु अब चार करघों के एककों को छूट दी जा रही है जिन्हें पहले कोई रियायत नहीं प्राप्त थी और वे केवल एक पारी में चलते हैं ।

श्री खाडिलकर ने वैधानिक आपत्ति उठाने का प्रयत्न किया । वह वैधानिक खामियां निकालने के शौकीन हैं, यद्यपि आजकल वह ऐसा कम कर रहे हैं । जहां तक उसका सम्बन्ध है, पुरानी आदतें शीघ्र नहीं छूटती हैं इसीलिये अब वह पुनः उभर आई हैं । मेरे विचार से इसमें कोई वैधानिक आपत्ति नहीं हो सकती है । सरकार वर्गवार कर लगा सकती है । इस वर्ग में एक पारी काम करने वाले चार करघों के एकक हैं । इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है । हमने कानूनी सलाह लेकर ही वैसा किया है । इसके अतिरिक्त ऐसा पहले भी होता आया है और पहली ही बार नहीं किया गया है । इसलिये म इस मामले में कोई रियायत देने के लिये तैयार नहीं हूं । यदि कोई रियायत वांछनीय है तो मैं उसे देने के लिये तैयार हूं । बाद में भी यदि मैं उसकी आवश्यकता को ठीक समझूंगा तो वैसा करने के लिये तैयार रहूंगा । सरकार और वित्त मंत्री का कार्य केवल धन लेना ही नहीं है वरन् यह देखना भी है कि धन उन्हीं से लिया जाये जो देने में समर्थ हों । यही नहीं हमारा यह भी कर्त्तव्य है कि हम उनकी सहायता करें ताकि वे अधिक अर्जन कर सकें और यदि कहीं रियायतों की आवश्यकता हो तो वे बिना मांगे ही दी जायें । यदि मैं रियायत की आवश्यकता महसूस कर लूंगा तो उसके लिये प्रार्थनापत्र आने की प्रतीक्षा नहीं करूंगा ।

†**श्री गोरे** (पूना) : क्या दिन में तीन पारी काम करने वाले ४ विद्युत चालित करघों के एककों पर लगाया गया कर उचित है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : यदि वे लोग यह समझते हैं कि यह उनके लिये लाभप्रद नहीं है तो उन्हें एक पारी ही चलानी चाहिये और तब उन्हें कोई कर नहीं देना पड़ेगा वे ऐसा क्यों नहीं कर रहेहैं ? (**अन्तर्बाधा**) तब वह एक पारिवारिक मामला होगा, मालिक जुलाहों का नहीं । माननीय सदस्य मालिक जुलाहों का हित चाहते हैं अथवा जुलाहों का मालिक जुलाहे हथ करघा उद्योग के लिये घातक हैं । इसलिये मालिक जुलाहों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये । मालिक जुलाहे दी गई समस्त सुविधाओं का लाभ उठा रहेहैं । इसलिये हमें इस मामले में वास्तविक हथकरघा जुलाहों की रक्षा करनी है । यही प्रयत्न मैंने इन कराधान प्रस्तावों में किया है ।

इसके बाद मैं जीवन बीमा निगम की लगाई जाने वाली पूंजी के प्रश्न को लूंगा जिसके बारे में प्राक्कलन समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं । मेरा निवेदन है कि यह सरकार प्राक्कलन समिति की बातों का बहुत सम्मान करती है । परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार उसकी प्रत्येक सिफारिश को स्वीकार कर सकती है क्योंकि अन्ततः सरकार को ही यह देखना होता है कि प्रत्येक सुझाव की समुचित जांच की जाये और यदि वह जनता के लिये लाभप्रद हो तो उसे स्वीकार किया जाये और यदि लाभप्रद न हो तो उसे स्वीकार न किया जाये । यह मामला इतना साधारण नहीं है । समस्त सिफारिशों पर भली प्रकार विचार किया जायेगा । परन्तु वे ऐसी हैं कि उनको

†मूल अंग्रेजी में

सहज ही नहीं निपटाया जा सकता है। हमें उसके समस्त पहलुओं पर विचार करना है, इसलिये मैं अभी कोई राय उस पर नहीं दूंगा।

परन्तु उस पूंजी के कहीं ले जाये जाने का कोई प्रश्न नहीं है। जीवन बीमा निगम सभा द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार ही विनियोजन करता है। उस नीति पर यहां चर्चा हुई थी और यदि आवश्यक हो तो हम उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। परन्तु गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में भी कुछ विनियोजन किया जाना आवश्यक है जैसा कि पहले किया जाता था क्यों कि मेरे पूर्वाधिकारी ने राष्ट्रीयकरण का विधेयक उपस्थित करते समय वैसा आश्वासन दिया था। यह ठीक है कि उसमें कोई भी परिवर्तन कर सकती है परन्तु वैसा भलीभांति सोच विचार कर के ही किया जाना चाहिये। अन्यथा वह बुद्धिमानी नहीं होगी। इसलिये हमें अच्छी तरह विचार करना चाहिये। इसके समस्त पहलुओं पर विचार किया जायेगा और जब तक कोई प्रतिकूल निर्णय सरकार नहीं कर लेगी तब तक वर्तमान नीति ही कायम रहेगी।

फिर मेरे केरल के मित्र ने कहा कि उस राज्य की उपेक्षा की जा रही है। यदि यह बात अपने दल के चुनाव प्रचार के लिये कही गई है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि केरल की समस्त बुराइयों की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय पर है। इसका मतलब यह है कि वह मुझे यहां से हटाना चाहते हैं। परन्तु मुझे हटाने से उनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि दूसरा व्यक्ति भी उनकी नीति का पालन करने वाला नहीं होगा। इसलिये व्यक्तिगत द्वेष रखना व्यर्थ है।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन:** यदि आपको हटाने से बैंक खुल सकें तो मैं आपका हटाया जाना ही अधिक पसंद करूंगा।

†**श्री मोरारजी देसाई :** यदि बैंक खोले जायेंगे तो वे परिसमापित हो जायेंगे और संभवत: माननीय सदस्य चाहते भी यही हैं। जहां तक बैंकों का सम्बन्ध है, पलाई बैंक के बारे में मैं सभा को पूरा मामला समझा चुका हूं। मैं गलती कर सकता हूं और रिजर्व बैंक भी गलती कर सकता है। परन्तु यह मामला तो उच्च न्यायालय तक जा चुका है और उसने यह मत व्यक्त किया है कि रिजर्व बैंक की कार्यवाही उचित सही है और परिसमापन के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता था ही नहीं। इसलिये जब वे तर्क गलत सिद्ध हो चुके हैं तो उन की पुनरावृत्ति व्यर्थ है। यदि पलाई बैंक को कायम रखा जा सकता तो मैं नैतिकता की सीमा के अन्दर प्रत्येक बात के लिये तैयार था। परन्तु वैसा संभव नहीं था और उस को कायम रखने से समस्त देश का बहुत नुक्सान होता। इसी कारण उसका परिसमापन किया गया। अब हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि भुगतान शीघ्र हो जायें। परिसमापक पदाधिकारी कमीशन पर काम नहीं कर रहा है इसलिये परिसमापन व्यय न्यूनतम होगा और अधिकतम राशि वसूल करके उन्हें भुगतान किया जायेगा।

यह पूछा गया कि डायरेक्टरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है? वह कार्य अभी प्रारंभ ही हुआ है। समस्त लेखाओं की जांच की जानी है और यदि डायरेक्टरों की गलती निकलेगी तो उनके विरुद्ध कार्यवाही अवश्य ही की जायेगी। परन्तु किसी व्यक्ति के विरुद्ध केवल इसलिए कार्यवाही नहीं की जा सकती कि माननीय सदस्य वैसा चाहते हैं। हम न्याय करेंगे और उसमें कुछ समय अवश्य लगेगा। प्रजातांत्रिक उपाय मन्द भले ही हो परन्तु है उचित। दूसरा उपाय तेज होते हुए भी विनाशकारी है। इसलिए हम उसे नहीं अपना सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : उन पांच बैंकों के बारे में क्या स्थिति है जो अभी तक बन्द हैं ?

†श्री मोरारजी देसाई : मैं समझता था कि वही तर्क उन पर भी लागू होगा और माननीय सदस्य को उसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परन्तु यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं उनके बारे में भी स्पष्टीकरण किए देता हूँ। उन पांच बैंकों को उन्हीं की प्रार्थना पर शोध विलम्ब-काल दिया गया है। उन्होंने उसकी प्रार्थना इसलिए की थी कि वे बहुत कठिनाई में पड़ गए थे। जाहिर है कि उनमें कुछ गड़बड़ रहीं होगी इसलिए उनको जांच करानी पड़ी। अब उनको अन्य बैंकों के साथ मिला दिया जाएगा परन्तु अन्य बैंकों को इसके लिए तैयार होना चाहिए। मैं इसके लिए प्रयत्न कर रहा हूं। परन्तु ऐसा करते समय भी हमें बड़े बैंकों की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। इन सब कार्यों में यथासंभव शीघ्रता की जा रही है और मुझे विश्वास है कि वह यथाशीघ्र हो जायेगा। यदि माननीय सदस्य कोई बाधा न पेश करें तो वह और भी शीघ्र हो सकता है। परन्तु यदि वे अपना वर्तमान रवैया जारी रखेंगे तो उसमें और भी अधिक देर लगेगी और इसकी जिम्मेदारी उन्हीं पर होगी।

फिर माननीय सदस्य ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने उन्हें विदेशी मुद्रा नहीं दी। यह बात भी सही नहीं है और संभवतः उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, केवल एक जलविद्युत परियोजना के संबंध में विद्युत संयंत्रों के ब्रिटेन, अमरीका अथवा जर्मनी से आयात के लिए निर्बाध विदेशी मुद्रा मांगी गई थी। परन्तु अभी हमारे पास वह नहीं है। अतः हमने उनसे कहा कि आप उनकी खरीद यूगोस्लाविया से क्यों नहीं कर लेते जहां वे हमको रुपए से ही मिल सकते हैं? परन्तु वे अन्यत्र से खरीदने पर ही कटिबद्ध थे। ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? फिर भी हमने केरल की भरसक सहायता की है। माननीय सदस्य कहते हैं केरल में केवल ७४ लाख रुपए विनियोजित किए गए हैं। परन्तु वह यह भूल जाते हैं कि केरल को प्रतिवर्ष अनुदान भी दिए गए हैं और वे आगे भी जारी रखे जाएंगे। वित्त आयोग मौजूद है और हमने यथाशक्ति सहायता दी है।

जहां तक नावांगण का संबंध है, माननीय सदस्य ने कहा कि वह एक वर्ष में नहीं बन सका। वह कार्य एक वर्ष में कैसे संभव है? हमें यह भी महसूस करना चाहिए कि हमारा अभी जो एक नावागण है उसी का संचालन भली प्रकार करने में हमें कठिनाई हो रही है। हम धीरे-धीरे अनुभव प्राप्त कर रहे है और शीघ्रता करने से नुकसान होने का डर रहेगा। इसीलिए हम इसे धीरे-धीरे कर रहे हैं,। परन्तु उसमें दस वर्ष नहीं लगेंगे जैसा कि माननीय सदस्य सोचते हैं। यही नहीं, पहले यह भी कहा गया था कि मैंने उसे रोक दिया है और उसे गुजरात ले जा रहा हूँ। पता नहीं इस प्रकार की बातें क्यों उड़ाई जाती हैं।

फिर वेतन आयोग संबंधी प्रश्न आता है जिसे श्री स० मो० बनर्जी ने उठाया था। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा मांगी गई रियायतें नहीं दी गई हैं।

†श्री स० मो० बनर्जी : मैंने क्रियान्वयन किए जाने के लिए कहा था।

†श्री मोरारजी देसाई : हम क्रियान्वयन में यथासम्भव शीघ्रता कर रहे हैं। परन्तु हमें यह समझना चाहिए कि जब लाखों व्यक्तियों का काम होता तो उसमें कुछ समय लगना आवश्य है। यदि जल्दबाजी की जाएगी तो गलतियां होंगी और फिर हमसे उनका उत्तर मांगा जाएगा। यह धन सम्बन्धी मामला है इसलिए उसे बहुत ध्यान से करना होगा। परन्तु जहां तक दंडित

†मूल अंग्रेजी में

करने के आरोप का संबंध है, मेरा निवेदन है कि यह सरकार प्रतिशोध लेने के पक्ष में नहीं है। हां, अनुशासन हम अवश्य बनाए रखना चाहते हैं। इन लोगों ने जो कुछ भी किया है उसके लिए माननीय सदस्य और उनके मित्र ही जिम्मेदार हैं। यदि उन्हें वैसा करने के लिए प्रोत्साहित न किया गया होता तो वे ऐसा गलत रास्ता कभी न अपनाते। अब वह चाहते हैं कि उनकी गलतियों के लिए भुगतान हम करें, परन्तु हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा न हो। अतः हमने उसके लिए न्यूनतम कदम उठाए हैं। महालेखा-परीक्षक का कार्यालय मेरे अन्तर्गत नहीं है अतः मैं उन मामलों की जांच नहीं कर सकता हूँ। परन्तु मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि महालेखापरीक्षक अन्याय करेंगे। मेरा विश्वास है कि वह मेरे से भी अधिक न्यायप्रिय और उदार हैं। इसलिए मेरे जांच करने से कोई लाभ नहीं होगा। अनुशासन के मामले में मैं नर्मी नहीं कर सकता हूँ। मैं देश का विघटन नहीं होने देना चाहता हूँ। इसलिए यदि अनुशासन की स्थापना के लिए न्यूनतम कदम उठाए जाते हैं तो हम उन्हें मेट नहीं सकते हैं।

मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि मेरे मन में किसी के प्रति भी द्वेष नहीं है। यदि यह कहा जाए कि हम अपने किसी भी कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं तब तो मैं अपने को अपराधी मान सकता हूँ। परन्तु केवल यह कहना कि हम केरल की उपेक्षा कर रहे हैं इस सरकार के प्रति अन्याय है।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : माननीय मंत्री को राजनीति छोड़कर इस प्रश्न पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए।

†**श्री मोराजी देसाई** : और मैं कर ही क्या रहा हूँ? चूंकि माननीय सदस्य स्वयं राजनीति से मुक्त नहीं हो सकते है इसीलिए सभी के बारे में वैसा सोचते हैं। जब भी कभी मेरे मित्र किसी काम के लिए आए हैं, जो किया जा सकता हो, वह मैंने बिना राजनैतिक भेदभाव के किया है। माननीय सदस्य इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते हैं।

फिर यह कहा गया कि मैं राजस्व का न्यून प्राक्कलन कर रहा हूँ और व्यय का अधिक ताकि वर्ष के अन्त में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सरकार की नीति ऐसी नहीं है। परन्तु यह अवश्य है कि जब बजट तैयार किया जाता है तो समस्त तथ्य हमारे सामने नहीं होते हैं जैसे कि होने चाहिएं।

कुछ बातों की ओर निश्चित रूप से ध्यान देना पड़ता है। यही प्रयत्न किया जाता है कि प्राक्कलनों को जितना संभव हो सके उतना ठीक ही बनाया जाये। हम अपने प्राक्कलन बुद्धिमानी से बनाते हैं तथा मैं आशा करता हूँ कि यह सभा भी यही चाहती है कि वित्त मंत्रालय बुद्धिमानी से काम करे। मैं नहीं चाहता कि हम इतने आशावादी हो जायें जिसके कारण वर्ष के अन्त में हमारा दिवाला निकला मिले। सभी माननीय सदस्यों ने बताया है कि नये नोट कम छापे जाने चाहिए। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि नये नोट कम छापने के लिए यह आवश्यक होता है कि आय-व्ययक बनाते समय सावधानी बरती जाये। हम यही कर रहे हैं। इससे देश के वित्त का समेकन हो रहा है और स्थिति में सुधार हो रहा है। जिन वस्तुओं के लिए अब तक व्यवस्था नहीं की गई है उनके लिए अनुपूरक आय-व्ययक में व्यवस्था करदी जायेगी। जिसका प्राक्कलन नहीं किया गया है उसके लिए धन की व्यवस्था करना ठीक नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

हमारी राजस्वों के न्यून-प्राक्कलन बनाने की नीति नहीं है। कभी-कभी राजस्व बढ़ जाते हैं क्योंकि हमारी नीति कठोर होने के कारण कर अपवंचन कम होता जा रहा है और वसूली अधिक होती जा रही है। हमारी कठोर नीति के परिणाम आरंभ में कम दिखाई देते थे परन्तु अब वह बहुत संतोषजनक हैं। प्राक्कलनों के हिसाब ठीक तरह से बनाये जायेंगे और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इस प्रकार की शिकायतें नहीं की जायेंगी। मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ष के अन्त में हमारे कार्यों के उत्तम परिणाम निकले हैं तथा इसके लिए वित्त मंत्रालय की प्रशंसा की जानी चाहिए।

मद्यनिषेध का प्रश्न पुनः यहां उठाया गया है। जो बातें मैं पहले कह चुका हूं उनको यहां पर दोहराना ठीक नहीं समझता हूँ। परन्तु मेरे मित्र पंडित ठाकुरदास भार्गव ने मद्यनिषेध का समर्थन बड़े प्रभावशाली ढंग से किया है। मैं आशा करता हूं कि उनके विचारों को सभी स्वीकार कर लेंगे। जो भी काम किया जाता है उसमें समय लगता है। हमें कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में किया गया काम कभी कभी गलत रास्ते पर ले जाता है और पुनः वापस लौटना पड़ता है। मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि देश में पूर्णतः मद्यनिषेध हो। परन्तु कभी-कभी मामला ऐसा उलझ जाता है कि वह जैसा करना चाहता है वैसा नहीं कर पाता है।

उन्हों ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार का अंत होना चाहिए। सच्चरित्रता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा सामाजिक एकीकरण किया जाना चाहिए। हम सभी चाहते हैं कि ऐसी बातें हों। मैं मानता हूं कि देश में भ्रष्टाचार है परन्तु उसको जितना बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है यह ठीक नहीं है। कभी-कभी ऐसा करने से लाभ की बजाये हानि हो जाती है क्योंकि उसकी विशालता को देखकर हम हक्का-बक्का रह जाते हैं और उस बुराई को दूर करने के उपाय नहीं ढूंढ़ पाते हैं। ऐसा तो संभव नहीं है कि भ्रष्टाचार एकदम समाप्त हो जाये। भ्रष्टाचार को तो केवल कम किया जा सकता है तथा ऐसे प्रयत्न किए जा सकते हैं कि वह न्यूनतम स्तर पर रहे ऐसा करने के लिए सभी को सहयोग देना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी मिलकर भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकेंगे। हमें यह जानने का प्रयत्न करना पड़ेगा कि कौन कौन लोग भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं। सारे प्रशासन को भ्रष्ट कहना ठीक नहीं है। यह संभव नहीं है कि प्रशासन में सभी व्यक्ति भ्रष्ट हैं।

जब तक ऊँचे स्तर से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं किया जायेगा तब तक निम्नस्तर से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता है इसलिए ऊँचे स्तर के व्यक्तियों को इसका ध्यान रखना चाहिए। मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि सरकार की उच्च सेवाओं में अब भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। अधिकांशतः कर्मचारी ईमानदार हैं तथा समय की आवश्यकतानुसार अधिक काम करते हैं। उनसे अधिक काम कराने के लिए आवश्यक है कि हम उनकी सराहना करें। इसलिए मेरा यही अनुरोध है कि गड़बड़ी का पता लगते ही भ्रष्ट व्यक्ति को सजा दिलाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। परन्तु इसके साथ साथ सचरित्र व्यक्तियों की प्रशंसा भी की जानी चाहिए।

†**श्री नायगाई**: (राजापुर): जब ऐसी बात है तो आप जांच करवाने के बारे में श्री सी० डी० देशमुख का प्रस्ताव स्वीकार क्यों नहीं कर लेते हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई :** यदि उनके प्रस्ताव से भ्रष्टाचार दूर हो सकता तो उसे तुरन्त स्वीकार कर लिया जाता। प्रस्ताव व्यवहार्य होना चाहिए। मैं मानता हूं कि उन्होंने यह प्रस्ताव बड़े अच्छे विचार से प्रस्तुत किया है परन्तु मैं इतना भी जानता हूँ कि उनके इस प्रस्ताव से भ्रष्टाचार कभी भी दूर नहीं होगा। इस प्रस्ताव को मान लेने पर सभी लोगों पर आरोप लगा दिए जायेंगे। यदि किसी एक व्यक्ति के कहने पर जांच की जाने लगे तो ईमानदारी कहीं भी नजर नहीं आयेगी। इसीलिए उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया।

समवाय करारोपण के बारे में कहा गया है कि इनको सरल बनाने की बजाये जटिल बना दिया गया है। परन्तु इनको सरल भी अधिक नहीं बनाया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि, अब तक सहायता प्राप्त भारतीय समवाय के लाभांशों पर अधिकर केवल १० प्रतिशत लिया जाता था। परन्तु अब यह निर्णय कर लिया गया है कि समवायों को अन्य समवायों के हित अर्जन करने का प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। इसीलिए इस अधिकर को वापस लेने का प्रस्ताव है। परन्तु यह समझ कर कि कहीं इसका प्रभाव उन समवायों पर गलत न पड़ जाये जिन्होंने वर्तमान करारोपणों के आधार पर विनियोजन कर दिया है, केवल १ अप्रैल, १९६१ के बाद बने नये समवायों से प्राप्त लाभांशों के मामले में ही यह रियायती दरें लागू की गई हैं।

सहायता न दिए जाने वाले भारतीय समवायों से प्राप्त लाभांशों पर अधिकर के दर कम कर दिए गए हैं। विदेशी समवायों पर १९६० के वित्त अधिनियम के अनुसार अब ४३ प्रतिशत से ३३ प्रतिशत अधिकर लिए जाते हैं। ऐसी भावना देश में है कि 'ग्रासिंग' तथा 'क्रेडिट्' पद्धति को हटाने से विदेशी समवायों द्वारा भारतीय विनियोजनों पर दिया जाने वाला अधिकर बहुत है। इसलिए अब उसकी मात्रा २० प्रतिशत कर दी गई है भारतीय समवायों पर भी यही दर लागू होगा। बित्त विधेयक में १ अप्रैल, १९६१ के बाद बने समवायों से लाभांशों पर नई दर लागू करने का प्रस्ताव था। परन्तु बाद में मामले पर और विचार किया गया तथा यह निर्णय किया गया कि १ अप्रैल १९५९ के बाद बने समवायों से प्राप्त लाभांशों पर नई दरें लागू की जायें। मैंने इसीलिए एक संशोधन प्रस्तुत किया है।

यह बताया गया कि १ अप्रैल १९५९ के पहले अथवा बाद में बनाये गये सभी समवायों से प्राप्त लाभांशों पर २० प्रतिशत की दरें अभी लागू करनी चाहिए थीं। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा करने से कई करोड़ रुपये की हानि होती है।

श्रीमान इसलिए कुछ तो उलझन रखनी आवश्यक हो जाती है। सभी कुछ सरल नहीं किया जा सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है:—

'कि वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

†**अध्यक्ष महोदय :** इस पर खण्डवार चर्चा चलेगी।

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, २२ अप्रैल, १९६१ / २ वैशाख १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

शुक्रवार, २१ अप्रैल, १९६१

१ वैशाख, १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		५८३९–६९
तारांकित प्रश्न संख्या		
१६५७	भिलाई इस्पात कारखाने को फालतू पुर्जों का संभरण	५८३९–४१
१६५८	पूर्वी अफ्रीका में जीवन बीमा निगम की लगी हुई पूंजी	५८४१–४३
१६५९	कोयला धोने के सरकारी कारखानों के लिए 'बंकर'	५८४३–४४
१६६१	पंजाब में सेवाओं का एकीकरण	५८४४–४६
१६६२	उड़ीसा खनन निगम	५८४७–४८
१६६३	मोती बाग महल, पटियाला	५८४८–५२
१६६४	त्रिपुरा के धर्मनगर की सब-ट्रेजरी में गबन	५८५३–५४
१६६५	नूनमती के तेलशोधक कारखाने के उपोत्पाद	५८५४–५५
१६६६	दक्षिण भारत में हिन्दी विश्वविद्यालय	५८५५–५६
१६६७	मद्रास के लिए कोयला	५८५७–५९
१६६८	'स्कल स्क्रैप' के निर्यात के लिए लाइसेंस	५८५९–६०
१६६९	भारतीय वायुसेना द्वारा कानपुर में प्राप्त भूमि	५८६०–६१
१६७०	दरंग-ताशिगांग राजपथ	५८६१
१६७१	पुरातत्व विभाग का शताब्दी समारोह	५८६१–६२
१६७२	दिल्ली में विस्फोटक पदार्थों सहित एक व्यक्ति की गिरफ्तारी	५८६२–६३
१६७३	रुबी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी के बारे में जांच	५८६३–६४
१६७४	महाराष्ट्र के बैंकों को भुगतान स्थगित करने का कानूनी अधिकार	५८६४–६५
१६७५	उड़ीसा में द्वि-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रों का विभाजन	५८६५
१६७५–क	मद्रास में द्वि-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन	५८६६–६९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . ५८६९

तारांकित प्रश्न संख्या

१६६० समुद्र से पीने के पानी की प्राप्ति . ५८६९
१६७६ प्रादेशिक सेना के पदाधिकारी . . ५८६९
१६७७ व्यवसाय कर . . . ५८६९–७०
१६७८ जम्मू और काश्मीर में नीलम की खानें . ५८७०
१६७९ विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतन-क्रम. ५८७०
१६८० उड़ीसा में निर्वाचन ५८७०
१६८१ विदेशी सहायता का उपयोग . ५८७१
१६८२ गोला बारूद की खरीद सम्बन्धी रिपोर्ट ५८७१
१६८३ सोने का पकड़ा जाना . . ५८७१–७२

अतारांकित प्रश्न संख्या

३६३९ क्षेत्रीय आधार पर भाषा-विज्ञान का विकास ५८७२
३६४० दिल्ली में निःशुल्क शिक्षा ५८७२
३६४१ हिमाचल प्रदेश में खेल-कूद ५८७३
३६४२ समवाय विधि के मामले ५८७३
३६४३ क्षमा और परिहार . ५८७३
३६४४ वीसा . . . ५८७४
३६४५ महाराष्ट्र में विदेशियों द्वारा सम्पत्ति का खरीदा जाना ५८७४
३६४६ मेहतरों को सुविधायें . . ५८७४
३६४७ उड़ीसा राज्य में छंटनी किये गये कर्मचारी ५८७४–७५
३६४८ मोटर स्पिरिट आदि की मांग ५८७५
३६४९ पंजाब के स्कूलों और कालेजों के लिये खेल के मैदान ५८७५
३६५० विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन . ५८७५–७६
३६५१ उड़ीसा के राजस्व बोर्ड के सदस्य के न्यायालय ही में बकाया मामले . ५८७६
३६५२ भाखड़ा जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार ५८७६–७७
३६५३ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग . ५८७७
३६५४ विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन . ५८७७
३६५५ सी० ओ० डी० छेत्रकी में सामान की खरीद सम्बन्धी जांच . ५८७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

	विषय	पृष्ठ
३६५६	हिमालच पर्वतारोहण संस्था	५८७८-७९
३६५७	सोने का खनन	५८७९
३६५८	बिहार में तेल सर्वेक्षण	५८७९-८०
३६५९	पवन, सौर तथा वैला शक्ति	५८८०
३३६०	जम्मू और काश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के सीमान्त क्षेत्रों में सैनिक	५८८०
३६६१	प्रवेश पत्रों में जाति का उल्लेख	५८८०
३६६२	एक चीनी राष्ट्र जन की गिरफ्तारी	५८८०-८१
३६६३	पंजाब को कोयले का संभरण	५८८१
३६६४	गैर सरकारी फर्मों को विकास ऋण निधि से ऋण	५८८१-८२
३६६५	लघु बचत योजना के अधीन धन संग्रह	५८८२
३६६६	बैंक के व्याज की दरों मे वृद्धि	५८८२-८३
३६६७	अगरतला के बाजार में छोटे सिक्के	५८८३
३६६८	त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद द्वारा आयोजित प्रदर्शनी	५८८३-८४
३६६९	भारतीय लेखकों का परिचय ग्रन्थ	५८८४
३६७०	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास	५८८४
३६७१	इंजीनियरिंग कालेज और पोलीटेकनीक	५८८४
३६७२	उड़ीसा के प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान का अध्यापन	५८८५
३६७३	छोटे पैमाने के ऊन बुनने वाले कारखानों पर उत्पादन शुल्क	५८८५
३६७४	उड़ीसा के बाढ़ग्रस्त छात्रों को सहायता	५८८६
३६७५	त्रिपुरा में नालीदार लोहे की चादरें	५८८६
३६७६	त्रिपुरा में पानी की सप्लाई	५८८६
३६७७	दिल्ली छावनी बोर्ड में अस्पताल हड़ताल	३८८७
३६७८	मोतीलाल नेहरू जन्म शताब्दी	५८८७
३६७९	विदेशों में तकनीकी शिक्षा के लिए अनुसूचित जातियों को छात्रवृत्तियां	५८८७-८८
३६८०	मद्रास में बाल कल्याण	५८८८
३६८१	अन्नमलाई विश्वविद्यालय को सहायता	५८८८
३६८२	प्राथमिक शिक्षा आयोग	५८८९
३६८३	मणीपुर में जनगणना फार्मों का न मिलना	५८८९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या		
३६८४	नासिक में सैनिक कार्य के लिए जमीन . . .	५८८९
३६८५	दिल्ली विश्वविद्यालय में संगीत की शिक्षा .	५८९०
३६८६	भारत सर्वेक्षण विभाग के वर्ग ४ के कर्मचारी .	५८९०
३६८७	भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी . .	५८९०–९१
३६८८	भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों में बीमारी के मामले .	५८९१
३६८९	भारत सर्वेक्षण विभाग की ज्यामिति—तथा अन्वेषण शाखा	५८९१–९२
३६९०	ई० एम० ई० स्टेशन वर्कशाप, पानागढ़	५८९२–९३
३६९१	ई० एस० ई० पानागढ़ . . .	५८९३
३६९२	लुधियाने में हार्ड कोक की कमी	५८९३–९४
३६९३	गैर-अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों द्वारा पेश किये गये जाली प्रमाण पत्र	५८९४
३६९४	मद्रास में खेल के मैदान . . .	५८९४
३६९५	मद्रास राज्य में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये होस्टल	५८९४–९५
३६९६	मद्रास के मिल-मालिकों पर कर की बकाया रकम .	५८९५
३६९७	निवेली लिग्नाइट परियोजना . . .	५८९५
३६९८	निवेली सेकेण्डरी स्कूल . .	५८९५–९६
३६९९	मद्रास राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आवास योजनायें	५८९६
३७००	त्रिपुरा में कृषि ऋण का रद्द किया जाना . . .	५८९६
३७०१	त्रिपुरा में सड़कों पर बिजली लगाना	५८९६
३७०२	त्रिपुरा में के महाराजा का महल . . .	५८९७
३७०४	'शक्तिमान' ट्रक	५८९७
३७०५	उड़ीसा में मिलों और कारखानों को कोयले का आवंटन .	५८९७–९८
३७०६	उड़ीसा में सामान्य निर्वाचनों से पूर्व के निर्वाचन . .	५८९८
३७०७	वायुशूल दिवस	५८९८–९९
३७०८	मद्रास उच्च न्यायालय.	५८९९
३७०९	अनुसूचित बैंकों की जमा रकम	५८९९
३७१०	कोयला उद्योग के विकास के लिये विदेशी सहयोग .	५९००
३७११	भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन	५९००

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३७१२ दिल्ली विश्वविद्यालय . . . . ५९००—०१
३७१३ नई दिल्ली में लोदी कालोनी और सेवा नगर के बीच यातायात अवरोध . ५९०१
३७१४ छोटे अन्दमान द्वीपों का प्राणिकीय सर्वेक्षण ५९०१
३७१५ उड़ीसा में हाई स्कूल ५९०१
३७१६ उड़ीसा में पुलिस का पुनर्गठन ५९०२
३७१७ कटक में हरिजन होस्टल . . . ५९०२
३७१८ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का राष्ट्रीय 'पूल' ५९०२
३७१९ मनोरंजन व्यय . . . ५९०३
३७२० वेतन आयोग की सिफारिशों की कार्यान्विति ५९०३
३७२१ केन्द्रीय शिक्षा संस्था ५९०३—०४
३७२२ मनोरंजन के लिये पढ़ना . . ५९०४
३७२३ केन्द्रय शिक्षा संस्था द्वारा विदेश भेजे गये अध्यापक ५९०४
३७२४ कोयला धोने के कारखाने ५९०४
३७२५ एस्बेस्टस अयस्क निक्षेप ५९०५

स्थगन प्रस्ताव . . . . . ५९०५—०७

अध्यक्ष महोदय ने राजकोट के निकट एक बस्ती में आग लगजाने के बारे में चार स्थगन प्रस्तावों को, जिनकी सूचना सर्व श्री प्रकाशवीर शास्त्री, स० मो० बनर्जी और रंगामणि, आसर तथा द० अ० कट्टी और भा० कृ० गायकवाड़ ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।

प्रधान मन्त्री द्वारा वक्तव्य . . . ५९०७—०९

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने क्यूबा की हाल की घटनाओं के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ५९०९—११

(१) जीवन बीमा निगम अधिनियम १९५६ की धारा ४८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ८ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४७६ में प्रकाशित जीवन बीमा निगम (संशोधन-नियम, १९६१ की एक प्रति ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र (क्रमश:)

(२) दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरण :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या १ तेरहवां सत्र, १९६१
(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ४ बारहवां सत्र, १९६०
(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ८ ग्यारहवां सत्र, १९६०
(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १३ दसवां सत्र, १९६०
(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या १५ नवां सत्र, १९६०

(३) जालगांव के तेल के कारखाने में १७ मार्च, १९६१ को हुए विस्फोट के बारे में, जिसके फलस्वरूप २३ कामगर मारे गये और अन्य लोगों को चोटें आईं, एक वक्तव्य ।

(४) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक ८ अप्रैल, १९६१ को अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० ४७८ में प्रकाशित औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) (पहला संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति ।

(५) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक ८ अप्रैल, १९६१ की अधि-सूचना संख्या जी०एस०आर० ४८१ की एक प्रति ।

(६) समुद्र सीमाशुल्क अधिनिचम, १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादनशुल्क तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ संशोधन करने वाली निम्न-लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ८ अप्रैल, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ४८३।
(दो) दिनांक ८ अप्रैल, १९६१ की जी०एस० आर० संख्या ४८४।

(७) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक ८ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० ४८६ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (पांचवां संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति।

विधेयक—विचाराधीन ५९११-६१

वित्त विधेयक १९६१ पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेत्तर चर्चा।

चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

शनिवार, २२ अप्रैल, १९६१/२ वैशाख १८८३ (शक) के लिये कार्यावली

वित्त विधेयक, १९६१ पर अग्रेत्तर चर्चा तथा उसका पारित किया जाना

वित्त विधेयक, १९६१---(जारी)

विचार करने का प्रस्ताव---(जारी)

	पृष्ठ
श्री स० मो० बनर्जी	५९४२--४३
श्री उइके	५९४३---४५
श्री झुनझुन वाला	५९४५--४६
श्री बासप्पा	५९४६--४७
श्री झूलन सिंह	५९४७---४९
श्री रूप नारायण	५९४९---५१
श्री मोरारजी देसाई	५९५१---६१
दैनिक संक्षेपिका	५९६२---६७

समेकित विषय सूची (११ से २१ अप्रैल, १९६१ / २१ चैत्र से १ बैशाख १८८३ (शक)

PLS 41. LIV. 50. 61.
125

© १९६१ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार के मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।